कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023

वचन पत्र

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

वचन पत्र-2023

प्रदेश के हर नागरिक के लिए वचन पत्र

कांग्रेस के साथ बढ़ते कदम

वचन पत्र की अनुक्रमणिका

क्र.	विषय-क्षेत्र	पृ. क्र.
	• **अध्यक्षीय आलेख**	
	• **आग्रह**	1
	• वचन पत्र-2023 समिति के सदस्य	2
1.	खुशहाल किसान, खुशहाल मध्यप्रदेश	3
2	उद्यान कृषक, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण	9
3	गौ-धन से खुशहाली	11
4	मत्स्य क्रांति की ओर बढ़ते कदम	13
5.	सहकार की भावना होगी साकार	14
6	म.प्र. की जीवन रेखा -माँ नर्मदा	15
7	म.प्र. की जल संपदा	16
8	युवाओं के संग विकास के रंग	17
9	खिलाड़ी की शान म.प्र. की पहचान	27
10	नारी की उन्नति प्रदेश की प्रगति	29
11	खुशहाली मिशन	33
12	लोकसेवक-सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स	34
13	अर्द्धशासकीय सेवाओं के कर्मियों के साथ न्याय	38
14	गैर सरकारी संगठन (NGO)	42
15	सुरक्षित व्यापारी-सुखी व्यापारी	42
16	औद्योगिक मध्यप्रदेश	43
17	कुटीर, रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग	45
18	खनिज संपदा	46
19	श्रम सम्मान	47
20	सड़क, पुल एवं भवन	49
21	जल का अधिकार	50
22	सस्ती सुलभ बिजली का अधिकार	50
23	पर्यटन विकास	51
24	शिक्षा का अधिकार	52
25	उच्च शिक्षा	54
26	तकनीकि शिक्षा	55
27	कौशल उन्नयन	55
28	चिकित्सा शिक्षा	56
29	विज्ञान सूचना एवं प्रौद्योगिकी	57

30	स्वस्थ मध्यप्रदेश	58
31	आयुष से आरोग्य	60
32	सामाजिक न्याय	61
33	दिव्यांग जन एवं सशक्तिकरण	62
34	वरिष्ठजनों की सेवा	63
35	गरीबों के साथ न्याय	63
36	भोजन पर सबका अधिकार	64
37	पिछड़ों का सम्मान	65
38	सामाजिक समानता- अनुसूचित जाति/जनजाति	67
39	जनजाति के अधिसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी कला	71
	• विशेष पिछड़ी जनजातियाँ	73
	• घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ एवं विमुक्त जाति	74
40	अनुसूचित जाति एवं सफाई कामगार कल्याण	75
41	अल्प संख्यक कल्याण	77
42	सिंध के गौरव	78
43	निम्न व मध्यम आय वर्ग	79
44	आस्था और विश्वास	80
45	संस्कृति, कला, साहित्य और रंगमंच	81
46	ग्राम स्वराज्य एवं ग्रामीण विकास	82
47	शहरी विकास	85
48	आवास का अधिकार एवं सुंदर सपना साकार	88
49	सुंदर, सघन एवं लोकोपयोगी वन	90
50	प्रशासनिक व्यवस्था- सुदृढ़ीकरण एवं सुधार	92
51	भू-अधिकार एवं भूमि सुधार	94
52	अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण- आर्थिक एवं सामाजिक नीति	96
53	सरल, सुलभ, शीघ्र और सुनिश्चित न्याय का अधिकार	98
54	सुरक्षित प्रदेश - भयमुक्त प्रदेश	99
	• शस्त्र लायसेंस	100
	• सैनिक कल्याण और कैदियों का पुनर्वास	101
55	सैनिक हमारा अभिमान - भूतपूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल	102
56	लोकतंत्र के प्रहरी	103
57	पत्रकार एवं मीडिया कल्याण	104
58	लोक परिवहन की सुलभता	105
59	नशामुक्ति की ओर बढ़ेंगे मजबूत कदम	106

अध्यक्षीय आलेख...

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के चिरस्मरणीय भाषण में राष्ट्र को संबोधित करते हुये कहा था कि ''आज हम एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि को समाप्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करें। भारत नये जीवन और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा''।

कांग्रेस लोकतंत्र में आस्था और विश्वास रखती है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आव्हान किया है कि ''भारत सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, आज देश को नये आंदोलन की जरूरत है''। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस नारे से स्पष्ट होती है ''सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिन्दुस्तान''।

पार्टी की शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के निर्देशन में कांग्रेस आज भी इस प्रतिज्ञा पर कायम है। मध्यप्रदेश की जन सभाओं में लोकप्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी इस प्रतिज्ञा को कई बार दर्शाया है।

हमारे देश की संस्कृति और संविधान देश के नागरिकों को शांति, सद्भाव, भाईचारा, सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा, आत्म सम्मान, आदर्श और समृद्धि के साथ लोकतंत्र की छांव में समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की संस्कृति के इन मूल्यों को भारत के संविधान में सबसे पहले स्थान दिया। इन मूल्यों के साथ आज हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा एवं मजबूत लोकतंत्र है। देश के इन मूल्यों को सुरक्षित एवं संवर्धित करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और आज के माहौल में इसकी अधिक आवश्यकता भी है। कांग्रेस देश की लोकतांत्रिक विचारधारा की प्रबल समर्थक एवं अनुयायी है और इससे भिन्न किसी भी तरह की निरंकुश व्यवस्था का पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस देश का संविधान बचाने वाले आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए वचनबद्ध है।

स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की उदारतापूर्ण नीतियों से नया युग प्रारंभ हुआ और चहुँमुखी विकास की अविरल धारा देश में प्रवाहित हुई। देश ने सभी क्षेत्रों में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये। आमजन की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किये गये, जिससे आमजन लाभान्वित हुए। रोजगार की गारंटी, इंदिरा आवास, खाद्यान्न का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वनाधिकार आदि से देश के हर वर्ग को लाभ मिला, परंतु वर्तमान सरकार ने जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को धीरे-धीरे बंद कर दिया है। आज देश का हर वर्ग परेशान है। मध्यप्रदेश के हालात और अधिक बदतर हैं ।

आज मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, युवा बेरोजगार है, किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, महिलाएँ अत्याचार से पीड़ित हैं, श्रमिकों का दमन हो रहा है, प्रेस की आजादी पर अंकुश लग गया है, आदिवासी, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा, बच्चों व बुजुर्गों का जीना दूभर हो गया है, उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं, आमजन पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा है और मंहगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। कोरोना महामारी के दौरान शासन के गलत निर्णयों से लाखों लोगों की जान चली गई। यह सभी घटनाएं गुलामी के समय की याद दिलाती हैं। 18 साल की भाजपा सरकार के कुशासन ने मध्यप्रदेश की हर व्यवस्था को बर्बाद और बदहाल कर दिया है। आज मध्यप्रदेश में भाजपा 18 वर्षों के शासनकाल का हिसाब जनता को न देकर हमसे 15 माह की सरकार का हिसाब पूछती है। मध्यप्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार ने 15 माह के छोटे से कार्यकाल में 27 लाख

किसानों का कर्ज माफ किया, 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली दी, शुद्ध के लिये युद्ध से मिलावट खोरी खत्म हुई, माफियाराज को कुचला गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300/- रू. से बढ़ाकर 600/- रू. किया, कन्या विवाह सहायता को 55,000/- रू. किया, तेन्दूपत्ता बोनस को 2500/- रू. कर अनेक वचनों को पूर्ण किया। रोजगार की दिशा में उद्योग एवं व्यवसायों की स्थापना के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण किया, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। 15 माह के अल्प कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने अपनी दूरदर्शी नीति और नीयत का परिचय दिया लेकिन कुछ गद्दार सौदेबाजों के कारण कांग्रेस 5 वर्ष तक जनता की सेवा नहीं कर सकी। पर अब समय आ गया है कि 18 साल के कुशासन को जड़ से समाप्त किया जाये।

कांग्रेस हमेशा से आमजन के सपनों को सच्चाई में बदलती है, जन-जन के विचार को धरातल पर उतारती है। कांग्रेस आपको वचन देती है कि 2018 में जो जनकल्याण की शुरूआत कांग्रेस ने की थी उसको पूर्ण करने के लिए हम 2023 से फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सरकार जैसे ही शपथ लेगी, उसी दिन से वचनों को पूरा करना प्रारंभ करेगी। आगामी 5 वर्षों में कोई भी वचन पूर्ण होने से शेष नहीं रहेगा। कांग्रेस खुशहाल मध्यप्रदेश एवं खुशहाल परिवार बनाने के लिये 2023 से खुशहाली मिशन प्रारंभ करेगी। इस मिशन के तहत महिलाओं की सहभागिता से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनायेंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर निर्मित करेंगे, कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ कर लागत कम करेंगे व किसानों को उपज का सही दाम दिलवायेंगे, युवाओं के सपने साकार होंगे, माताएँ-बहनें सुरक्षित होंगी, गुणवत्तायुक्त शिक्षा व उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायेंगे, कर्मचारियों, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों की माँगों पर न्याय करेंगे, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सहित सर्व समाज को न्याय सुनिश्चित करेंगे, गौ-माता का सम्मान पुनः स्थापित करेंगे एवं माँ नर्मदा का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे। आम नागरिकों के कामों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए जवाबदेह शासन स्थापित किया जायेगा। भ्रष्टाचारमुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था कायम होगी। हमारे मध्यप्रदेश की नई पहचान स्थापित होगी। मध्यप्रदेश कांग्रेस का एक ही संदेश - सबसे पहले मध्यप्रदेश।

कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी

जय हिन्द, जय मध्यप्रदेश

भवदीय

(कमलनाथ)

अध्यक्ष

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

आग्रह

कांग्रेस मिशन 2023 म.प्र. में कांग्रेस की जनहितैषी एवं लोकप्रिय सरकार बनाने का वचन धारण कर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के वचन पत्र के लिए प्रदेश के सम्मानीय नागरिकों, विभिन्न सामाजिक संगठन, अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला संगठन, युवा संगठन, व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन, श्रमिक वर्ग, कर्मचारी संगठन, सभी धर्मों की संस्थाएँ तथा कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों से लगभग 9000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए है। वचन पत्र समिति ने सभी सुझावों का गहन अध्ययन कर उनको यथोचित स्थान एवं सम्मान देते हुए वचन पत्र में सम्मिलित किया है।

वचन पत्र समिति सुझाव भेजने वाले मध्यप्रदेश के मतदाताओं एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है, उनका आभार व्यक्त करती है ।

वचन पत्र को तैयार कराने में वचन पत्र समिति के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कांग्रेस का वचन पत्र-2023 सच्चे मन और भाव से प्रदेश के मतदाताओं को समर्पित है।

राजेन्द्र कुमार सिंह
अध्यक्ष
वचन पत्र समिति

बाला बच्चन
संयोजक
वचन पत्र समिति

वीरेन्द्र कुमार बाथम
सदस्य, (संकलन)
वचन पत्र समिति

वचन पत्र-2023 समिति के सदस्य

1	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	अध्यक्ष
2	श्री बाला बच्चन	उपाध्यक्ष एवं संयोजक
3	श्री सज्जन सिंह वर्मा	सदस्य
4	डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ	सदस्य
5	श्री एन.पी.प्रजापति	सदस्य
6	श्री लाखनसिंह यादव	सदस्य
7	श्री मुकेश नायक	सदस्य
8	श्री सुखदेव पांसे	सदस्य
9	श्री ओमकार मरकाम	सदस्य
10	श्री तरूण भानोट	सदस्य
11	श्री कमलेश्वर पटेल	सदस्य
12	श्री आरिफ मसूद	सदस्य
13	श्री फूल सिंह बरैया	सदस्य
14	सैय्यद साजिद अली, एड.	सदस्य
15	श्रीमती शोभा ओझा	सदस्य
16	श्री वी.के.बाथम	सदस्य
17	श्री केदार सिरोही	सदस्य
18	श्री वीरेन्द्र खोंगल	सदस्य
19	श्री महेन्द्र सिंह	सदस्य
20	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	सदस्य
21	श्री जी एल सोनाने	सदस्य
22	श्रीमती अजीता बाजपेई पाण्डे	सदस्य
23	सुश्री निकिता खन्ना	सदस्य
24	सैय्यद जाफर	सदस्य
25	श्री महेन्द्र जोशी	

विशेष आमंत्रित सदस्य

1	श्री दिग्विजय सिंह	5	श्री कांतिलाल भूरिया
2	डॉ. गोविन्द सिंह	6	श्री अजय सिंह
3	श्री सुरेश पचौरी	7	श्री अरूण यादव
4	श्री विवेक तनखा	8	सुश्री मीनाक्षी नटराजन

1. खुशहाल किसान, खुशहाल मध्यप्रदेश

1.1 कृषक-न्याय योजना

- कांग्रेस सरकार की **जय किसान फसल ऋण माफी योजना** के अंतर्गत किसान भाइयों के रूपए 2 लाख के फसल ऋण माफ करने के लिये योजना को निरंतर रखेंगे। किसानों के कर्ज माफी की राशि उनके खातों में समायोजित नहीं होने की जाँच करायेंगे, ऐसे प्रकरणों में बकाया ऋण पर ब्याज माफ करेंगे।
- उपज के उचित मूल्य का अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कृषकों के हित में लागू करने हेतु कांग्रेस प्रतिबद्ध है।
- **लागत कांग्रेस की, मुनाफा किसान का**- खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को खेतों के लिए नि:शुल्क बिजली-पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा नि:शुल्क ब्याज दर पर कृषि ऋण भी उपलब्ध कराएंगे।
- किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों का गेहूं 2600/- रूपए प्रति क्विंटल एवं धान 2500/- रूपए प्रति क्विंटल से कम भाव पर नहीं खरीदेंगे। कांग्रेस कृषि लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वचनबद्ध है।
- किसान भाइयों को 25 लाख का स्वास्थ्य एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा परिवार सहित कराएंगे तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे।

1.2 इंदिरा किसान ज्योति योजना

- इंदिरा किसान ज्योति योजना पुन: प्रारंभ करेंगे।
- कृषि में सिंचाई प्रयोजन हेतु 5 हार्स पावर तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करेंगे तथा 10 हार्स पावर तक के सिंचाई पंप के देयकों में 50 प्रतिशत तक छूट देंगे।
- कृषि के पुराने देयक माफ करेंगे। कृषि प्रयोजन के विद्युत संबंधी झूठे प्रकरण वापस लेंगे।
- **मेरा खेत-मेरा ट्रांसफार्मर** पुरानी योजना पुन: प्रारंभ करेंगे। खराब ट्रांसफार्मर बदलने का अभियान प्रारंभ करेंगे।
- किसानों को 12 घण्टे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराएंगे।

1.3 किसानों को सिंचाई एवं सड़क का अधिकार

- किसान भाइयों को "**70 लाख हेक्टेयर आश्वासित सिंचाई**" के लक्ष्य हेतु नये बांध बनाएंगे पुराने बांधों की जलग्रहण क्षमता बढ़ाएंगे, नहरों के समीप तालाबों को भरकर एवं नई नहरें बनाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगें। लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं किसानों की सहभागिता पर तैयार की जाएंगी। वर्षा के जल का प्रबंधन हेतु लघु जल संरचनाऐं विकसित की जाएगी।

- कमांड एरिया के अंदर निजी स्रोतों से सिंचाई करने एवं जिन खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुँचता उन क्षेत्रों को सिंचाई कर से छूट देंगे।
- सिंचाई जल उपभोक्ता समितियों को पुनः सक्रिय कर अधिक सम्पन्न बनाएंगे एवं विधिवत चुनाव कराएंगे।
- **मेरा तालाब मेरा खेत, मेरा कुंआ मेरा खेत, मुख्यमंत्री नाला सिंचाई योजना एवं किसान सरोवर कार्यक्रम** प्रारंभ करेंगे तथा सिंचाई हेतु निर्मित **प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार** गहरीकरण का कार्यक्रम बनाएंगे। तालाबों एवं नालों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा।
- सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु ड्रिप फव्वारा पद्धति एवं सौर ऊर्जा पम्प पर अनुदान के लक्ष्य बढ़ाएंगे एवं आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
- **खेत जोड़ो, मध्यप्रदेश जोड़ो मिशन** - खेतों से गांव एवं गांव से मण्डी तक पहुंच बनाने के लिये मनरेगा एवं मण्डी निधि के उपयोग से छोटे मार्ग व पुलियाओं का निर्माण कराएंगे।
- कृषि क्षेत्र की अधोसंरचना में वृद्धि हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा।

1.4 खाद-बीज प्रदाय व कृषि लागत पर नियंत्रण

- रबी एवं खरीफ फसल में पर्याप्त खाद वितरण सुनिश्चित कराने एवं उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज एवं दवा वितरण की **नई नीति** बनायेंगे। **खाद का 100 प्रतिशत तक विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम** से किया जाएगा।
- किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु प्राथमिक साख समितियों की संख्या में विस्तार करेंगे तथा किसानों के स्व-सहायता समूह और सहकारी समितियों के माध्यम से बीज उत्पादन व बीज उपचार का कार्यक्रम चलाएंगे।
- कृषि भूमि सुधार, फसल सुरक्षा व कृषि लागत को कम करने के लिए खेती के चिन्हित कार्य मनरेगा से जोड़ेंगे।
- मवेशियों एवं वन्य जीवों से फसल क्षति रोकने हेतु तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान देंगे तथा मनरेगा से जोड़ेंगे।
- खेती की जुताई की लागत कम करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी सेवाऐं देना प्रारंभ करेंगे एवं उन्नत कृषि उपकरणों पर अनुदान की दरों एवं लक्ष्यों में वृद्धि करेंगे।
- प्रतिकूल मौसम से फसल की क्षति पूर्ति हेतु आपदा राहत आरबीसी 6-4 की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि करेंगे।
- सिंचाई कर की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी।
- रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों की बर्बादी को रोकने और बचत हेतु एग्रोड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देंगे।

1.5 कृषि ऋण

- सरल, सुलभ एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराने हेतु **नवीन फसल ऋण नीति** बनायेंगे एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोले जाएगें।
- शत प्रतिशत कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य कृषकों को **क्रेडिट कार्ड** उपलब्ध कराने का अभियान चलाएंगे।
- परामर्श केन्द्रों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ सुनिश्चित कराएंगे।

1.6 कृषि क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि

- एक फसली क्षेत्र को दो फसली तथा दो फसली क्षेत्र को तीन फसली क्षेत्र बनाने, फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाने की दिशा में ठोस कदम उठायेंगे।
- वनभूमि के पट्टे की भूमि कृषि योग्य बनाएंगे। नदियों एवं जलाशयों के किनारे की भूमि एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर परम्परागत खेती करने वाले भूमिहीन परिवारों को आवंटित करेंगे।
- दलहन एवं मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।
- तिलहन फसल के अंतर्गत सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी में आवश्यक पोषण की कमी को दूर करने के उपाय किए जाएंगे।

1.7 फसल सुरक्षा

- नरवाई की प्राचीन परम्परा से खेतों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती है, इसे रोकेंगे। आगजनी से फसल सुरक्षा हेतु **फायर ब्रिगेड सेवा** की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायेंगें एवं खेतों की खरपतवार एवं गाजर घास को खत्म करने का अभियान चलाएंगे।
- **शुद्ध का युद्ध अभियान** में खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयां एवं दूध-घी की शुद्धता बनाए रखने हेतु मिलावट खोरों के विरूद्ध अभियान चलाएंगे।

1.8 जैविक एवं परम्परागत खेती

- जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए **जैविक कृषि बोर्ड** का पुनः गठन करेंगे। जैविक/परम्परागत खेती का रकबा **आगामी वर्षों में 5.00 लाख हेक्टेयर** तक बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे।
- जैविक उत्पादों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तर पर संस्था गठित की जाएगी।
- जैविक उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे तथा क्रय-विक्रय हेतु **जैविक हाट** की सुविधा बढ़ाएंगे एवं उन्नत बीज प्रदाय कराएंगे।

1.9 म.प्र. के शरबती गेहूँ को **गोल्डन श्री** एवं छिन्दवाड़ा के मक्का के भुट्टों को **भुट्टा किंग** के नाम से ब्रांडिंग कराएंगे।

1.10 कृषि उपज मंडी

- कृषि उपज **मंडियों का आधुनिकीकरण** करेंगे, उन्हें सुव्यवस्थित करेंगे। मंडियों को नये **ई-प्लेटफार्म** पर लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक, तौल-कांटे उपज की गुणवत्ता (FAQ) की वैज्ञानिक जाँच मिट्टी एवं बीज परीक्षण आदि की सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाएगी।
- **नगदी फसलों** यथा कपास, हल्दी, जीरा आदि के लिये मंडियों में विक्रय की व्यवस्था करेंगे एवं मंडी शुल्क में रियायत देंगे।
- **उपज का नियत समय सीमा में भुगतान** सुनिश्चित कराएंगे। भुगतान में विलंब होने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलावाएंगे एवं चेक बाउंस को रोकने के लिए ठोस कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- **मंडी अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली** से कराया जाएगा एवं **मंडी समन्वय समिति** पुनर्गठित करेंगे। कृषि उपज मंडियों में किसानों की सुविधाओं का विस्तार करेंगे।

- **किसान महोत्सव** का आयोजन प्रति वर्ष करेंगे जिसमें किसान पूजन उत्सव, किसान सम्मान, किसान संगोष्ठी व प्रदर्शनी आयोजन किया जाएगा। किसान संगोष्ठियों में नवीन तकनीकों से किसानों को अवगत कराएंगे। खेलकूद प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे।
- मंडी के **हम्माल** एवं **तुलावटी** का नवीन पंजीयन करेंगे। उनका **भविष्य निधि** एवं **चिकित्सा बीमा/दुर्घटना बीमा** मंडी समिति के माध्यम से कराएंगे। महिला श्रमिकों को हम्मालों के तुल्य दर्जा दिया जाएगा।
- मंडी व्यापारियों/अनाज व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के व्यापारियों को प्रतिनिधित्व देंगे। शुल्क संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।
- भाजपा सरकार ने 18 सालों में मण्डी निधि एवं किसान सड़क निधि के भ्रष्टाचार एवं घोटालों की जांच करेंगे। निधि का उपयोग ग्रामीण अंचलों में कृषि से जुड़ी अधोसंरचना के विकास एवं कृषक कल्याण के लिए किया जाये इस हेतु योजना में संशोधन करेंगे।

1.11 किसान भाइयों की वैकल्पिक आय में वृद्धि

- किसानों की वैकल्पिक आय हेतु कृषि अवशिष्ठ के संग्रहण और प्रसंस्करण की योजना बनाएंगे। प्रत्येक विकासखंड में एकाधिक इकाइयां किसानों के बेरोजगार युवाओं के माध्यम से स्थापित की जाएंगी, जिस पर विशेष अनुदान दिया जाएगा।
- कृषि सहायक गतिविधियों व फसल विविधकरण को बढ़ावा देंगे। किसानों एवं महिलाओं के स्व-सहायता समूह को पशुपालन, **नंदिनी गोधन योजना** तथा **नाला, घूरा एवं बाड़ी प्रबंधन**, बीज उत्पादन आदि नए कार्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे।

1.12 कृषि उद्योग, व्यवसाय एवं निर्यात

- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए **नई कृषि उद्योग नीति** बनाई जाएगी तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद निर्यात विकास परिषद्** का गठन कर भारत सरकार की संस्था से सम्बद्ध करने हेतु प्रयास करेंगे।
- जिलों के क्लस्टर बनाकार एग्रो एक्सपोर्ट एवं एग्रो प्रोसेस जोन व फूड पार्क विकसित करने की योजना पर कार्य करेंगे।
- प्रदेश के स्थानीय उत्पादों यथा मटर, मक्का आदि का वेल्यू एडिशन करने प्रोसेसिंग आदि केंद्रित योजना पर कार्य करेंगे।
- **एग्रो स्टार्ट-अप** - कृषक उद्यमियों को कृषि पर आधारित नया स्टार्ट-अप प्रारंभ करने पर अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान, विद्युत एवं ब्याज अनुदान देंगे तथा शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देंगे।
- **किसान सुपर मार्केट एवं सेवा केन्द्र** - प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक नया कृषि बाजार खोलने के लिए 5 एकड़ तक भूमि आरक्षित कर शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को आवंटित करेंगे। इन बाजारों में सभी प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, ट्राली, खाद, बीज, कीटनाशक, सिचांई के उपकरण विद्युत उपकरण एग्रोड्रोन एवं अन्य कृषि प्रयोजन के सामान विक्रय हेतु उचित मूल्य एवं मानक युक्त उपलब्ध रहेंगे। इन बाजारों के विकास हेतु वित्तीय सहायता रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

1.13 फसल बीमा योजना का सरलीकरण करेंगे। इकाई सुधारेंगे। योजना का दायरा बढ़ाते हुये आज की आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे। राज्य की बीमा कम्पनी बनाने की दिशा में निर्णय लेंगे।

1.14 कृषि, राजस्व एवं वन

- **भूमि-अधिग्रहण अधिनियम 2013** का अक्षरश: पालन कराया जाएगा। किसानों की अधिग्रहित कृषि भूमि का उपयोग 5 वर्ष तक न होने की स्थिति में भूमि कृषि प्रयोजन हेतु किसानों को वापिस दिलवाएंगे।
- कृषकों को भूमि के **खसरा, नक्शा व बी-1 की नि:शुल्क ऑनलाईन प्रति** प्राप्त करने की सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर एवं अविवादित नामांतरण के अधिकार ग्राम सभाओं को देंगे। नामांतरण एवं बटवारे की सरलीकृत व्यवस्था लागू करेंगे कृषि भूमि की रजिस्ट्री के साथ ही **नामान्तरण एवं बंटान की स्वचालित व्यवस्था** स्थापित की जाएगी तथा अत्याधुनिक तकनीक से **सटीक सीमांकन की सरलीकृत व्यवस्था** लागू की जाएगी।
- भू-राजस्व संहिता की धारा 115-116 के तहत तहसीलदारों के पूर्व के अधिकार बहाल करेंगे एवं किसानों के एक ही पटवारी हल्के में बिखरे खेतों को जोड़ने के लिए भूमि की अदला बदली की व्यवस्था सरल बनाएंगे। प्रतिवर्ष भू-अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अभियान चलाएंगे।

1.15 कृषि कानून

- कृषकों से कर्ज वसूली हेतु उन पर आपराधिक प्रकरण न चले एवं कृषि भूमि की नीलामी न हो इस दिशा में प्रचलित नियमों को यथोचित संशोधित करेंगे।
- किसानों पर दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध करने एवं उपज के विक्रय व खाद की कमी के कारण किसान आंदोलन में दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा कर वापिस लिए जाएंगे।

1.16 खेतिहर श्रमिक

- खेतीहर श्रमिकों को **फसल रक्षक** का सम्मानीय नाम देंगे। खेतीहर मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देंगे। उनको खेती एवं कृषि यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण एवं किट प्रदान करेंगे, जिसमें छोटे कृषि उपकरण, छाता एवं साइकिल होगी।
- आपदा काल में फसल क्षति होने पर कुल मुआवजा राशि में से न्यूनतम मजदूरी की राशि खेतीहर मजदूर को मिले यह सुनिश्चित करेंगे।

1.17 लाल बहादुर शास्त्री कृषि विकास योजना आयोग

- लाल बहादुर शास्त्री कृषि विकास योजना आयोग का गठन करेंगे। आयोग खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अनुशंसाएं करेगा। आयोग में कृषि विशेषज्ञ एवं वास्तविक किसानों को शामिल करेंगे।

1.18 शिक्षा, परामर्श और सेवा

- कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों यथा बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि में **डिप्लोमा पाठ्क्रमों को बढ़ावा** देंगे एवं स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में इसे शामिल करेंगे। कृषि स्नातकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे।
- **कृषि एवं उद्यानिकी परामर्श केन्द्र** निजी क्षेत्रों में खोलने की मान्यता देंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण के उपयोग, कीटनाशक, रासायनिक खाद का न्यूनतम उपयोग, बीजोपचार आदि का परामर्श देकर कृषि लागत को कम कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

- कृषकों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देंगे एवं **कृषि चौपालें** आयोजित की जायेंगी।
- **किसान फ्रेंडली मोबाईल एप** की सुविधा का विस्तार करते हुए किसानों को कृषि एवं मौसम सम्बंधी अद्यतन जानकारी तथा योजनाओं से जुड़ने के लिए प्लेटफार्म देंगे एवं पर्यावरण संरक्षण में किसानों की भागीदारी बढ़ाएंगे।

1.19 कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

- कृषि क्षेत्र में नई खोज, शोध एवं अनुसंधान के लिए स्व. श्री एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से 100.00 लाख रूपए की पुरस्कार योजना प्रारंभ करेंगे।

सेवा संघर्ष और बलिदान!

जय जवान जय किसान!!

2. उद्यान कृषक, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण

2.1 उद्यानिकी नीति, सलाहकार समिति एवं बोर्ड गठन

मध्यप्रदेश की **नवीन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति** बनायेंगे। उद्यानिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा उद्यानिकी कृषकों व बागवानों की **उद्यानिकी राज्य सलाहकार समिति** तथा **मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड** का गठन किया जाएगा जो प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नये आयाम देगा।

2.2 उद्यानिकी फसलोत्पादन का आधुनिकीकरण (हाईटेक हार्टीकल्चर)

- प्रदेश में साग, सब्जी, फल, मसाला, औषधी व जलीय कृषि आधारित "**विशेष उद्यानिकी प्रक्षेत्र** विकसित करेंगे। शहरी क्षेत्र के 5 से 10 कि.मी. के दायरे में **सघन बागवानी का विकास** किया जाएगा।
- **जैविक उद्यानिकी** को प्रोत्साहित करेंगे ।
- संरक्षित खेती के हेतु शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग व माइक्रो एरिगेशन पर अनुदान देंगे।

2.3 नर्सरी उन्नयन एवं विस्तार

- निजी क्षेत्र की नर्सरी के लिए लायसेंसिंग नीति बनाएंगे।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से **नर्सरी संचालन की नीति** बनाकर महिलाओं को जोड़ेगे।

2.4 एरोमा मिशन मध्यप्रदेश

- **एरोमा मिशन मध्यप्रदेश** प्रारंभ करेंगे। पुष्प अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे। मध्यप्रदेश में फूलों की खेती का व्यावसायिक उत्पादन एवं प्रसंस्करण कराएंगे। आधुनिक तकनीकों से जुड़ने, उन्नत बीज एवं पुष्प निर्यात के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

2.5 फल उत्पादन

- फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये **फल प्रक्षेत्र** विकसित करेंगे।

- प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में केले का उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रक्षेत्र विकसित करेंगे तथा **अनुसंधान केन्द्र** खोलेंगे।
- प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में संतरे का उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रक्षेत्र विकसित करेंगे तथा **अनुसंधान केन्द्र** खोलेंगे।
- जलीय फल उत्पादन यथा सिंघाड़ा, तरबूज, खरबूज आदि की खेती को बढ़ावा देंगे। नदी एवं जलाशयों के किनारे खुली भूमि के पट्टे परम्परागत खेती करने वालों को देंगे।
- मध्यप्रदेश के मुख्य फलों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करायेंगे ।

2.6 घर-बाड़ी मिशन से खुशहाली

- महिला स्व-सहायता समूहों को बागवानी प्रशिक्षण, उन्नत बीज एवं उपकरण देंगे तथा नाला, घूरा व बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।
- मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देंगे, विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराया जाएगा ।

2.8 पान उत्पादन

- मध्यप्रदेश में पान उत्पादक कृषकों को बढ़ावा देंगे। सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। पान की देशी प्रजाति को संरक्षित करेंगे। पान पर शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। पान उत्पादन के लिये बांस आपूर्ति पुनः प्रारंभ करेंगे ।
- प्रदेश में **पान उत्पादन के नये प्रक्षेत्र** विकसित करेंगे। पान क्रय-विक्रय हेतु **पान दरीवा भवन** बनायेंगे एवं **पान निगम** का गठन करेंगे।
- पान बरेजा के नुकसान पर राजस्व पुस्तिका 6-4 के अंतर्गत राहत राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।
- पान कृषक जिस कब्जे वाली भूमि पर वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, उसका मालिकाना हक देने के लिए नियमों में प्रावधान करेंगे।

2.9 उद्यानिकी शिक्षा

- प्रदेश में उद्यानिकी शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक **उद्यानिकी विश्वविद्यालय** स्थापित करेंगे।
- आधुनिक उद्यानिकी शिक्षा के लिए **डिप्लोमा कार्यक्रम** आरंभ करेंगे तथा स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में उद्यानिकी शिक्षा को जोड़ेंगे।

सेवा संघर्ष और बलिदान।

जय जवान जय किसान।।

3. गौ-धन खुशहाली

कांग्रेस सदैव भारतीय संस्कृति एवं किसानों से जुड़ी रही है। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैल जोड़ी था, फिर गाय-बछड़ा था, जो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस सदैव गौ वंश संस्कृति का पालन करती आई है।

3.1 गौ-धन खुशहाली से मध्यप्रदेश का विकास

- **नंदिनी गौ-धन योजना** प्रारंभ करेंगे । योजना में गो पालकों एवं स्व-सहायता समूहों से 2/- **रू. प्रतिकिलो** की दर से गोबर खरीदेंगे । इनके संचालन का दायित्व स्व सहायता समूहों एवं कांग्रेस काल में प्रशिक्षित गौ सेवकों को सौपा जाएगा। चरवाह परिवार को प्राथमिकता पर रोजगार दिया जाएगा।
- कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई गोशालाओं को भाजपा सरकार द्वारा निष्क्रिय कर दिया है । इन गौ शाालाओं को सक्रिय कर गोधन योजना से जोड़गें। नई गौशालाएँ खोलेंगे। **गौ ग्रास अनुदान** बढ़ाएंगे।
- गौ-शालाओं के रखरखाव हेतु सीएसआर फंड तथा जिला खनिज निधि के नियमों में प्रावधान करेंगे।
- मध्यप्रदेश **गो-संरक्षण निधि** स्थापित करेंगे।
- गोपालकों, पशुपालकों एवं कुक्कुट पालकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **नंदिनी मोबाईल एप** बनायेंगे, जो सभी के लिए नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा।
- गो शालाओं की भूमि आवंटन एवं अनुदान में की गई अनियमितताओं की जॉच कर कार्यवाही करेंगे।
- पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ''**गौ-प्याऊ**'' निर्माण करने की योजना लाएंगे।

3.2 मध्यप्रदेश की श्वेत क्रांति

- **श्वेत क्रांति दुग्ध मिशन** प्रारंभ करेंगे। सहकारी संघ के माध्यम से दूध क्रय कर **रू. 5/- प्रति लीटर बोनस** देंगे।
- गोवंश एवं बकरी के परिवहन व व्यापार की अनुमति की मजबूत व्यवस्था करेंगे।

- बकरी एवं गो वंश से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महिला स्व-सहायता समूह गठित करेंगे, उन्हें अनुदान पर बकरी एवं गो-वंश उपलब्ध कराएंगे ।
- बकरी पालन हेतु देशी प्रजाति को संरक्षण देंगे। विशेष पिछड़ी जन जातियों के स्व-सहायता समूहों 25 बकरी को 1 ईकाई के रूप में नि:शुल्क प्रदान करेंगे।
- **म.प्र. के सांची ब्राण्ड** को प्राथमिकता देंगे। जिला स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति एवं संभाग स्तर पर दुग्ध संघ गठित करेंगे। नये मिल्क रूट बनायेंगे, दुग्ध परिवहन व शीतगृह को बढ़ावा, बन्द चीलिंग प्लांटों को प्रारंभ कर प्लांट की क्षमता बढ़ायेंगे। शीत चेन तथा दुग्ध शुद्धता परीक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे।
- **पशुधन बीमा योजना** दुधारू एवं खेती के उपयोग के पशुओं के लिए नई योजना प्रारंभ करेंगे।
- **शूकर पालन** - शूकर पालन को बढ़ावा देंगे। शूकर पालकों को सहायता उपलब्ध करायेंगे।

3.4 कुक्कुट पालन

- जिलों में **आधुनिक हैचरी** प्रारंभ करेंगे। देशी अण्डों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को नि:शुल्क चूजे प्रदान करने की योजना प्रारंभ करेंगे ।
- इनोवेटिव पोल्ट्री पद्धतियों को बढ़ावा देंगे एवं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने हेतु ब्रायलर फार्मिंग एवं लेयर फार्मिंग को प्रोत्साहन देंगे। कुक्कुट पालन संबंधी आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3.5 पशु चिकित्सा सेवा

- दुधारू पशुओं के उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था पशु चिकित्सालयों एवं नंदिनी गौ-धन सेवा केन्द्रों पर सुनिश्चित करेंगे। नि:शुल्क टीकाकरण एवं औषधी वितरण करेंगे ।
- शासकीय पशु चिकित्सालयों का उन्नयन करेंगे एवं आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध करायेंगे। बंद चिकित्सालयों को पुन: प्रारंभ कर चलित चिकित्सालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा शिविरों का सतत आयोजन रखा जाएगा।
- **ग्रामीण पशु चिकित्सा स्वरोजगार** कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देंगे। पूर्व प्रशिक्षित गौ सेवकों को शासकीय सेवा में जोड़ेंगे एवं स्वरोजगार हेतु **गौ-सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम** प्रारंभ करेंगे।
- उन्नत गौ पालकों को प्रतिवर्ष **राज्य गोपाल श्री सम्मान** से सम्मानित करेंगे तथा चरवाहों को भी सम्मानित किया जाएगा।

श्वेत क्रांति लाएँगे, दूध की गंगा बहाएँगे।

4. मत्स्य क्रांति की ओर बढ़ेंगे कदम

4.1 मछली पालन एवं मत्स्य नीति

- मत्स्य पालन की नई नीति बनाएंगे। **स्थानीय मछुआरों को मत्स्य अधिकार** देंगे। मत्स्य एवं नाव चालन में ठेके की प्रथा बंद करेंगे। जलाशयों का आवंटन मछुआ सहकारी समिति एवं मछुआरा महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को किया जाएगा।
- मीठे पानी की मछलियों के उत्पादन में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिये मछुआरों को बीज उत्पादन एवं मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण एवं टूल किट नि:शुल्क देंगे । **फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना** का विस्तार करेंगे।
- प्रदेश में बाहरी मछुआरों से मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाएगा।
- फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिये 01 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश करने पर भूमि एवं जलाशय आवंटन सम्बंधी प्रावधान नीति में करेंगे। मछुआरा उद्यमियों को पूंजी निवेश, ब्याज एवं विद्युत अनुदान देंगे।
- मत्स्य बाजारों का आधुनिकीकरण करेंगे। नये **मछली बाजार** बनायेंगे। सांची पार्लरों की तरह **फिश पार्लर** आवंटित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली बाजार एवं मछली विक्रय हेतु चबूतरों का निर्माण कराएंगे।
- **मत्स्य महासंघ**- मत्स्य महासंघ को सक्रिय करेंगे। महासंघ के चुनाव नियमित करायेंगे। महासंघ में मत्स्य विशेषज्ञ की सेवाएं लेंगे। महासंघ को प्राप्त रॉयल्टी से मत्स्य आखेट प्रतिबंध अवधि में श्रमिकों को सहायता देंगे एवं मछुआरा कॉलोनी विकसित की जाएगी।
- **जलवंशी विकास मिशन** प्रारंभ करेंगें। मछुआरा समाज नौका निर्माण एवं नौका संचालन, जलीय खेती, जलीय उत्पादों का प्रसंस्करण आदि का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत टूल किट देंगे। जलवंशिओं को नदी एवं जलाशय किनारे की भूमि जलभूमि अधिकार के तहत खरबूज, तरबूज, कमलघट, सिंघाड़े की खेती के लिये पट्टे देने के नियम बनाएंगे एवं फसल नुकसानी पर राहत देंगे।
- **मत्स्य पालन शिक्षा एवं अनुसंधान** - मछुआरों को उन्नत किस्म की मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रोसेसिंग की शिक्षा देंगे। एक मत्स्य शोध एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करेंगे। विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु मछुआरा वर्ग के युवाओं को भेजने की योजना बनाएंगे। मत्स्य महाविद्यालय प्रारंभ करेंगे।
- मछुआरों को नि:शुल्क बीमा करायेंगे एवं मछुआरों को कृषक का दर्जा देकर ऋण माफी योजना से जोड़ेंगे।
- मांझी जनजाति के अंतर्गत मांझी समाज की सभी सह जातियों यथा-केवट, कहार, मल्लाह, भोई, ढीमर, निषाद कीर, ढीमर, धीवर, नाविक आदि को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य कर न्याय करेंगे। प्रचलित जाँच बंद की जावेगी तथा जाति प्रमाण पत्रधारियों को संरक्षण देंगे। कीर जाति को पुन: अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने के लिए नया संकल्प विधानसभा में लाएंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात इन जाति समूहों को पिछड़े वर्ग की सूची से पृथक कर मांझी समाज के साथ न्याय करेंगे।
- **मत्स्य संस्कृति संरक्षण** - मत्स्य संस्कृति को संरक्षण हेतु मछुआरा बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाएंगे तथा भोपाल में निषादराज के नाम से मत्स्य सांस्कृतिक केन्द्र एवं मां पुरीबाई कीर के नाम से कौशल उन्नयन केंद्र बनाया जाएगा।

कांग्रेस की सरकार बनेगी। माझी नैया पार लगेगी।।

5. सहकार की भावना होगी साकार

5.1 सहकारी अधिनियम – आरक्षण एवं चुनाव

- सहकारी संस्थाओं के **चुनाव अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में** कराएंगे। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अभिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर अभिकरण को क्रियाशील बनाएंगे तथा कांग्रेसकाल में स्वीकृत सभी पदों की पूर्ति करेंगे।
- सहकारी संस्थाओं में **महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण** देने का प्रावधान लाएंगे एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को रोस्टर के अनुसार आरक्षण देंगे।
- सहकारी समितियों के पंजीयन की दोहरी व्यवस्था समाप्त करेंगे। एक से अधिक सहकारी समितियों के पंजीयन से **रोजगार के नये अवसर** निर्मित हो, इसके लिए क्षेत्र का बंधन समाप्त करेंगे।
- पिछले 18 वर्षो में भाजपा के कार्यकाल में सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों में गबन तथा बीमा के नाम पर सदस्यों की बिना अनुमति से काटी गई प्रीमियम की जाँच एवं उपभोक्ता संघ, म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम एवं म.प्र. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन में हुए गबन की जाँच हेतु एसआईटी गठित करेंगे।

5.2 सहकारी समितियाँ, बैंक एवं बैंकिंग

- नवीन जिलों में सहकारी बैंक गठित करेंगे एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों का पुर्नगठन करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अंशपूंजी बढ़ाएंगे। **कर्मियों की नियुक्तियों की स्थाई व्यवस्था करेंगे ताकि जवाबदारी निर्धारित की जा सकें।** सहकारी बैंक व समितियों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण करेंगे। व्यावसायिक बैंकों की तर्ज पर बैंकिंग प्रशिक्षण, बैंकिंग सेवाएं, बैंकों में जमा राशि में से नगद राशि निकालने की सीमा एवं जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा प्रदान की दिशा में कार्य करेंगे।
- बैंक मित्रों की माँगों पर न्याय करेंगे।
- गैर कृषि प्रयोजन के ऋण पर ब्याज माफ कर खातों को नियमित करेंगे।
- बहुउद्देशीय सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता भण्डारों को मजबूत करेंगे एवं राशन के अलावा इन समितियों को दैनिक ग्रामीण बाजार के रूप में विकसित करेंगे।

5.3 समर्थन मूल्य पर खरीदी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए साख समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनायेंगे ताकि किसानों को सही समय पर भुगतान हो सके। समितियों में उपज के भण्डारण एवं रासायनिक खाद के भण्डारण की व्यवस्था बढ़ायेंगे। इलेक्ट्रानिक तौल कांटें स्थापित करेंगे।

5.4 सहकारी क्षेत्र के कर्मी

- सहकारिता क्षेत्र के कर्मियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **सहकारी पेंशन नियामक प्राधिकरण** का गठन करेंगे। सहकारी बैंकों के कर्मियों के स्थानांतरण की नई नीति बनायेंगे। महिलाओं को उनके गृह जिले में पदस्थ करेंगे।

5.5 गृह निर्माण सहकारी समिति

- गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। गृह निर्माण समितियों को शासन से आवंटित सहकारी भूमि का दुरूपयोग करने एवं अपात्र सदस्यों को भूखण्ड आवंटन करने की जाँच करायेंगे। अपात्रों को आवंटित भूखण्ड निरस्त कर पात्रों को आवंटित करेंगे तथा समितियों के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे।
- विशेष प्राधिकरणों द्वारा आवासीय प्रयोजनों हेतु अर्जित भूमि के आवंटन हेतु गठित सहकारी समितियों के सदस्यों को तत्समय प्रचलित दरों पर भूखण्ड आवंटित कराए जाएंगे।

6. मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी – माँ नर्मदा

नर्मदा जल

- मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये बांध एवं नहर परियोजनाओं पर शीघ्रता से कार्य करेंगे। निर्माणाधीन परियोजनाओं की रूपांकित क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग किया जाएगा तथा रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी व्यपवर्तन, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर सागर एवं अपर वेदा आदि के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराएंगे।
- महेश्वर सागर परियोजना के विवाद के निराकरण का प्रयास करेंगे ।
- सरदार सरोवर एंव अन्य परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराएंगे।

माँ नर्मदा संरक्षण

- **माँ नर्मदा संरक्षण अधिनियम** – मध्यप्रदेश की जीवन दायनी और आस्था की प्रतीक माँ नर्मदा के परिक्रमावासियों एवं पर्यटकों की सुविधा, सहायता एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, विभिन्न पर्वों एवं मेलों की व्यवस्था, घाटों की व्यवस्था एवं नदी के प्रवाह मार्ग में बाधक तत्वों को हटाने आदि तथा पवित्र नदी का गौरव बनाए रखने हेतु संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने हेतु नया अधिनियम बनाया जाएगा।
- **माँ नर्मदा परिक्रमा परिषद** का गठन करेंगे एवं नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र को पावन रखते हुए परिक्रमावासियों एवं नर्मदा सेवकों को पहचान पत्र व सुविधाएँ देंगे।
- नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करेंगे।
- नर्मदा परिक्रमा के लिए सर्वसुविधायुक्त **51 नर्मदा भवन** का निर्माण, नर्मदा कॉरिडोर एवं नर्मदा घाटों का सौंदर्यीकरण करने हेतु 100 करोड़ का पैकेज आवंटित करेंगे।
- नर्मदा किनारे **नर्मदा रिवरफ्रंट बायोडायर्वसिटी पार्क** स्थापित करने की योजना बनाएंगे।
- नर्मदा के तटों पर हो रहे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जाएगा।
- नर्मदा को पवित्र नदी के रूप में बनाए रखने के लिए जल प्रदूषण को रोकेंगे, **एस.टी.पी.** बनायेंगे। नर्मदा जल स्वच्छ रहे एवं गुणवत्ता बनी रहे, इस हेतु शहरी एवं औद्योगिक इकाइयों के सीवेज, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्ययोजना बनाएंगे।
- इंदिरा सागर एवं ओंकोरेश्वर परियोजना के **पुनर्वास के मामलों** का निराकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन छह माह के भीतर निराकृत करेंगे।
- नर्मदा बांधों के संचालन से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति एवं राहत हेतु **विशेष आपदा राहत कोष** एनएचडीसी में बनवाएंगे।

माँ नर्मदा की पुकार, अबकी बार कांग्रेस सरकार

7. मध्यप्रदेश की जल सम्पदा

- प्रदेश की जल सम्पदा के प्रदेश हित में सदुपयोग की नीति लागू करेंगे।
- **भागीरथ नदी संरक्षण कार्यक्रम** प्रारंभ कर छोटी नदियों का सर्वे कराएंगे व उपयुक्त स्थलों पर छोटे-छोटे बांध बनाएंगे। विलुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के लिये वैज्ञानिक सर्वे कराकर नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाए रखने, नदियों को परस्पर जोड़ने, नदियों की संग्रहण क्षमता बढ़ाने, अवैध उत्खनन एवं भूमि कटाव रोकने आदि के लिए नदियों के अस्तित्व एवं संरक्षण हेतु कानून बनाएंगे।
- **ताप्ती, टमस एवं बेतवा नदी विकास प्राधिकरण** का गठन करेंगे। ताप्ती उद्गम क्षेत्र, घाटों एवं प्राचीन मंदिरों के पुनर्निमाण की योजना बनायेंगे ।
- 18 वर्षों में गुणवत्ताविहीन निर्मित बांध जो बह गये थे और जिन नये बांधों में पानी का रिसाव हुआ है उसकी जाँच उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों की समिति से कराकर कार्यवाही करेंगे।
- आधुनिक सीवरेज एवं गारबेज मैनेजमैंट आधरित प्रदूषणमुक्त जल पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- सिंचाई हेतु नहरों, उप-नहरों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत के कार्य से नहर पंचायतों को जोड़ेंगे। जनभागीदारी के माध्यम से नई उप-नहरों का निर्माण करेंगे।
- बाढ़ नियंत्रण हेतु नवीनतम स्काडा तकनीक का उपयोग करेंगे। बांधों के गेट नियंत्रण मैनुअल को संशोधित करेंगे। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए कलियासोत एवं केरवा नदी की बेतवा से लिंकिंग करने की योजना बनाएंगे। बाढ़ नियंत्रण हेतु बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर नदियों को जोड़ने की योजना बनाएंगे।
- **पुनर्वास** - सिंचाई परियोजनाओं के नाम से अर्जित भूमि सिंचाई मद में दर्ज होने के कारण आवास एवं अन्य बुनियादी सुविधाऐं विस्थापितों को नहीं मिल रही है। ऐसी अर्जित भूमि में पुर्नवास भूमि को सिंचाई मद से पृथक किया जाएगा एवं अधूरे पुनर्वास के कार्यों को प्राथमिकता पर कराए जाएंगे।

8. युवाओं के संग, विकास के रंग

कांग्रेस का हाथ-युवाओं के साथ

युवाओं को रोजगार का अधिकार - ''हर हाथ को रोजगार''

म.प्र. में आज 2 करोड़ से अधिक युवा है जिनमें से लाखों युवा रोजगार के लिए योग्य है लेकिन प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण बेरोजगारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने, सक्षम बनाने एवं युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के साथ-साथ युवाओं का विश्वास जागृत करने के लिए कांग्रेस सरकार **रोजगार को अधिकार** के रूप में दिलाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाएगी।

8.1 युवाओं के लिए समग्र युवा रोजगार नीति बनाएंगे, इसके अंतर्गत -

- **समग्र युवा जॉब पोर्टल** - इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को एक ही पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी, आवेदन करने एवं आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी। इस पोर्टल में सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, स्वरोजगार तथा कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए समग्र रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार की सूचना प्राप्त होने लगेगी। यह सुविधा नि:शुल्क और पारदर्शी रहेगी। इसके लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों को सक्षम बनाएंगे।
- **रोजगार मेला एवं केम्पस सिलेक्शन** का वार्षिक कैलेण्डर जारी किया जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की निजी क्षेत्र की कंपनियों से कांग्रेस सरकार सतत् संपर्क बनाए रखेगी और उनको रोजगार मेलो में आमंत्रित करेगी। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्लेसमेन्ट सेल एवं रोजगार कार्यालय के कैम्प नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे।
- **रोजगार ब्यूरो** - सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार एवं शासकीय अनुदान व सुविधाऐं प्राप्त औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थानों एवं शासकीय निर्माण कार्यों में प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध रोजगार की नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के रोजगार प्राप्त युवाओं को बिना कोई ठोस आधार के सामूहिक रूप से सेवा से निकालने नहीं देंगे ताकि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो इसके लिए ब्यूरो पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगा इन ब्यूरो के चीफ संभागीय आयुक्तों को बनाया जाएगा।

8.2 सरकारी भर्तियाँ

पिछले दशक में सरकारी भर्तियों में घोटालों से युवाओं को मानसिक रूप से चिंतित कर दिया था, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, विधिवत परीक्षाओं का आयोजन न होने, न्यायालयीन विवादों से परीक्षा परिणाम घोषित न होने आदि घटनाओं से प्रदेश के युवा वर्ग कई सालों तक परेशान रहा है। भविष्य में इस तरह की घटनाऐं न घटित हो, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बनी रहे, समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो, परीक्षा परिणामों की घोषणा समय पर हो, परीक्षाओं में विवादित व गलत प्रश्न न पूछे जाए एवं बार-बार प्रश्न पत्र लीक न हो आदि की जवाबदेही व्यवस्था

सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान कांग्रेस सरकार करेगी, इसके अंतर्गत :

- **म.प्र. सरकारी भर्ती** का कानून बनाएंगे।
- भर्ती विधान तैयार करने के लिए भर्ती विधान सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में शिक्षाविद, प्रशासनिक, कानूनविद, सामाजिक एवं अर्थशास्त्री विशेषज्ञों के साथ-साथ युवा वर्ग व आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों को रखा जाएगा।
- **म.प्र. भर्ती आयोग का गठन** - इस आयोग के कार्य क्षेत्र में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर की सभी शासकीय विभागों व निकायों के गैर राजपत्रित तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्तियाँ की जाएंगी।
- **भर्तियों का विकेन्द्रीकरण** - जिला एवं जनपद स्तर के पदों की भर्तियॉ जिला स्तर पर की जाएगी ताकि दूरदराज के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो सके।
- कांग्रेस सरकार का लक्ष्य है कि 2.00 लाख से अधिक रिक्त पदों की भर्तियों का वार्षिक कैलेण्डर जारी कर **अतिशीघ्र भर्तियां** प्रारंभ की जाएगी।
- सरकारी भर्तियों में लगी रोक को हटाऐंगे तथा वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुर्नजीवित कर भर्तिया प्रारंभ की जाएगी।
- सभी श्रेणी के पदों पर सभी तरह की सरकारी भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण का अधिकार हेतु रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- नये रिक्त पदों की पूर्ति के पहले आरक्षित वर्ग के बैंकलॉग के पदों को भरने का अभियान चलाएंगे।
- शासकीय विभागों एवं स्वशासी संस्थाओं के एकल पदों को समूह पद में परिवर्तित कर रोस्टर का पालन कराया जाएगा।
- सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों व शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रोस्टर का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
- सरकारी विभागों, निगम, मण्डल, सरकारी कंपनियों, सहकारिता एवं स्थानीय निकायों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए निजी क्षेत्र की रोजगार एजेन्सियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- साक्षात्कार में भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतों की रोकथाम के लिए सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था न्यूनतम रखी जाएगी।
- लोक सेवा आयोग के प्रचलित वर्गवार साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीद्वारों के नामों की मिश्रित सूची साक्षात्कार बोर्ड को भेजी जाएगी।
- **भर्ती हेल्पलाईन**-भर्ती आयोग से सतत संपर्क हेतु हेल्प लाईन सेवा प्रारंभ की जाएगी।

8.3 शासकीय सेवाओं में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता

सरकारी भर्तियों में मप्र के मूल निवासी जिन्होंने सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन किया है तथा एन.सी.सी., एन.एस.एस. स्काऊट गाईड प्रमाण पत्र धारी हैं एवं खेल स्पर्धाओं में प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को चयन में प्राथमिकता देने हेतु बोनस अंक दिये जाएंगे, इसके लिए भर्ती नियमों में प्रावधान जोड़ा जाएगा।

8.4. पिछले 18 वर्षों से लंबित भर्तियों को भरने का अभियान

कई वर्षों से सभी शिक्षक संवर्ग, पटवारी, पुलिस बल, आंगनबाड़ी, फॉरेस्ट गार्ड व नर्सेस आदि की लंबित भर्तियों को भरने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम न्यायालयीन आदेश से लंबित है उनके परिणाम शीघ्र जारी हो इस हेतु कानूनविदों की सेवाऐं ली जाएंगी।

- ग्राम पंचायतों में एक लाख नवीन पद सृजित कर भरे जाएंगे।

8.5. प्रतियोगी परीक्षा शुल्क एवं प्रक्रिया

- म.प्र. के युवाओं को लोक सेवा आयोग एवं म.प्र. भर्ती आयोग के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं के शुल्क से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- प्रतियोगी परीक्षाऐं ऑफ लाईन आयोजित कराई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में ऑन लाईन परीक्षाओं के लिए पारदर्शी एवं सुदृढ़ व्यवस्था के लिए नियम बनाए जाएंगे।

8.6. म.प्र. भर्ती जाँच आयोग

पिछले 18 वर्षों में भर्तियों के नाम से युवाओं का जो शोषण हुआ है। नियम विरूद्ध भर्तियाँ अपात्रों की भर्तियाँ, पेपर लीक की घटनाऐं, साक्षात्कार में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार आदि की जाँच के लिए तीन सदस्यीय आयोग गठित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा, परिवहन विभाग में भर्ती घोटाला एवं व्यापमं घोटाले की जाँच नये सिरे से प्राथमिकता से कराई जाएंगी।

8.7. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण

- संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, सिविल जज, रक्षा सेवाएं एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी वर्ग के युवाओं के लिए कोंचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- कोचिंग हेतु आवास एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराऐंगे।
- आर्थिक रूप से अति कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था कांग्रेस सरकार द्वारा समूह आधार पर की जाएगी।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की पठन-पाठन सामग्री एवं लाइब्रेरी की सुविधा जिला स्तर के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार की तैयारी हेतु जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सिविल जज की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु माननीय वरिष्ठ न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा।
- यूपीएससी. एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के पदों के लिए साक्षात्कार हेतु संभाग स्तर पर नि:शुल्क मार्गदर्शन संभागीय आयुक्त के द्वारा दिया जाएगा।
- सेना में भर्तियों की तैयारी के लिए भूतपूर्व सैनिकों (वर्दी संस्था) की सेवाएं प्राप्त की जाएगी।

8.8. आउटसोर्स एवं संविदा युवाओं का सुरक्षित भविष्य

- आउटसोर्स, संविदा, मानदेय पर शासकीय विभागों में कार्यरत युवाओं को सेवा से नहीं निकालेंगे।
- मानदेय बढ़ाने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता कांग्रेस सरकार चरणबद्व तरीके से आउटसोर्स व संविदा युवाओं को नियमित कर सरकारी कर्मियों की तरह मान सम्मान एवं सुविधा देकर उनके साथ न्याय करेगी।
- शासकीय विभागों में लंबी अवधि की आउटसोर्स, संविदा एवं मानदेय के आधार पर सेवाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा।

8.9 औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रांति से निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन

- मध्यप्रदेश को उद्योगों का हब बनाने के लिए मध्यप्रदेश की पहचान विश्वसनीय तथा निवेशक हितैषी राज्य के रूप में स्थापित हो, कागजी नहीं वास्तविक निवेश म.प्र. की धरती पर उतरे और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले यह कांग्रेस का लक्ष्य होगा।
- प्रदेश में कांग्रेस सरकार औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास की रोजगारमुखी नई नीति तैयार करेंगे।
- विनिर्माण क्षेत्र के वृहद उद्योगों एवं शत-प्रतिशत प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योंगों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे। इस हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाएंगे।
- रूपये 5 लाख करोड़ के निवेश को मध्यप्रदेश के धरातल पर उतारने की ओर बढ़ेंगे।
- प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 हजार नई औद्योगिक इकाईयो एवं 1 लाख एम.एस.एम.ई. ईकाईयाँ प्रारंभ कराने के लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे।
- **इलेक्ट्रॉनिक एण्ड टेक्नोलॉजी एवं आरर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स हब** - प्रदेश के युवाओं को रोजगार हेतु प्रदेश के चार महानगरों यथा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में सुव्यवस्थित आई.टी. पार्क बैंगलौर की तर्ज पर विकसित किये जाएगे, जिसके लिए रू. 1000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। इन आई.टी. हब्स में अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा जिनको प्राथमिकता एवं रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी एवं विभिन्न शासकीय अनुमतियों से छूट दी जाएगी।
- वेतन अनुदान रोजगार सृजन में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बड़े उद्योग एवं व्यावसायिक संस्थानों में अकुशल रोजगार 100 प्रतिशत अर्द्धकुशल 50 प्रतिशत प्रबंधकीय एवं तकनीकी कुशल 40 प्रतिशत प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाली संस्थानों को विशेष लाभ एवं वेतन में अंशदान उपलब्ध कराएंगे।
- सरकारी ठेकों में म.प्र. के प्रबंधकीय, इंजीनियर्स, आई.टी.आई. युवाओं को 90 प्रतिशत तक रोजगार देने वाले निविदाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा इसके लिए निविदाओं की शर्तों में प्रावधान जोड़ेंगे।

8.10 उद्यमी बनने की दिशा में बढ़ते कदम-स्वरोजगार

- युवाओं को उद्योगपति बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली लाभकारी एवं आकर्षित नई स्टार्टअप नीति तैयार कर लागू करेगी।
- प्रदेश में उद्यमिता विकास के लिए 1000 करोड़ रूपये का स्टार्टअप कारपस फंड स्थापित किया जाएगा।
- युवा उद्यमियों को 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक के ऋण सरल प्रक्रिया से उपलब्ध कराऐंगे।
- स्टार्टअप स्थापना के लिए सभी प्रकार की शासकीय अनुमतियॉ सामूहिक रूप से सिंगल विंडो पर सरलता से उपलब्ध कराऐंगे एवं स्टार्टअप को लागत पूंजी अनुदान, वेतन अनुदान, प्रशिक्षण, अनुदान, ब्याज अनुदान विद्युत शुल्क में छूट एवं करों में विशेष छूट दी जाएगी। भूमि/शेड आवंटन में प्राथमिकता के साथ-साथ बांडिंग में सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं 5 वर्ष तक सरकारी खरीद में प्राथमिकता देंगे।
- स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देंगे।

- इंक्यूवेशन सेंटर व इंक्यूवेशन सेन्टर संभाग स्तर पर खोलेंगे, इसके लिए 100 करोड़ रूपये का विशेष इंक्यूवेशन फंड निर्मित करेंगे। इंक्यूवेशन सेंटर के माध्यम से उद्योग, सेवा, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्र में स्टार्टअप स्थापना के लिए स्टार्टअप प्लान, बिजनेस प्लान, तकनीकी एवं कानूनी सहायता, नेटवर्किंग, फ्रेन्चाईजी उपलब्ध कराने, शासकीय अनुमतियॉ, वित्तीय सहायता एवं पूंजी के लिए निवेशकों से जोड़ेंगे के लिए उद्योग मित्र बनाए जाएंगे। उद्योग मित्र नये उद्यमियों तक पहुचेंगे एवं उनको उद्योग स्थापना में पूरी मदद करेंगे।
- **एग्रो स्टार्टअप** – कृषक उद्यमियों को कृषि आधारित नया स्टार्टअप प्रारंभ करने पर अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान, विद्युत एवं ब्याज अनुदान के साथ साथ शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देने के लिए नीति में प्रावधान करेंगे।

8.11 स्वरोजगार का सपना होगा साकार

- रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना प्रारंभ करेंगे। आरक्षित वर्गों के युवा उद्यमियों को उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में स्वरोजगार के अधिक अवसर देंगे।
- उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के लिए सरलता से 01 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण की सुविधा लागत पूंजी अनुदान, ब्याज एवं विद्युत अनुदान दिया जाएगा।
- कम लागत के व्यवसायों के लिए स्वरोजगार हेतु सरलता से 06 लाख रूपये तक के ऋण 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराएंगें।
- वंचित वर्ग के युवाओं को छोटी दुकान एवं व्यवसाय के लिए 50 हजार रूपये तक का ऋण बिना ब्याज पर उपलब्ध कराएंगे।
- अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के परम्परागत शिल्पकारों एवं कारीगरों को उनके कौशल के अनुरूप परम्परागत कार्य को करने के लिए सरलता से 06 लाख रूपये तक की परियोजनाऐं 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराएंगे।
- **ऑनलाईन शापिंग एवं घर पहुॅच सेवा** से जुड़े युवाओं को उनके कार्य के लिए वाहन ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे तथा इनका पंजीयन कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, दिव्यांग वित्त विकास निगम, महिला वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, अल्प संख्यक वित्त विकास निगम आदि के अध्ययन से युवाओं को सरलता से स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय करेंगे।
- भंडार क्रय नियमों में संशोधन कर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 25 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 25 प्रतिशत उनकी औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित माल की सरकारी खरीदी में आरक्षण देंगे।
- सरकारी निर्माण कार्यो एवं अन्य निविदाओं में 1 करोड़ लागत के निर्माण एवं अन्य कार्यों की निविदाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति को 25 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग के ठेकेदारों को 25 प्रतिशत ठेके आवंटित करेंगे। इन वर्गों के लिए निविदाओं में कार्य अनुभव, सुरक्षा निधि व टर्न ओवर की शर्तों में छूट देंगे।

8.12 स्मार्ट युवा मार्ट ''अपना व्यापार - अपना रोजगार''

- प्रदेश के प्रसिद्ध उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए स्मार्ट युवा मार्ट विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से समन्वय स्थापित कराएंगे एवं बिना बाधा के अनुमतियॉ देंगे तथा रूपये 50 लाख का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- शहरों एवं पर्यटन क्षेत्रों में हॉकर्स कार्नर एवं पार्लर **लघु स्मार्ट मार्ट** के रूप में विकसित कर युवाओं को आवंटित करेंगें।

8.13 ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार एवं रोजगार

ग्रामीण क्षेत्र के 10 लाख युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस सरकार -

- **राजीव गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क** ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे, इन पार्को में सूक्ष्म उद्योग के लिए भूमि/शेड विकसित कर आवंटित किये जाएंगे।
- **गांधी स्मार्ट खादी ग्राम** स्थापित किये जाएंगे। इन ग्रामों में खादी के नए प्रशिक्षण दिये जाएंगे तथा खादी के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा।
- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। 10 हजार वर्गफिट का भूखण्ड विकसित कर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पलम्बर, वेल्डर एवं कम्प्यूटर आदि ट्रेडों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित 5-5 युवाओं के समूह को आवंटित किये जाएंगे तथा रू. 10 लाख तक का ऋण रियायती ब्याज दर के साथ स्थानीय करों में छूट उपलब्ध कराएंगे।
- **किसान सुपर मार्केट एंव सेवा केन्द्र** -कृषक वर्ग युवाओं के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में एक -एक नया कृषि बाजार खोलने के लिए 5 एकड़ तक भूमि आरक्षित कर शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को आवंटित करेंगे। इन बाजारों में सभी प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, ट्राली, खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयाँ, सिंचाई के उपकरण, विद्युत उपकरण, एग्रोड्रोन एवं अन्य कृषि प्रयोजन के उपकरण उचित मूल्य एवं मानक के विक्रय एवं किराए पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा खाद, बीज, कीटनाशक भी विक्रय केन्द्र में उपलब्ध रहेंगे। इन बाजारों के विकास हेतु वित्तीय सहायता रियायती ब्याज दर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- आदिवासी क्षेत्रों में खनिज एवं वनोपज पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु आदिवासी युवाओं को विशेष अनुदान देंगे एवं रेत खदानें बेरोजगार मछुआरा एवं जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहकारी समिति/समूह को आवंटित करने के नियम बनाएंगे।
- अकुशल युवा जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना चाहते है उनको मनरेगा योजना से संबद्ध करेंगे, उनके जॉब कार्ड बनवाएंगे और प्रति वर्ष गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराऐंगे।
- अकुशल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवा जो शहरों में रोजगार के लिए आते है, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र की मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी रोजगार गांरटी योजना प्रारंभ करेंगे, उनके जॉब कार्ड बनवाएंगे और प्रति वर्ष गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराएंगे।

8.14 कौशल उन्नयन-दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि तथा रोजगारमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

- निजी क्षेत्र में रोजगारमुखी प्रशिक्षण औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में उनकी प्रबंधकीय एवं तकनीकी पदों के माँगे के अनुरूप युवाओं को दिलवाएंगे ताकि प्रशिक्षण के उपरांत उनके संस्था में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने की गारंटी रहेगी, इस पर होने वाला व्यय कांग्रेस सरकार उठाएगी।

- **ड्राईविंग स्कूल**- सैन्य बल, अर्द्ध सैनिक एवं पुलिस एवं भारी वाहन चालकों की माँग की पूर्ति के लिए हैवी वाहन यथा ट्रक, बस, क्रेन, डोजर, हार्वेस्टर, अर्थमूविंग, वाहनों का नि:शुल्क प्रशिक्षण देंगे। ऐसे निजी क्षेत्र के संस्थान जो रोजगार की गारंटी देंगे उनको प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी।
- **वर्दी मेरा अभिमान कार्यक्रम** प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत सुरक्षा भर्ती ट्रेनिंग सेन्टर के माध्यम से सेना, पुलिस, वन विभाग आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा निजी क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड की पूर्ति के लिए नि:शुल्क सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके संचालन का दायित्व भूतपूर्व सैनिकों की संस्था को सौंपा जाएगा।
- **गाईड प्रशिक्षण केन्द्र** - देश एवं प्रदेश के पर्यटन केन्द्रों एवं ट्रेवलर एजेंसियों की प्रशिक्षित गाईड की माँग की पूर्ति के लिए गाईड का नि:शुल्क प्रशिक्षण देने के साथ-साथ विदेशी भाषा एवं अन्य राज्यों की भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। इन केन्द्रों के संचालन का दायित्व पर्यटन बोर्ड को सौंपेगे।
- संजीवनी आयुर्वेदिक पंचकर्म केन्द्र स्थापित करेंगे। स्थानीय युवक-युवतियों को पंचकर्म का प्रशिक्षण देंगे। स्व सहायता समूहों के माध्यम से केन्द्र संचालित कराऐंगे। आवश्यक भूमि सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे एवं अनुदान देंगे।
- अकुशल युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर अकुशलों को कुशल बनाकर रोजगार की गारंटी की दिशा में योजनाबद्व रूप से कार्य करेंगे। विभिन्न रोजगार उन्नमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- **सहकार से रोजगार**- ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में 15 लाख युवाओं को सहकार से जोड़कर लुप्त हो रही परम्पराओं एवं धंधो को पुर्न जीवित करने, कृषि एवं उद्यनिकी (फल-फूल की खेती), फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पाद, वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, मत्स्य प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, हाथकरघा, सेवा व्यवसाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बैंकिंग व्यवसाय की गतिविधियॉ प्रारंभ की जाएगी। कांग्रेस सरकार इसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नई सहकारी संस्थाओं व स्व सहायता समूहों का गठन करने का अभियान चलाएगी।

8.15 विश्वसनीयता

आज का युवाओं को मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कमी एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं में की खामियों से शोषण का शिकार हमारा युवा वर्ग हो रहा है। युवाओं में विश्वास जागृत करने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध रहेगी।

स्वास्थ्य- युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि -

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक फिटनेस सेन्टर (योग एवं जिम) विधायक निधि से खोले जाएंगे, इसके लिए विधायक निधि नियमों को सरल बनाएंगे। इनके संचालन का दायित्व युवा क्लबों को दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रो में ऐथलीट ट्रेक एवं साईकिल ट्रेक बनाये जाएंगे
- जलाशयों एवं नदियों के किनारे तैराकी एवं नौकायान की सुविधा विकसित की जाएगी।
- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संघर्षों को दूर करने व चुनौतियों का सामना करने वाले युवाओं के लिए मार्गदर्शन एवं उपचार हेतु जिला चिकित्सालयों में मनोरोग विशेषज्ञों की पदस्थापना की जाएगी।
- नशा मुक्ति हेतु नि:शुल्क परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी तथा नशा मुक्ति हेतु जन जागरण शिविर नियमितरूप से आयोजित किये जाएंगे।

- सभी युवाओं को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से रू. 25.00 लाख तक का उपचार की सुविधा के साथ-साथ 10.00 लाख का दुघर्टना बीमा की सुविधा रहेगी।
- मानसिक स्वास्थ्य के उपचार हेतु प्रदेश में एक सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में अवसाद, व्यसन एवं नशीले पदार्थों के सेवन से उपजे मनोरोगियों के पुर्नवास एवं परामर्श की सुविधाएं रहेगी।
- कोविड-19 एवं अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त ऐसे युवा जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो गई है और वह जीवन के प्रति निराश हो गये है, उनमें मनोवैज्ञानिक पद्वति से उत्साहवर्धन कर उनमें स्फूर्ति पैदा करेंगे।

8.16 युवाओं के लिए उच्च शिक्षा - शिक्षित युवा-सक्षम युवा

- प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार न मिलने का मुख्य कारण 18 वर्षों में प्रदेश की उच्च शिक्षा के स्तर में आई गिरावट है। कांग्रेस सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बुनियादी स्कूल शिक्षा के ढ़ॉचे में परिवर्तन करेंगे।
- मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को **शिक्षा सह-रोजगार** केन्द्रित बनाएंगे।
- उच्च शिक्षा के संस्थानों मे इसके लिए ई-लर्निंग प्लेटफार्म विकसित किये जाएंगे। आधुनिक प्रयोगशाला व लाईब्रेरी की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित की जाएगी तथा युवाओं को वाई-फाई की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- कांग्रेस सरकार प्रदेश में दो इंजीनियरिंग, एक मेडिकल, एक आयुवेदिक, एक कौशल उन्नयन, एक मत्स्य और एवं खेल विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर खोलने की दिशा में युवाओं के हित में कदम उठाएंगे।
- देश में डिजिटल क्रांति को देखते हुए प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी संचालित की जाएगी।
- प्रदेश में सैन्य महाविद्यालय खोलने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक प्रदेश के युवा देश की सेना में सेवा देने हेतु तैयार हो सके।
- देश/विदेश में इंफॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्ट एवं सेवा के क्षेत्रों में रोजगार की माँग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें विदेशी भाषा का अध्ययन भी कराया जाएगा।
- निजी एजेन्सी के माध्यम से विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश एवं काउंसलिंग की प्रथा को समाप्त कर युवाओं के साथ न्याय करेंगे।
- विदेशों में उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए सभी वर्गों के विद्यार्थियों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को भेजने के लिए निर्धारित कोटा बढ़ाया जाएगा।
- आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार सर्वसुविधा युक्त नए छात्रवास खोले जाएंगे एवं छात्रावासों एवं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में लाईब्रेरी, बुक बैंक, वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ-साथ इन वर्गों को स्टेशनरी एवं अध्ययन से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक कोष गठित किया जाएगा।
- युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा सरलता से उपलब्ध कराएंगे।

- सभी आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु अधिनियम बनाएंगे। छात्रवृत्ति की दरें एवं परिवार की आय सीमा बढ़ाएंगे।
- शैक्षणिक संस्थानों तक रेल मार्ग से आने-जाने वाले युवाओं को रेल यात्रा का नि:शुल्क पास उपलब्ध कराएंगे।
- **प्रोफेशनल एजुकेशन हब** - राजधानी भोपाल में कोटा (राजस्थान) की तर्ज पर प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एजुकेशन हब बनाएंगे। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को आमंत्रित करेंगे। छात्रावास एवं लाइब्रेरी, वाई-फाई आदि की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को प्रशिक्षण की नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- कोचिंग के नाम से युवाओं के साथ हो रही धोखाधड़ी रोकने के लिए कानून बनाएंगे।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आईटीआई एवं जिले में एक पॉलिटेक्निक कालेज स्थापित किये जाएंगे।

8.17 युवाओं की भागीदारी

- **लोकतांत्रिक भागीदारी-**

  भारत में आज जो लोकतंत्र है, वह हमारे युवाओं के खून पसीनें से मिला है, इसके लिए कई युवा शहीद हुए। भविष्य में लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब युवाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र में रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस दिशा में रचनात्मक सोच के साथ युवाओं को जोड़ेगी:
- छात्र संघ के नियमित चुनाव पूर्ण पारदर्शिता से कराएंगे।
- त्रि-स्तरीय पंचायत राज, नगरीय निकायों, कृषि उपज मंडी एवं सहकारिता क्षेत्र में युवाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करेंगे।
- युवा संसद कार्यक्रमों का महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में नियमित आयोजन किया जाएगा।
- युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सामाजिक भागीदारी

- **राजीव गांधी समाज सेवा कार्यक्रम**- युवाओं में सामाजिक सेवाओं में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए राजीव गांधी सेवा मित्र क्लब गठित किये जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंध, सामाजिक बुराई के प्रति जागरूकता, नशामुक्ति आदि के क्षेत्र में जनजागृति हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा एवं समय समय पर शिविरों का आयोजन करेंगे।
- गरीबों की हितग्राही मूलक शासकीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुॅचाने के लिए राजीव गांधी सेवा मित्रों की सेवाएं ली जाएंगी।
- नेहरू युवा केन्द्रों के साथ समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर राजीव गांधी सेवा मित्र क्लब गठित किये जाएंगे जो नेहरू युवा केन्द्रों के साथ जुड़ कर कार्य करेंगे।

कला, साहित्य एवं रंगमंच में भागीदारी

- प्रत्येक जिले में प्रदेश के उभरते कलाकारों को रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- प्रदेश में एक फिल्म निर्माण सिटी बनाएंगे, ताकि कला, नाटक, गायन एवं नृत्य के क्षेत्र में उभरते कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके।

- युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके साहित्य के प्रकाशन एवं साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजन में कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान करेंगी।
- कला एवं साहित्य के क्षेत्र में युवाओं के लिए पृथक से विशेष पुरस्कार प्रारंभ किये जाएंगे।
- प्रदेश के लोक कलाओं से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- युवाओं कलाकारों की **कल्चर मैंपिंग** कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **प्रदेश के विज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी**- प्रदेश का नाम सूचना एवं प्राद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित कराने के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनको शोध एवं अनुसंधान के लिए हरसंभव मदद कांग्रेस सरकार करेगी।
- **प्रदेश के आर्थिक विकास में भागीदारी**- प्रदेश के नवनिर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए युवाओं को उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, वन , खनिज एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे एवं युवाओं को सशक्त बनाएंगे।
- **पर्यावरण एवं वन संरक्षण में भागीदारी**- युवाओं को प्रदेश के पर्यावरण को बनाऐ रखने एवं आदिवासी युवाओं को वन संरक्षण तथा उजड़े वनों के सुधार हेतु 5-10 एकड़ तक की वन भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित करने का प्रावधान लाएंगे।

8.18 युवाओं का मान सम्मान एवं स्वाभिमान-

प्रदेश के युवाओं के मान सम्मान एवं स्वाभिमान बनाये रखने के लिए कांग्रेस पार्टी-

- **नवीन युवा आयोग गठित** कर युवाओं के क्रमशः विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करेगा।
- **नई युवा नीति**- युवाओं को दिये गये वचन के अनुरूप नई युवा नीति बनाई जाएगी।
- **युवा कल्याण कोष का गठन**- आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद युवाओं को तत्काल आर्थिक सहायता के लिए युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में **युवा सदन** बनाए जाएंगे।
- **युवा कॉल सेन्टर गठित** प्रारंभ करेंगे।
- युवाओं को **निःशुल्क कानूनी** सलाह उपलब्ध कराएंगे।

8.19 युवाओं को पुरस्कार

- **चंद्रशेखर आजाद युवा पुरस्कार**- ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, रंगमंच, खेल, साहसिक कार्य एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रदेश एवं जिले का नाम को गौरवांवित करने वाले युवाओं को प्रतिवर्ष राज्य एंव जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा।
- **प्रदेश स्तर पर युवा रत्न** रूपये 2-2 लाख एवं जिला स्तर पर जिला युवा रत्न रूपए 1-1 लाख की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे।

8.20 युवाओं को आर्थिक सहयोग- युवाओं का स्वाभिमान बनाये रखने के लिए बेरोजगारी की स्थिति में कोई ऐसा अप्रिय कदम न उठाये और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इस हेतु ऐसे भूमिहीन एवं रोजगारविहीन परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवा जो रोजगार के लिए प्रयास कर रहे है, उन्हें योग्यतानुसार दो वर्ष तक रू. 1500 से 3000/- प्रतिमाह आर्थिक सहयोग कांग्रेस सरकार प्रदान करेगी।

9. खिलाड़ी की शान, एम.पी. की पहचान-

खेल प्रोत्साहन, खिलाड़ियों का सम्मान- कांग्रेस की पहचान

- **पदक लाओ-पद पाओ**

  ओलम्पिक, विश्वकप, एशियाड एवं कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेताओं को अधिकारी के पद पर सीधी नौकरी देंगे।

- **पदक लाओ-करोड़पति बन जाओ**

  ओलम्पिक, विश्वकप, एशियाड एवं कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को 5.00 करोड़ तक की सम्मान निधि देंगे।

- **पदक जीतो-कार जीतो**

  राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के विजेताओं को सम्मान में कार देंगे।

- **पदक जीतो-छात्रवृत्ति पाओ**

  खेलों को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश स्तरीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000/- रजत पदक विजेताओं को 1000/- एवं कांस्य पदक विजेताओं को 500/- प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति दो वर्ष तक प्रदान करेंगे।

- **खेल प्रशिक्षण नीति** - अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के मानकों के अनुसार प्रदेश के खिलाड़ियों एवं प्रतिभाओं के उत्कृष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। प्रतिभाओं का खेल विशेष के लिए कम उम्र में चयन व प्रशिक्षण की नीति पर काम करेंगे। महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रत्येक स्कूल में खेल सुविधा बढ़ाई जाएगी।

- युवाओं के मध्य क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग **(IPL)** की लोकप्रियता के अनुरूप **''मध्यप्रदेश की आई.पी. एल. टीम''** बनाने व प्रतियोगिता में उतारने हेतु सशक्त कदम बढायेंगे।

- **''राज्य स्तरीय ओलम्पिक''** प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे। प्रथम चरण में जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी,इसमें चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय ओलम्पिक में हिस्सा लेंगे ।

- मध्यप्रदेश के हाकी खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम ओलंपिक एवं एशियाड में गौरवान्वित किया था, ऐसे गौरव को पुनः पाने के लिए हाकी खिलाड़ियों के लिए ''**नए स्टेडियम**'' बनाएंगे तथा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक ''**खेल स्टेडियम**'' निर्माण वहां की खेल प्रतिभाओं की रूचि के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। एथलेटिक ट्रेक बनायेंगे एवं प्रशिक्षण हेतु कोच उपलब्ध करायेंगे।
- प्रदेश में तैराकी एवं कियाकिंग के खेल में कई प्रतिभाएं उभरकर सामने आई है, उनके लिए **भोपाल में ''आधुनिक तैराकी अकादमी''** स्थापित करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत केनो सलालम, कयाकिंग, केनोइंग लेन (KI, CI) की तैयारी के लिए ट्रैक लेन नर्मदा नदी के आंवली घाट एवं महेश्वर में बनाएंगे।
- प्रदेश में परंपरागत एवं स्वास्थ्यवर्धक खेल **कुश्ती एवं कबड्डी** खेल प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देंगे एवं कुश्ती के अखाड़ों को पुनर्जीवित करने हेतु उनको अतिक्रमण मुक्त करेंगे एवं अखाड़ों के नए मैदान तैयार करंगे। इसी तरह अन्य देशी खेलों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी प्रतियोगिताओं का समय-समय पर आयोजन करवाएंगे।
- खेल स्पर्धाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायेंगे और प्रशिक्षण की सुविधा हेतु महिला कोचों की संख्या अनुपातिक रूप से बढ़ायेंगे ।
- आदिवासी क्षेत्रों में **रानी दुर्गावती खेल परिसर** की स्थापना करेंगे एवं **टंट्या मामा खेल ओलम्पिक** आयोजित करायेंगे।

10. नारी की उन्नति, प्रदेश की प्रगति

10.1 महिला समग्र सशक्तिकरण

के

- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने लिए **नारी सम्मान योजना** के तहत प्रतिमाह रूपये 1500/- प्रदान करेंगे।
- नारी सम्मान योजना में **500 रूपए में रसोई गैस सिलेण्डर** उपलब्ध करायेंगे
- कांग्रेस सरकार नई **बेटी विवाह योजना** प्रारंभ करेगी जिसके अंतर्गत **रू. 1.01 लाख** की सहायता प्रदान करेगी। सामग्री के स्थान पर नगद राशि खाते में अन्तरित करेंगे।
- **विधवा विवाह प्रोत्साहन** हेतु पुन:विवाह पर **रू. 1.51 लाख** की सहायता देंगे।
- **वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं परित्यक्ता माताओं एवं बहनों को सामाजिक सुरक्षा हेतु रूपये 1200/- पेंशन** प्रतिमाह देंगे।
- महिलाओं की स्टार्टअप परियोजनाओं पर रू. 25 लाख तक की राशि 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करायेंगे एवं चिन्हित स्टार्टअप के बैंक ऋण पर सिक्योरिटी की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी ।
- **घर-बाड़ी-बाड़ा कार्यक्रम** - सभी वर्गो के क्षेत्रों के आवासहीन ग्रामीण परिवारों को आवास एवं बाड़ी-बाड़ा में (साग, सब्जी, कुक्कुट पालन व पशुपालन) से आजीविका हेतु 5000 वर्गफीट के भूखण्ड आवंटित करेंगे।
- महानगरीय बस सेवाओं में महिलाओं को यात्रा हेतु **नि:शुल्क पास** दिए जाएंगे।
- उद्योगों में प्रदेश की महिलाओं को 75% से अधिक रोजगार देने पर वेतन अनुदान प्रोत्साहन की नीति बनायेंगे ।

10.2 महिला समग्र सहभागिता

- सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की नीति पर कार्य करेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देने की नीति बनाई जाएगी।
- सहकारी समितियों के निर्वाचन एवं मनोनयन में महिलाओं को 50% पद देना सुनिश्चित किया जायेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को **नर्सरी शिक्षक** के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। नियमित सेवाओं की तरह वेतनमान देने के नियम बनायेंगे। प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि पदोन्नति एवं अन्य शासकीय कर्मियों की तरह सुविधाएं देकर न्याय किया जाएगा।
- आशा व ऊषा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में **मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों** का नया केडर बनाकर सरकारी सेवा से जोड़कर न्याय करेंगे।
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिला रसोईयों के मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी कर न्याय करेंगे।
- व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के रोजगार, समान वेतन, समान सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.3 महिला समग्र सुरक्षा

- **सुरक्षित महिला मध्यप्रदेश** के ध्येय पर कार्य करेंगे। महिला दुष्कर्म के मामलों में पिछले 18 वर्षों में मध्यप्रदेश का स्थान देश में निरंतर सबसे आगे रहा है। इस कलंक को मिटायेंगे।
- हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी। कांग्रेस सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानूनों का सख्ती से पालन कराएगी। थानों में विशेष महिला अपराध सेल स्थापित करेंगे, महिला अपराधों की स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित करेंगे तथा थानों में पर्याप्त महिला पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
- उत्पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों को एक ही छत के नीचे चिकित्सकीय, कानूनी, अभियोजन एवं पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिये **आशा समग्र केन्द्र** खोलेंगे एवं फरियादी महिलाओं को बैठने एवं प्रसाधन की सुविधा सुनिश्चित करेंगे ।
- महिलाओं की सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन में नि:शुल्क महिला सुरक्षा का एप **पिंक सुरक्षा एप** इंस्टाल करायेंगे। 181 हेल्पलाईन को प्रभावी बनायेंगे। सीसीटीवी. लगाकर स्मार्ट कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी।
- निराश्रित महिला, एकल महिला, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग एवं वृद्ध महिलाओं के गौरवपूर्ण और सुरक्षित जीवन के लिए नये कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- विवाह की विविध रीतियों को कानून के दायरे में लायेगें एवं विवाह पंजीयन अनिवार्य करेंगे, इससे विवाहित महिलाओं को सम्मान एवं सुरक्षा प्राप्त होगी।
- प्रवासी महिला कामगारों के लिए शहरों में पर्याप्त रैन बसेरा बनवायेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए **महिला हॉस्टल** संचालित करायेंगे।
- महिला कामकाजी क्षेत्रों में बच्चों के लिए **डे केयर सेन्टर (झूला घर)** खोलेंगे।
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षा संस्थानों को छोड़कर रात की पाली में महिला कर्मियों के लिए छूट का प्रावधान करेंगे।
- सायबर अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए **महिला सायबर सलाह एवं सुरक्षा जागरूकता अभियान** चलायेंगे ।

10.4 महिला समग्र शिक्षा

- कन्याओं को आंगनबाड़ी से कालेज तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- कन्याओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में एक **अहिल्याबाई विश्वविद्यालय** की स्थापना करेंगे।
- कन्याओं को स्कूल एवं कालेज आवागमन हेतु साइकिल वितरण करायेंगे एवं रेलयात्रा हेतु पास नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे।
- स्कूल शिक्षा में कन्याओं के ड्राप आउट की दर को कम करने के लिये उच्चतर माध्यमिक स्तर के नए स्कूल **सावित्री बाई फुले** के नाम से प्रारंभ करेंगे ।
- सभी वर्ग की कन्याओं के लिए **आदर्श कन्या छात्रावास** खोलेंगे, वर्तमान छात्रावासों में सीट वृद्धि करेंगे, छात्रावासों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा।
- सभी जिलों में **कन्या पॉलिटेक्निक** एवं **आईटीआई** स्थापित की जाएगी।
- बीएससी नर्सिंग की छात्राओं की परीक्षा संबंधी समस्या का निदान करेंगे।

- **रानी दुर्गावती बाल कन्या क्लब** – प्राथमिक स्कूल से उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल तक कन्या बाल क्लब का गठन कर नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, व्यायाम, सामान्य ज्ञान एवं कला आदि से कन्याओं को जोड़ेंगे।
- बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक संकाय में मैरिट में आने वाली कन्याओं को **मेधावी कन्या** के रूप में राज्य स्तर पर 2–2 लाख एवं जिला स्तर पर एक–एक लाख रूपये का नगद पुरस्कार देकर प्रति वर्ष सम्मानित किया जाएगा। कन्याओं की उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की योजना का विस्तार करेंगे।
- सरकारी स्कूल की छात्राओं को राज्य सरकार के मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं विधि महाविद्यालय में 10 प्रतिशत सीट आरक्षित करेंगे।
- महाविद्यालयीन कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु रियायती ब्याज दर पर सरल प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध करायेंगे।
- महिलाओं की प्रशासनिक, न्यायायिक एवं सेना के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था कन्या महाविद्यालय में करेंगे।

10.5 महिला समग्र स्वास्थ्य

- **स्वास्थ्य का अधिकार** – महिलाओं को स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
- महिलाओं के उपचार हेतु चिकित्सा परामर्श, जांच, दवाईयां, आयरन गोली, गर्भ निरोधक साधन 100 प्रतिशत टीकाकरण एवं प्रसूति की सुदृढ़ नि:शुल्क व्यवस्था सरकारी चिकित्सालयों में सुनिश्चित कराएंगे।
- प्रसूताओं को घर से चिकित्सालय तक आने जाने के लिए नि:शुल्क एम्बूलेंस की सुविधा को मजबूत किया जाएगा।
- **समग्र शुचिता कार्यक्रम** – मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी व्यवहार हेतु कन्याओं के स्कूल, कालेज, कन्या छात्रावास एवं कामकाजी क्षेत्रों में **सेनेटरी नेपकिन नि:शुल्क** उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इसकी जगह **मेन्स्ट्रूअल कप** के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं को प्रतिमाह एक दिवस का **मासिक धर्म अवकाश** देने के लिए नियमों में प्रावधान करेंगे।
- **समग्र महिला परामर्श केन्द्र** – महिला के स्वास्थ्य, महिलाओं के सुरक्षा संबंधी कानून, महिला शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार, घरेलू हिंसा, शोषण, भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह से संबंधित विषयों पर परामर्श देने के लिए केन्द्र खोले जाएंगे।
- कांग्रेस सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को **चाइल्ड केयर अवकाश** की स्वीकृति तत्काल दी जाएगी।

10.6 महिला का समग्र सम्मान एवं संस्कृति

- **इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार** की राशि बढ़ाकर 10.00 लाख करेंगे। महिला साहित्य के क्षेत्र में सुभद्राकुमारी चौहान, महिलाओं की शिक्षा एवं स्वालम्बन के क्षेत्र में **देवी अहिल्या बाई सम्मान,** शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में, **राज्यश्री सम्मान** एवं दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं महिला अपराध रोकने पर **रानी दुर्गावती पुरस्कार** क्रमश: रू. 5–5 लाख के नये पुरस्कार प्रारंभ किये जाएगें। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा रानी अवंती बाई, झलकारी बाई एवं सावित्री बाई फुले के नाम से भी राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे।
- महिलाएं संस्कृति की मुख्य प्रहरी और वाहक होती हैं। संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये **महिला उत्सव** का आयोजन प्रति वर्ष महिला दिवस पर करायेंगे एवं महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में रंगमंच की सुविधा देंगे।

- कांग्रेस सरकार प्रदेश की ऐसी महिला साहित्यकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई हैं, उनको प्रति माह रू.1.00 लाख की सम्मान निधि भेंट करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित मध्यप्रदेश की महिला साहित्यकारों को कांग्रेस प्रतिमाह रू.10,000/- सम्मान निधि देगी।
- कांग्रेस सरकार महिलाओं से जुड़े त्यौहारों पर उनको **विशेष अवकाश** की सुविधा देगी।

10.7 समग्र बालिका एवं बाल कल्याण ''बचपना हमारा अधिकार''

- बाल अपराध में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है, इसका कारण भाजपा सरकार की उदासीनता, अशिक्षा, गरीबी एवं बच्चों की समुचित रूप से परवरिश नहीं होना है। कांग्रेस सरकार बाल अपराधों की रोकथाम के लिए **बचपन बचाओ अभियान** चलाएगी। लावारिस, अनाथ बच्चों व भीख माँगने वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित करेगी, उनको शिक्षित करेगी व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
- बच्चों से जुड़े अधिनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे एवं बाल अपराधों के तुरंत निराकरण हेतु विशेष कोर्ट गठित किये जाएंगे।
- **बाल सुधार गृहों** का सतत निरीक्षण करेंगे। बाल मजदूरी को सख्ती से समाप्त करेंगें व बाल विवाह रोकेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों को **प्री नर्सरी** कक्षाओं की तरह संचालित करेंगे। इस हेतु आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **सुपोषण आहार व खिलौना बैंक** - कुपोषण की रोकथाम के लिए चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार एवं खिलौना बैंक स्थापित किये जाएंगे।

10.8 मेरी बिटिया रानी

- कांग्रेस पार्टी कन्याओं के उज्ज्वल एवं सुरक्षित भविष्य हेतु संकल्पित है। कन्याओं के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने, कन्याओं को उनके जन्म से लेकर उसके विवाह संस्कार तक तथा इस अवधि के बीच उसके पोषण-आहार, शिक्षा-रोजगार और स्वास्थ्य की गारण्टी के साथ एक निर्धारित अवधि तक कन्याओं को कुल रू. 2.51 लाख की राशि ''**मेरी बिटिया रानी**'' योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराएगी।

माताओं-बहनों की यही पुकार ।
अबकी बार कांग्रेस सरकार।।

11. खुशहाली मिशन

11.1 महिलाओं के स्व-सहायता समूह

- **खुशहाल परिवार** - कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर परिवार को खुशहाल परिवार बनाने के लिये वचनबद्ध है। परिवार में खुशियां परिवार की आय एवं रोजगार पर भी निर्भर करती है, इसके लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की न्यूनतम आय प्रतिमाह 15 हजार रूपए हो, यह कांग्रेस का प्रयास होगा।

11.2 इंदिरा गांधी स्व-सहायता समूह

- प्रदेश में **महिला स्व-सहायता समूहों** का गठन करेंगे । उनको सक्षम बनाने के लिए ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे तथा 1 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा ।
- **समूहों की चक्रीय निधि** (रिवाल्विंग फण्ड) को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार तक पहुंचाने एवं इस निधि के उपयोग की स्वतंत्रता देने की दिशा में कांग्रेस ठोस कदम उठाएगी।

11.3 इंदिरा गांधी कौशल उन्नयन एवं रोजगार -

- **गृहिणी स्वालंबन योजना** - महिलाओं को कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण केन्द्र 10-10 ग्राम पंचायतों का समूहों बनाकर डिजिटल यू-ट्यूब, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, गृह श्रृंगार, मेंहदी श्रृंगार, बुटिक, सिलाई, रंगाई, धुलाई, कढ़ाई, बुनाई, विक्रय कला, पाक कला, हस्तशिल्प, काष्ठ कला, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पाद, लघु वनोपज आदि विषय के प्रशिक्षण कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया जाएगा।
- नंदिनी गोशालाओं एवं **नंदिनी गोधन योजना** के संचालन एवं इसके अन्तर्गत उत्पादन, विपणन एवं व्यापार गतिविधियों से समूहों को जोड़ा जाएगा।
- स्व सहायता समूहों को नल-जल योजनाओं से जल वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपार्जन केन्द्र, वनोंपज के क्रय-विक्रय, ग्रामीण मध्यान्ह भोजन, स्कूलों के रख-रखाव, लाइब्रेरी (वाचनालय) डे-केयर सेन्टर, वृद्धाश्रम,झूला घर आदि के संचालन का दायित्व दिया जाएगा।
- महिलाओं के लिये निर्मित शुचिता केन्द्रों के संचालन दायित्व महिला स्व-सहायता समूहों को देंगे । समूहों को स्कूली गणवेश एवं सेनेटरी पेड के उत्पादन से जोड़ेंगे ।
- महिलाओं को बचत के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। स्व-सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के मध्य मुद्रा व्यवसाय करने के लिये नीति बनायेंगे एवं संरक्षण प्रदान करेंगे ।
- **इंदिरा गांधी खुशहाली महिला समूह परिसर** के निर्माण हेतु भूमि एवं भवन निर्माण पर अनुदान देंगे। पूंजी निवेश पर अनुदान, ब्याज एवं विद्युत में छूट तथा विभिन्न करों में छूट देंगे
- **इंदिरा गांधी खुशहाली महिला लघु वनोपज परिसर** - आदिवासी क्षेत्रों में खुशहाली लघु वनोपज परिसर को निर्मित करेंगे। इन क्षेत्रों की महिला समूहों को वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण से जोड़ेंगे ।
- **खुशहाल परिवार** से ग्राम व प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। प्रतिवर्ष 1 नवम्बर को **खुशहाल मध्यप्रदेश** कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

12. जन सेवक - सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर्स

''त्याग तपस्या ओर बलिदान, जन सेवक की यह पहचान''

शासन के कल्याणकारी कार्यक्रमों को निष्पक्ष भाव से जनता तक पहुँचाने, जनता की जानमाल की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने, शांति व्यवस्था को कायम रखने में लोक सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कांग्रेस पार्टी लोक सेवकों के मान सम्मान और उनके न्यायोचित अधिकार उनको मिले, इसके लिए कांग्रेस कृतसंकल्पित है।

कांग्रेस सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में जनसेवकों की विभिन्न माँगों पर न्याय संगत निर्णय लेंगे।

12.1 पेंशनभोगी जनसेवक

- कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे इसके लिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
- पेंशनर्स को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देंगे तथा एरियर्स का भुगतान कराएंगे।
- परिवार पेंशन की अर्हता सेवा कम करेंगे तथा परिवार पेंशन रिवाईज करने की अवधि करे 80 वर्ष से घटाएंगे।
- पेंशनर्स को अधिकतम आयु की छूट के साथ 25.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को समाप्त करेंगे।
- पेंशनर्स एवं नामांकित की मृत्यु होने पर उसके रोजगार विहीन दिव्यांग पुत्र एवं पुत्री व नाबालिक आश्रित को परिवार पेंशन का लाभ प्रदान करेंगे।
- सहकारी विभाग के कर्मियों एवं असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ से जोड़ने के लिए पेंशन नियामक प्राधिकरण का गठन करेंगे।
- विद्युत मण्डल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को शासकीय कोषालय के माध्यम से पेंशन उपलब्ध कराने की माँग पर न्याय करेंगे।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवानिवृत्त व्याख्याता/सहायक व्याख्याताओं को सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर पेंशन पुनरीक्षित कर भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।
- अन्य पेन्शनर्स की समस्याओं का निराकरण करेंगें।

12.2 पदोन्नतियां

- प्रदेश में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की रूकी हुई पदोन्नतियां माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन शीघ्र प्रारंभ करेंगे।
- पदोन्नतियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं लेंगे।

12.3 समयमान वेतनमान

- आरक्षित वर्ग, महिलाओं एवं दिव्यांग कर्मियों को पूर्व की भांति पदोन्नतियों का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
- नये शिक्षा संवर्ग की वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना पर न्याय करेंगे।
- निज सहायकों के पदोन्नति संबंधी बाधाओं को शिथिल करेंगे।
- पटवारियों की समयमान वेतनमान की माँग पर न्याय करेंगे।
- पदों के अभाव में पदोन्नतियां बाधित हो जाती हैं, इसके लिए समयमान वेतन का लाभ संपूर्ण सेवाकाल के चार चरणों में मिले इसका प्रावधान लाएंगे।

12.4 कर्मचारियों एवं अधिकारियों का बीमा

- सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल एवं निकायों के कर्मियों के परिवार सहित रू. 25.00 लाख का चिकित्सा बीमा एवं 10.00 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा।

12.5 वेतन एवं भत्ते

- सभी विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की लंबे समय से की जा रही माँग पर न्याय करेंगे इसके लिए **वेतन विसंगति निराकरण आयोग** का गठन करने का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
- पटवारियों, पुलिसकर्मियों, शीघ्र लेखकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, फार्मासिस्टों के ग्रेड-पे की माँग पर न्याय करेंगे।
- केन्द्र के समान महंगाई भत्ता तथा बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान, गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता आदि बढ़ती महंगाई की दरों को देखते हुए वृद्धि करेंगे।
- सभी निगम मण्डल के अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना भेदभाव के शासकीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देने का निर्णय लेंगे।
- 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि देंगे।

12.6 कर्मचारियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार एवं पुरस्कार

- लोक सेवकों को उनके आचरण के संबंध में शिकायत की जाँच उपरांत ही आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तथा गिरफ्तार करने का निर्णय लिया जाएगा, बिना जाँच के गिरफ्तारी न हो, इस संबंध में न्याय-संगत निर्णय लेंगे।
- कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करेंगे उनका मान सम्मान बनाए रखने एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको समय-समय पर सम्मानित किया जाएगा।
- विभागीय परीक्षाओं की बाध्यता का परीक्षण किया जाएगा जिन विभागों एवं पदों के लिए यह आवश्यक नहीं होगी उसे समाप्त किया जाएगा।

12.7 नियुक्तियां एवं पदनाम

- शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।
- अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगों के बैकलॉग पदों को भरने के लिए अभियान चलाएंगे।
- वाहन चालकों की नियमित भर्ती पुनः प्रारंभ करेंगे तथा पदनाम परिवर्तन उनकी माँग के अनुरूप किया जाएगा।
- चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्तियॉ प्रारंभ करेंगे तथा भृत्यों का पदनाम में परिवर्तन उनके मान सम्मान के अनुरूप करेंगे।
- शिक्षक संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन उनके माँग के अनुरूप करेंगे।
- शासकीय विभागों एवं निकायों में कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय केडर बनायेंगे, जिसके पदों की पूर्ति हेतु जिला स्तरीय चयन बोर्ड द्वारा की जायेगी। लिखित परीक्षा के आधार पर मैरिट बनेगी तथा आवश्यक होने पर साक्षात्कार के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत अंक रखेंगे।
- सरकारी नौकरियों की चयन परीक्षा के लिए निजी एजेन्सियों की सेवाओं को प्रतिबंधित करेंगे।

12.8 विभिन्न विभागों के कर्मियों की विभिन्न माँगें

- विभिन्न कर्मचारी संगठनों की समय-समय पर विभिन्न प्रकार की माँगों का निराकरण न्यायसंगत प्रक्रिया से निश्चित समय सीमा में करने के लिए स्थाई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। कर्मचारी आयोग द्वारा कर्मचारियों की लंबित माँगों का निराकरण समय-सीमा में हो, यह सुनिश्चित करेंगे।
- होम गार्ड सैनिकों को राज्य के कर्मियों के समान दर्जा देंगे। उनके वेतनमान में सुधार करेंगे तथा पुलिस बल में सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए पुलिस भर्ती नियमों में प्रावधान करेंगे।
- विशेष पुलिस बल एवं विशेष पुलिस शाखा के कर्मियों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जिला पुलिस बल में संविलियन एवं प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए नियमों में प्रावधान करेंगे।
- नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायतराज, सहकारी संस्थाओं, लघु वनोपज एवं मंडी कर्मियों को सरकारी कर्मियों का दर्जा देंगे।
- स्टेट फॉरेस्ट रेंज आफिसर्स के प्रशिक्षण काल व ग्रेड-पे की माँग पर निर्णय लेंगे।
- मंत्रालयीन कर्मचारियों की विभिन्न माँगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।
- अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति दिनांक से करते हुए पुरानी पेंशन की माँग पर न्यायसंगत निर्णय लेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तकनीकि शिक्षा विभाग आदि की विभिन्न माँगों को समय-सीमा में निराकृत किया जाएगा।
- कांग्रेस सरकार स्थाई कर्मियों की माँग पर न्याय करेगी।

12.9 कर्मचारी संगठन

- सभी विभागों में सभी स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की प्रत्येक 4 माह में बैठक कराते हुए सभी स्तर की समितियों को परिणाम मूलक बनायेंगे।
- कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संवादहीनता की स्थिति समाप्त करते हुए प्रत्यक्ष संवाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री/मंत्री स्तर से सतत् बनाये रखेंगे।
- मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के कार्यालयों के संचालन के लिए कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान करेगी तथा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को संरक्षण प्रदान करेंगे।

12.10 आदर्श स्थानांतरण नीति

- स्थानांतरण नीति कर्मचारियों के अनुकूल बनाएंगे जो व्यावहारिक और पारदर्शी होंगी।
- पंचायत स्तरीय पदों के लिए पृथक से स्थानांतरण नीति बनाएंगे जिसमें जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को स्थानांतरण संबंधी अधिकार देंगे।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण नीति बनाएंगे। अधिसूचित क्षेत्रों के स्थानांतरण का क्षेत्राधिकार आदिवासी विकास आयुक्त के अधीन होगा।
- शिक्षक, डॉक्टर्स, दिव्यांग एवं महिलाओं के गैर कार्यपालिक पदों पर प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं करेंगे।
- पुलिसकर्मियों को गृह जिले में पदस्थापना का प्रावधान किया जाएगा।

12.11 अनुकम्पा नियुक्तियाँ

- अनुकम्पा नियुक्तियों के लिए नये नियम विभिन्न कर्मचारी संगठनों के माँग के अनुरूप बनाए जाएंगे।
- नये अनुकम्पा नियुक्ति के नियम सभी शासकीय विभागों, निगम मंडल , निकायों, सहकारी संस्थाओं में भी लागू होंगे।
- अनुकम्पा नियुक्तियों के नये नियमों में शिशु अवस्था में दत्तक पुत्र/पुत्री को भी अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान जोड़ेंगे।
- अवयस्क वारिसों को भी अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देनें के लिए अवधि में छूट देंगे।

विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों ने कर्मचारियों के हितों में जो सुझाव दिये हैं, कांग्रेस पार्टी निम्नांकित संगठनों का आभार व्यक्त करती है –

- राज्य प्रशासनिक सेवा संघ
- म.प्र. शासकीय वाहन चालक संघ
- निगम मंडल अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय महासंघ
- म.प्र. लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ
- राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ
- मंत्रालय कर्मचारी संघ
- म.प्र. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ
- पेंशनर्स एसोसिएशन
- समग्र शिक्षा संघ
- म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस
- म.प्र. माध्यमिक शिक्षक संगठन
- म.प्र. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
- म.प्र. शिक्षक कांग्रेस
- राज्य शिक्षक संघ
- म.प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा
- म.प्र. लघु वेतन कर्मचारी संघ
- सपाक्स
- नगर निगम, नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी संघ
- म.प्र.भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी संघ
- म.प्र. विधानसभा कर्मचारी संघ
- म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
- पंचायत सचिव संगठन
- कर्मचारी मंच
- अपाक्स
- अजाक्स
- म.प्र. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ
- प्रांतीय शिक्षक संघ
- डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ
- तहसीलदार संघ
- म.प्र. राजस्व निरीक्षक संघ
- म.प्र. सहायक/शिक्षक संयुक्त मोर्चा
- राजपत्रित अधिकारी संघ
- न्यायिक कर्मचारी संघ
- नियमित शिक्षक संघ
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ
- म.प्र. वन कर्मचारी संघ
- म.प्र. पंजीयन अधिकारी कर्मचारी संघ
- म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ
- म.प्र. विद्युत मंडल अधिकारी/कर्मचारी संघ
- शेष सभी संगठन एवं संस्थाएं

13. अर्द्ध शासकीय सेवाओं के कर्मियों के साथ न्याय

13.1

- अर्द्धशासकीय कर्मी यथा-संविदाकर्मी/मानदेय पर कार्य करने वाले, अल्पकालीन वेतन भोगी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि कर्मी, निश्चित वेतनमान पर कार्य करने वाले कर्मी, ठेका कर्मी एवं आऊटसोर्स कर्मी आदि जो शासकीय कार्यों के निष्पादन में शासकीय कर्मचारियों की तरह अपनी सेवाऐं देते आ रहे है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी न्याय करेंगी।
- भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट लेने के लिए प्रलोभन हेतु मानदेय बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि मानदेय बढ़ाने एवं झूठे आश्वासन देकर भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। विगत 18 वर्षों से शोषण करते आए सत्तापक्ष ने केवल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ छलावा किया है, अतः इस बार उनसे सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी मानदेय के स्थान पर वेतनमान देगी। सभी अर्द्ध-शासकीय कर्मियों को शासकीय कर्मियों की तरह सम्मान देंगे, इसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है।

13.2 विभिन्न संगठनों ने विभिन्न विभागों में कार्यरत अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों द्वारा विभिन्न माँगें प्रस्तुत की गईं, जो कि निम्नानुसार हैं :

क्र.	विभाग का नाम एवं पद नाम	मुख्य माँगें
1.	**स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग** - बहुउद्देशीय जन स्वास्थ्य रक्षक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा एवं ऊषा पर्यवेक्षक, सफाई कर्मी, लेब अटेण्डर एवं संविदा एनएमएस. स्टाफ नर्स, रोगी कल्याण समितियों के कर्मी, खाद्य एवं औषधी के कर्मी- फार्मासिस्टों, टेली मेडिसन लैब के टेक्निशियन एवं प्रयोगशाला सहायक, आक्सीजन प्लांट केतकनीशियन एवं आयुष्मान भारत योजना के कर्मियों, एड्स नियंत्रण समिति के संविदा कर्मी, एवं नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मी, चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा विषय विशेषज्ञ), चिकित्सा अधिकारी, अधिकारी-यूनानी होम्योपैथिक, स्टाफ नर्स, एएनएम, पैरामेडिकल स्टॉफ-फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, रोगी कल्याण समिति के कर्मी, ई-हॉस्पीटल प्रोजेक्ट के कर्मी। कोविड 19 के स्वास्थ्य कर्मियों	नियमितिकरण, मानदेय बढ़ाने संबंधी, सरकारी कर्मियों की तरह भविष्य निधि खाते, रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन, शासकीय कर्मियों की तरह सुविधाएं, पेन्शन, अनुकम्पा नियुक्ति, एक मुश्त अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा आदि। सेवा में पुनः लिया जाकर नियमित किया जाएगा।
2.	**महिला एवं बाल विकास** - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक संविदाकर्मी, सफाईकर्मी आदि।	शासकीय कर्मियों की तरह वेतनमान, नियमितिकरण, मानदेय, अनुकम्पा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा एवं पदोन्नति आदि।

3.	**ग्रामीण विकास विभाग** – **पंचायत** – पंचायत सचिव,जनपद, जिला पंचायत के कर्मी, पंचायतों के भृत्य, सहायक परियोजना अधिकारी, डीआरडीए के कर्मी, वाल्व, पम्प आपरेटर आदि। **मनरेगा** – उपयंत्री, डाटा मैंनेजर, रोजगार सहायक, डाटा एंट्री आपरेटर, तकनीकी सहायक, सहायक प्रबंधक, सहायक मानचित्रकार, मेटकर्मी, लेखापाल एवं अंकेक्षक आदि। **वाटरशेड** के **कर्मी** – उपयंत्री एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी **राष्ट्रीय/आजीविका मिशन** – जिला प्रबंधक / परियोजना अधिकारी, कम्युनिटी मोबिलाईजर, क्लर्क, कम्प्यूटर आपरेटर्स, लेखापाल, भृत्य एवं सफाईकर्मी आदि। **ग्राम सड़क योजना** – यंत्री, कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा एंट्री आपरेटर, सफाईकर्मी आदि। **प्रधानमंत्री आवास योजना** – ब्लॉक समन्वयक, इंजीनियर, कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा एंट्री आपरेटर, सफाईकर्मी आदि। **संपूर्ण स्वच्छता मिशन** – जिला कंसल्टेन्ट, ब्लाक समन्वयक, कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा एंट्री आपरेटर, विकासखंड प्रेरक आदि। **मध्यान्ह भोजन** – क्वालिटी कंट्रोलर एवं रसोईया आदि।	पदनाम परिवर्तन, वेतनमान, नियमितिकरण, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, जिला स्तरीय पद पर पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन, मानदेय, अनुकम्पा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा पेंशन संबंधी आदि।
4.	**शिक्षा विभाग** – सभी शिक्षक संवर्ग, अध्यापक संवर्ग, अतिथि शिक्षक, कम्प्यूटर आपरेटर, योग शिक्षक, साक्षरता प्रेरकगण आदि। व्यावसायिक शिक्षक एवं प्रशिक्षक	नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता,नियमितिकरण, प्राथमिक शिक्षक पदो पर भर्ती, पुनः सेवा में रखने, अनुकम्पा नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमा, नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन आदि।
5.	**उच्च शिक्षा विभाग** – अतिथि विद्वान एवं चयनित व्याख्याता। जन भागीदारी एवं स्व वित्त अतिथि विद्वान	चयनित व्याख्याताओं के पदों का युक्तियुक्तकरण कर समायोजन करने संबंधी एवं अन्य माँग।
6.	**विद्युत मंडल/कंपनी**– आऊटसोर्स,मीटर वाचक, आऊटसोर्स लाईनमेन, आऊटसोर्स उपयंत्री, आऊटसोर्स लिपिक आदि।	वेतन बढ़ाने, नियमितिकरण, सेवा से पृथक न करने, अनुकम्पा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, निकाले गये कर्मियों को पुनः सेवा में लेने आदि।
7.	**राजस्व विभाग** – वसूली लिपिक, अंशकालीन लिपिक कम्प्यूटर आरपरेटर, भृत्य। **ग्राम पटेल**– गांव के पटेल **कोटवार**–	नियमितिकरण एवं वेतनमान। अनुकम्पा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा आदि। पूर्व की तरह सेवा में लेने, मानदेय देने संबंधी। पदनाम परिवर्तन, नियमित सेवा वेतन/मानदेय एवं भूमि संबंधी नियुक्ति में परिवार को प्राथमिकता

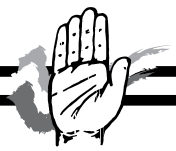

8.	**मंडी बोर्ड एवं कृषि उद्यांनिकी** - लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी, आऊटसोर्स कर्मी, सफाईकर्मी आदि।	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि। अनुकम्पा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, कर्मियों को पुनः सेवा में लेने, आदि।
9.	**सहकारिता विभाग** - बहुउद्देशीय समिति के प्रबंधक सेल्समेन अन्य कर्मी, म.प्र.सहकारी विपणन संघ के कर्मी, दुग्ध संघ कर्मी और वेयर हाऊस कर्मी राशन दुकान विक्रेतागण आदि।	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि। अनुकंपा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, कर्मियों को पुनः सेवा में लेने आदि।
10.	लोक सेवा केन्द्र एवं ई-गवर्नेंस	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
11.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं म.प्र. जल निगम के कर्मचारीगण	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
12.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं निगम के संविदा कर्मी	कमीशन बढ़ाने की माँग नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
13.	**पुलिस सेवा** - 100 डायल के कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
14.	**वन विभाग** - लघु वनोपज संमिति के प्रबंधक, वन सुरक्षा कर्मी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
15.	**लोक निर्माण विभाग** - संविदा व आउटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
16.	**नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत** - सफाईकर्मी, गोताखोर, नाव चालक, जलाशय सफाई कर्मी एवं अन्य सभी आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि। सरकारी कर्मचारी का दर्जा।
17.	जिला स्तर के निर्वाचन कर्मचारीगण	कर्मचारियों का नियमितिकरण ।
18.	**विधि एवं विधायी** - संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
19.	**श्रम विभाग** - संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
20.	**जनजातिय कार्य विभाग** - संविदा शिक्षक, लिपिक, चौकीदार, रसोईयॉ व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
21.	**कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि विभाग** - उद्यानिकी संविदा कर्मी, सफाई कर्मी, हेल्फर आदि।	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
22.	तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आई.टी.आई के अतिथि शिक्षक एवं अन्य कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
23.	पर्यटन विकास निगम के कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
24.	**जनसंपर्क विभाग** के कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
25.	**उद्योग विभाग** -संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
26.	**खनिज विभाग** - संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
27.	**वित्त विभाग एवं कोषालय** - संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
28.	**मत्स्य पालन विभाग** - संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।

29.	**परिवहन विभाग** – संविदा व आउटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
30.	**नर्मदा घाटी एवं जल संसाधन** – अमीन, संविदा व आऊटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
31.	**कुटीर एवं ग्रामोद्योग** – संविदा व आउटसोर्स कर्मी, कम्प्यूटर्स आपरेटर	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
32.	**सामाजिक न्याय** – संविदा व आउटसोर्स कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।
33.	पशुपाल एवं डेयरी	नियमितिकरण पशु चिकित्सालय।
34.	औषधालय के सफाई कर्मी एवं गौसेवक	इकाई 100 में सेवाऐं ली जाने संबंधी।
35.	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संगठन	पुनः सेवा में लेने संबंधी।
36.	समस्त निगम,मंडल, बोर्ड, संस्थाऐं एवं आयोग, सभी प्रकार के संविदा कर्मी व आऊटसोर्स कर्मी	वरिष्ठता का निर्धारण कर नियमितिकरण, वेतनमान, पदोन्नति व पेन्शन सुविधा।
37.	अन्य सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन लिपिक, सफाई एवं सुरक्षा कर्मी	नियमितिकरण एवं वेतनमान आदि।

सभी विभागों के संगठनों के प्रस्तावों के निराकरण की दिशा में कांग्रेस सरकार –

- **पहली कैबिनेट की बैठक** में माँगों के निराकरण एवं विभिन्न प्रकार के अर्द्धशासकीय कर्मियों की सेवाओं के नियमितिकरण व अन्य माँगों के लिए प्रस्ताव लाएंगे। जिसमें सभी के साथ न्याय हो। कांग्रेस सरकार इसके लिए न्याय संगत व्यवस्था स्थापित कर न्याय दिलाने हेतु **स्थाई आयोग** गठित करेगी जो कि समय पर विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रतिवेदन के निराकरण हेतु सिफारिशें देगा।
- माँगों के निराकरण का कैलेण्डर जारी करेंगे। मान एवं सम्मान बनाए रखने के लिए सभी निकायों के कर्मियों को शासकीय कर्मियों का दर्जा देंगे।
- मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल / विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनने वाले मकानों को क्रय करने हेतु भाड़ा क्रय की विशेष योजना लाएगे। स्वयं के लिए प्रथम बार आवास व वाहन क्रय हेतु बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे जिसकी गारंटी कांग्रेस सरकार देगी।
- सभी कर्मियों को शासकीय कर्मियों की तरह चिकित्सा बीमा, जीवन बीमा, मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि, सेवा निवृत्ति पर एक मुश्त राशि, अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा के साथ-साथ पेन्शन, अवकाश नकदीकरण पी.एफ. जमा करने, सभी मानदेय कर्मियों का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की दिशा में न्याय संगत निर्णय लेंगे।
- विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय पर कार्य करने वालों कर्मियों, आउटसोर्स, अनियमित कर्मियों को सीधी भर्ती में लेने के लिए भर्ती नियम में प्रावधान लाएँगे।
- शासकीय विभागों में ठेका, आउटसोर्स एवं मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मियों को सामूहिक रूप से सेवा से नहीं हटाया जाएगा।
- शासकीय विभागों में चरणबद्ध आऊटसोर्स, संविदा, मानदेय पर कार्य लेने की प्रथा समाप्त करेंगे।

14. गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिका

- NGO के स्वतंत्र अस्तित्व को बहाल करेंगे। किसी अन्य परिषद् में पंजीयन की व्यवस्था को समाप्त कर सीधे संबंधित विभाग के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करने को मान्यता देंगे।
- NGO को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, भिक्षावृति उन्मूलन, नशामुक्ति अभियान, परिवार कल्याण, परिवार परामर्श, ग्रामीण विकास, पोषण आहार, बाल श्रम, बाल विवाह, उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक सरोकार आदि कार्यों से जोड़ेंगे।
- कलेक्टर का उत्तरदायित्व निर्धारित कर NGO के नियमित निरीक्षण एवं अनुदान का भुगतान कराया जाएगा।
- भाजपा काल के NGO के माध्यम से भ्रष्टाचार से जुड़े कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा एवं जन अभियान परिषद के कार्य की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
- प्रदेश के पंजीकृत NGO के माध्यम से ही शासकीय योजना एवं सीएसआर फंड के कार्य कराए जाएंगे।
- प्रदेश के पंजीकृत NGO के प्रबंधकीय एवं गैर-प्रबंधकीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे तथा उनको पेंशन एवं स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- फर्म्स एवं सोसायटी अधिनियम में पंजीयन की जटिल प्रक्रिया को सरल करेंगे। फीस एवं पेनाल्टी की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे। प्रबंधकीय पदाधिकारियों को मानदेय प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम में संशोधन करेंगे।

15. सुरक्षित व्यापारी, सुखी व्यापारी

- प्रदेश के **व्यापारियों को सुरक्षा** सुनिश्चित करने में पुलिस की सकारात्मक भूमिका स्थापित करेंगे ताकि व्यापारियों को सुरक्षा व सम्मान मिले। व्यापारिक क्षेत्रों में पुलिसिंग एवं आधुनिक सर्विलेंस प्रारंभ करेंगे। व्यापारियों के लिये 24x7 हेल्प लाईन प्रारंभ करेंगे।
- विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नए व्यापार एवं उद्योगों के लिए दी जाने वाली अनुमतियों, लायसेंस, परमिट की प्रक्रिया सरल की जाएगी तथा ऐसी स्थाई व्यवस्था कायम करेंगे व्यापारी वर्गों को बार-बार नवीनीकरण की बाध्यता से छुटकारा मिल सके।
- राईस एवं दाल मिल्स व्यापारियों की समस्या का समाधान करेंगे।
- व्यापार सुविधा हेतु **बाजारों में पार्किंग व्यवस्था** एवं उत्तम सफाई व्यवस्था करेंगे।
- खाद्य सुरक्षा कानून, श्रम कानून आदि की जटिलताओं को दूर करेंगे एवं व्यापारियों को राहत देंगे।
- वेट संबंधी मामलों का शीघ्र निराकरण करायेंगे। मण्डी शुल्क एवं अन्य शुल्कों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।
- जीएसटी संबंधी विसंगतियों के निराकरण हेतु सहायता करेंगे।
- देशी बाजार को संरक्षण देंगे एवं महानगरों में थोक व्यवस्था को मजबूत करेंगे ।
- **व्यापार परिषद का गठन** करेंगे जिसमें सभी तरह के व्यापारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे ।
- **व्यापार श्री सम्मान** प्रारंभ करेंगे। प्रतिवर्ष नये, युवा व वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान करेंगे ।
- चेम्बर ऑफ कामर्स / डिक्की एवं अन्य व्यापार से जुड़े संगठनों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- व्यापारी वर्ग की विभिन्न माँगों का निराकरण करेंगे।
- वेयरहाउस उद्योग की समस्याओं का निराकरण करेंगे।
- बाजारों को व्यवस्थित करेंगे। आवश्यकतानुसार नए थोक बाजार विकसित करेंगे। 24 घंटे लॉजिस्टिक सुविधि उपलब्ध कराने की नीति पर कार्य करेंगे।

16. औद्योगिक मध्यप्रदेश

- ''**मध्यप्रदेश को उद्योगों का हब**'' बनाने के लिये मध्यप्रदेश की पहचान विश्वसनीय तथा निवेशक हितैषी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। कागजी निवेश नहीं, वास्तविक निवेश प्रदेश को धरती पर उतरे और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले यह कांग्रेस का लक्ष्य होगा ।
- प्रदेश में कांग्रेस सरकार **औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास की नई नीति** तैयार करेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र के वृहद उद्योगों एवं शत-प्रतिशत प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योंगो के लिए विशेष प्रावधान करेंगे।
- **5 लाख करोड़ रूपये के निवेश** को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे।
- कांग्रेस प्रदेश में **1 हजार नई औद्योगिक इकाईया** एवं **1 लाख एम.एस.एम.ई.** को प्रारंभ कराने का औद्योगिक विकास के कार्यक्रम चलाएगी।
- सेवा उद्योग के विकास के लिये **इन्दौर सिलिकॉन वैली परियोजना** लागू करेंगे, 100 एकड़ भूमि निवेश आकर्षित करने के लिये विकसित करेंगे।
- ग्वालियर, जबलपुर, कटनी एवं सतना में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये **विशेष औद्योगिक क्षेत्र** विकसित करेंगे ।
- **वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक की नई नीति** औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से परामर्श से बनाई जाएगी। राजधानी भोपाल को **मेगा लॉजिस्टिक सिटी** बनाने की दिशा में सशक्त पहल करेंगे ।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी निवेशकों के माध्यम से **राष्ट्रीय राजमार्ग औद्योगिक क्षेत्र** स्थापित करेंगे ताकि प्रदेश का देश के अन्य हिस्सों से संपर्कता का औद्योगिक लाभ मध्यप्रदेश को मिल सके।
- उद्योग संचालनालय के माध्यम से उद्योगपतियों की सुविधा के लिए संचालनालय को सरल बिजनेस केन्द्र के रूप में सक्रिय करेंगे। लघु उद्योगों को भूमि आवंटन के अधिकार उद्योग संचालनालय को वापिस प्रदान करेंगे। घनी आबादी में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादनरत लघु उद्योगों की लीज पर आवंटित भूमि को फ्री होल्ड

करेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योंगो को दोहरे विकास कर से मुफ्त करेंगे। भूमि के डायवर्सन की दरों में रियायत देते हुए डाइवर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। स्थानीयों को बढ़ावा देंगे।

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से ऊपर निवेश करने वाले उद्योगों को भूमि आवंटन, शासकीय अनुमतियां, जलप्रदाय, विद्युत की सुविधा के अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को वेतन अनुदान एवं पूंजी अनुदान उपलब्ध कराएंगे।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशल इंटेलिजेन्ट, रक्षा, एयरो स्पेस, रोबोटिक्स ड्रोन आदि के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता पर भूमि आवंटित की जावेगी एवं करों में छूट देने के साथ अन्य सुविधा देने के प्रावधान करेंगे।
- **डायमण्ड पार्क** - मध्यप्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादक के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हीरा कटिंग्स, पॉलिसिंग ज्वेलरी निर्माण की अपार संभावना है। कांग्रेस प्रदेश में **डायमंड पार्क** की स्थापना का अधूरा काम पूरा करेगी।
- **टैक्सटाईल हब** - टेक्सटाईल एवं जीनिंग के क्षेत्र में पुनः मध्यप्रदेश का नाम स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। कपास की मण्डी खोलने तथा निमाड़ एवं मालवा में एक-एक टेक्सटाईल हब का निर्माण करेंगे।
- **परिधान काम्प्लेक्स** - तैयार वस्त्रों के उत्पादन हेतु भोपाल, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम एवं ग्वालियर संभाग स्तर पर परिधान काम्प्लेक्स स्थापित किये जाएंगे।
- **पॉवरलूम एवं विशेष प्रक्षेत्र** - प्रदेश में पावरलूम की अपार संभावनाओं को देखते हुये रोजगार संवर्धन हेतु पावरलूमों के लिए बहुमंजिला शेड बनायेंगे। नये पावर लूमों को विद्युत में छूट एवं शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देंगे। **पावरलूम विशेष प्रक्षेत्र** बुरहानपुर, उज्जैन, निवाड़ी एवं जबलपुर में विकसित करेंगे।
- मध्यप्रदेश वित्त विकास निगम, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम तथा दिव्यांगजन वित्त विकास निगम को पुनः सक्रिय करेंगे, इसकी अंश पूंजी बढ़ायेंगे।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उद्योग स्थापना करने एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत रोजगार देने वाली इकाईयों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
- **मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम** - कांग्रेस सरकार में प्रचलित भण्डार क्रय नियमों को पुनः लागू करेंगे। सरकारी खरीद प्रदेश के उद्योगों से ही हो इसके लिए गुणवत्ता परीक्षण एवं मूल्य निर्धारण की व्यवस्था को मजबूत बनायेंगे। अजा, अजजा एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को 25 प्रतिशत तक सरकारी खरीदी से जोड़ेंगे।
- व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त करेंगे एवं उद्योगों को सुविधा विस्तार हेतु विभिन्न विभागों की अनुमतियाँ, लायसेस, डायवर्जन आदि की ऑनलाइन सरलीकृत प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जो अनुमतियां आवश्यक नहीं है, उसकी बाध्यता समाप्त करेंगे एवं नवीनीकरण की समय सीमा बढ़ाएंगे।
- **निवेशक मोबाईल एप** बनायेंगे, जिसमें निवेशक अपने विचार, सुझाव व समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। अनुबंधित वृहद निवेश परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिये **मुख्यमंत्री हॉट लाईन** स्थापित करेंगे ।
- सहकारी व अन्य क्षेत्र की बंद मिलों यथा डबरा शुगर मिल आदि की भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने की नीति पर कार्य करेंगें।

प्रदेशवासी माँगे उद्योग-व्यापार ।
अबकी बार कांग्रेस सरकार।।

17. कुटीर, रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग

- **गांधी खादी ग्राम** - महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के लक्ष्य को पाने के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं ग्रामोद्योग सशक्तिकरण के लिये कांग्रेस वचनबद्ध है। इस हेतु खादी एवं स्वदेशी उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उत्पादन किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश की पहचान **खादी उत्पादक प्रदेश** के रूप में हो, इस हेतु विशेष क्षेत्र विकसित करेंगे। खादी उत्पादकों के विक्रय पर 50 प्रतिशत तक छूट देकर खादी को प्रोत्साहित किया जाएगा। खादी के धागों की आपूर्ति हेतु **पोनी प्लाण्ट** लगाएँगे।
- **रेशम उद्योग** - मलवरी / कोसा सिल्क का उत्पादन बढ़ाएँगे तथा केला से सिल्क तैयार करने की आधुनिक तकनीक विकसित करेंगे। इस कार्य से महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ेंगे।
- हस्तशिल्प, बांस शिल्प, धातु शिल्प, काष्टकला, मिट्टी, कपड़ों की बुनाई, रंगाई-छपाई आदि परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने की नई नीति बनाई जाएगी। इन कुटीर उद्योगों को संरक्षण देते हुए इनके उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार विकसित किये जाएंगे। प्रदेश के बाहर विक्रय हेतु राष्ट्रीय स्तर के मेलों में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
- रीवा जिले के प्रसिद्ध सुपारी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करेंग। इस हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएँगे।
- प्रदेश में कालीन निर्माण एवं दरी बुनाई के उद्योंगों को प्रोत्साहित करेंगे।
- स्थानीय विरासत के उत्पाद जैसे ज़री, लाख की चूड़ियाँ आदि का महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र प्रारंभ करेंगे। नवगठित स्व सहायता समूहों को उत्पादन से जोड़ेंगे। प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों प्रारंभ करने हेतु **इंदिरा गांधी स्वावलंबन परिसर** स्थापित किये जाएँगे।

स्वदेशी बनाएँगे स्वदेशी अपनाएँगे।
स्वदेशी की राह पर प्रदेश लाएँगे।।

18. खनिज संपदा का उपयोग

- **गौण खनिज नीति** - खनिज क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गिट्टी ,पत्थर, मुरम एवं रेत आदि की खदाने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों एवं समूहों को आवंटित करने की नीति बनाएंगे। ग्राम पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे एवं आदिवासियों को अधिसूचित क्षेत्रों में उनके स्थानीय **स्वसहायता समूह एवं सहकारी समितियों** को आवंटित करने का प्रावधान जोड़ेगे।
- खेत में जमा रेत के उत्खनन एवं परिवहन हेतु नई किसान हितैषी व्यवस्था बनायेंगे।
- कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए **मिट्टी उत्खनन क्षेत्र** आरक्षित करेंगे तथा नि:शुल्क खनन की अनुमति दी जाएगी।
- **जिला खनिज कोष** के नियम में संशोधन करेंगे। इस **कोष** की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित क्षेत्रों के विकास तथा शेष हिस्सा उस विकासखण्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण आदि मद में उपयोग किया जाएगा।
- प्रदेश के भूगर्भ में खनिजों के भण्डार का समय-समय पर सर्वे कराएंगे। वन क्षेत्रों के समीप उपलब्ध खनिज का उत्खनन पर्यावरण को बनाए रखते हुए राज्य हित में करने की योजना बनाएंगे।
- खनिज उत्खनन से तालाब निर्माण करने एवं जहां तालाब निर्मित नहीं हो सकते, उन गड्ढों को भरवाकर वृक्षारोपण की जबावदारी पट्टेदार की निर्धारित की जाएगी।
- उद्योग स्थापना के नाम पर जहां खनिज पट्टा प्राप्त धारकों ने उद्योग स्थापित नहीं किए हैं उनके पट्टे निरस्त किये जाएगें।
- **अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन** - भाजपा के शासन काल में हुए खनिज घोटालों की जाँच कराएंगे। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण की दिशा में ठोस पहल कर **खनिज सम्पदा सुरक्षा दल** जिला स्तर पर बनाएंगे एवं सतत कार्यवाही करेंगे। इस तरह की गतिविधियों को सूचित करने वाले को संरक्षण एवं पुरस्कार देंगे। वन क्षेत्र एवं सामान्य खनिज क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जवाबदारी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की निर्धारित की जाएगी।

खनिज सम्पदा बचाएंगे।
प्रदेश में प्रगति लाएंगे।।

19. श्रम का सम्मान

19.1 मजदूर का अधिकार

- मध्यप्रदेश के नवनिर्माण में श्रम शक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को गारंटेड रोजगार सुनिश्चित करेंगे।
- श्रमिकों के त्याग और तपस्या का सम्मान करने के लिए प्रति वर्ष 1 मई को **श्रमिक सम्मान दिवस व श्रमिक उत्सव** मनायेंगे एवं **सार्वजनिक अवकाश** घोषित करेंगे।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम** - मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी में प्रचलित दरों के अनुसार वृद्धि करेंगे एवं नियमों में साप्ताहिक अवकाश एवं कार्य के घण्टे श्रमिकों के हितों को पुन: निर्धारित करेंगे।
- **श्रम सलाहाकार परिषद** को सक्रिय करेंगे तथा **श्रम सम्मेलन** आयोजित कराएंगे।

19.2 श्रमिक सम्मान निधि, पेंशन एवं बीमा

- 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रकार के श्रमिकों को रूपए **1200/- प्रतिमाह सम्मान निधि** उपलब्ध कराएंगे।
- **श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा** - श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा हेतु उनके भविष्य निधि खाते खोलेंगे एवं उनको अंशदायी पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराएंगे।
- श्रमिकों एवं उनके परिजनों का **25 लाख का स्वास्थ्य बीमा** एवं कमाने वाले श्रमिकों का **10 लाख का दुर्घटना बीमा** कराएंगे।

19.3 नया सवेरा योजना

- योजना को पुन: प्रारंभ करेंगे। संबल योजना के लाभ से वंचित श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे। इस योजना के दायरे में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक, फुटपाथ विक्रेता, फुटकर विक्रेता, घरेलू काम काजी महिला, मंडी के हम्माल, रेलवे के कुलीगण, खेतीहर मजदूर, मछुआरा श्रमिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पलम्बर, मिस्त्री, बढ़ई, शिल्पी, चरवाहा, वनश्रमिक, बीड़ी श्रमिक, खान श्रमिक, वाहन चालक, परिचालक, सभी तरह के मैकेनिक, रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक, उद्योगों में लगे श्रमिक एवं बंधक श्रमिक आदि आएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू गैस सैलेण्डर रू. 500 में, प्रसूति अवकाश सहायता रू. 10 हजार, अंत्येष्टि एवं अस्थि विसर्जन रू. 10 हजार, आकस्मिक मृत्यु होने पर रू. 10.00 लाख बीमा सहायता, नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति तथा भूमिहीन, आवासहीन लोगों को प्राथमिकता पर आवास आवंटन एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को रू. 1200/- प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उपरोक्त सभी श्रमिक स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते है तो उनको रू. 50 हजार का ऋण बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जाएंगा।

19.4 बंधक (बंधुआ) श्रमिक पुनर्वास

- बंधक श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु **बंधक श्रमिक मुक्ति अभियान** चलायेंगे व पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

19.5 प्रवासी श्रमिक सुरक्षा एवं सम्मान

- प्रवासी श्रमिक सुरक्षा एवं सम्मान योजना प्रारंभ करेंगे। प्रवासी श्रमिकों के सम्मान के लिए चेतुआ जैसे शब्दों का उपयोग प्रतिबंधित करेंगे।

19.6 श्रमिक वर्गों का सशक्तिकरण

- **बीड़ी बोर्ड** का पुर्नगठन करेंगे। बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। मजदूरी की दरों में वृद्धि करेंगे। नए बीड़ी उत्पादकों को बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम के दायरे में लाएंगे।
- **स्लेट उद्योग** एवं अन्य खनिजों के उत्खनन वाले क्षेत्रों में लगे मजदूरों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे एवं नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देंगे।
- साईकिल रिक्शा चालक, हाथठेला चालक, वाहन चालक एवं निजी वाहन चालक के लिए **परिचालक मंडल गठित** करेंगे।
- संनिर्माण कर्मकार मण्डलों की भूमिका का पुन: निर्धारण करेंगे। संगठित व असंगठित वर्गों के श्रमिकों के साथ समान व्यवहार अपनाने की नीति बनाएंगे। इनके कल्याण की संचालित योजनाओं में सहायता राशि बढ़ाएंगे। श्रमिक परिवारों के बेटे व बेटियों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ मेधावी विद्यार्थियों को **25 हजार रूपए की सम्मान राशि** भेंट कर सम्मानित करेंगे। संनिर्माण कर्मकार मण्डल एवं असंगठित श्रमिक मण्डल में पिछले 18 वर्षों व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु एसआईटी गठित करेंगे। श्रम स्कूल एवं श्रमिकों की बस्तियों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे एवं **बुनियादी सुविधाएं** उपलब्ध कराएंगे।
- कोविड काल के दौरान मजदूर परिवारों के मुखिया की अकस्मात मृत्यु होने से उनकी विधवा एवं अनाथ बच्चों को पेंशन उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ साथ भारत सरकार से मुआवजा दिलाने की पहल करेंगे।
- महानगरों एवं श्रमिक बाहुल्य स्थानों पर **आदर्श रैन बसेरे** श्रमिकों के लिए स्थापित करेंगे।
- श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं, नियोक्ताओं एवं साहसी श्रमिकों का प्रतिवर्ष **श्रमवीर पुरस्कार** से सम्मान करेंगे। सम्मान निधि के रूप में 5 लाख रूपए देंगे।

19.7 श्रमिकों के आवास

- शहरी क्षेत्र के बीड़ी, बुनकर, शिल्पकार, वाहनचालक, रिक्शा चालक आदि के लिए आवास कालोनी विकसित की जाएगी। श्रमिकों को पूर्व में आवंटित आवासीय भूखंड की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक देंगे।

19.8 श्रमिकों के हित में बंद उद्योग का पुन: प्रारंभ

- श्रमिक आधारित ऐसे सहकारी क्षेत्र के उद्योग जो पुन: प्रारंभ हो सकते हैं उसके लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी।
- सहकारी क्षेत्र के बंद उद्योग श्रमिकों के प्रस्तावों पर उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से पुन: प्रारंभ करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे।

19.9 **ऑनलाइन शॉपिंग** व **घर पहुंच सेवा** से जुड़े कर्मियों का पंजीयन कर उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम बनाएंगे।

20. सड़क, पुल तथा भवन निर्माण

20.1 सड़क निर्माण–भारत जोड़ो–मध्यप्रदेश जोड़ो सड़क परियोजना

- एक्सप्रेस–वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से मध्यप्रदेश के अंचलों को जोड़ने के लिए **भारत जोड़ो– मध्यप्रदेश जोड़ो** सड़क परियोजना आरंभ करेंगे । योजना अंतर्गत मार्ग निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुधार करेंगे। सड़कों की गुणवत्ता परिवहन की अनुकूलता पर आधारित होगी।
- केन्द्रीय सड़क निधि एवं नाबार्ड से जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें तत्काल प्रारंभ कराएंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं उन्नयन के लिए विशेष प्रयास कर जो बाधाएं है, उनको दूर करेंगी।
- छोटी महानदी पर रामनगर तहसील क्षेत्र में उमरिया जिले को जोड़ने के लिए वृहद पुल का निर्माण करेंगे एवं मार्कण्डेय घाट बनवाएंगे।

20.2 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण परियोजना

- कांग्रेस सरकार प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नदी एवं नालों पर पुल एवं पुलियाओं के नवीन निर्माण एवं सुधार को प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के लिए **मुख्यमंत्री सेतु निर्माण परियोजना** प्रारंभ करेगी।
- ऐसे ग्राम जो वर्षा के कारण मुख्य मार्गों से कट जाते है, उन ग्रामों में पुल एवं पुलियों के कार्य को प्राथमिकता देंगे, जर्जर पुल एवं पुलियों की मरम्मत करेंगे। रेलवे लाइनों के कारण यातायात बाधित न हो ऐसे चिन्हित स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पिछले 18 वर्षों में निम्न स्तर के बनाये गये पुलों की जाँच कराएंगे।

20.3 ट्रामा सेंटर – टोल मार्गों पर दुर्घटना में घायलों के त्वरित उपचार के लिए टोल नाका कंपनियों के माध्यम से ट्रामा सेंटर तक पहुँच के लिए प्रशिक्षित स्टाफ सहित सुविधायुक्त एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करायेंगे। टोल मार्गों पर ट्रामा सेंटर विकसित करायेंगे ।

20.4 निविदा एवं निविदाकार

- प्रदेश के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को सिविल ठेकेदार के रूप में तैयार करने हेतु सिविल कार्यों की निविदाओं की शर्तों को शिथिल करेंगे।
- 100 करोड़ से कम राशि के ठेके प्रदेश की कम्पनियों/ठेकेदारों को प्राथमिकता पर देने के लिए नियमों में प्रावधान करेंगे।
- पिछड़े वर्ग को 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को 25 प्रतिशत के ठेके एक करोड़ की लागत तक के देंगे तथा अनुभव, कार्य करने की क्षमता एवं अमानत राशि में रियायत के लिए निविदाओं में संशोधन करेंगे।

20.5 शासकीय भवन एवं परिसम्पत्तियाँ

- कांग्रेस द्वारा सभी शासकीय भवनों के रखरखाव का दायित्व तकनीकी विभागों को ही दिया जाएगा ताकि गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो एवं घटिया कार्यों एवं अग्नि काँड से होने वाली जन–धन की हानि को रोका जाएगा।
- भाजपाकाल में सरकारी भवनों को तोड़कर निजी कंपनियों को आवंटित भूमि व मिट्टी मोल बेची गई अन्य सम्पत्तियों की कांग्रेस द्वारा जांच कराई जाएगी।
- **सर्वेयर एवं आर्किटेक्ट सेवाएं** – प्रदेश की अधोसंरचना के निर्माण एवं भूमि के सर्वे हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों, कम्पनियों को मान्यता देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इनको मान्यता देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी।

21. स्वच्छ जल का अधिकार

- **जल का अधिकार कानून** - स्वच्छ पेयजल को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए **जल का अधिकार कानून** बनायेंगे, हर घर को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- जलकर की जनहितैषी समीक्षा कर रियायत पर निर्णय करेंगे।
- पेयजल सुनिश्चित कराने के लिए जल निगम को सक्षम बनायेंगे ।
- पेयजल योजनाओं के लिए पृथक से विद्युत आपूर्ति करेंगे ताकि पेयजल वितरण बाधित न हो । विद्युत दरों के युक्तियुक्तकरण पर कार्य करेंगे ।
- ग्रामीण क्षेत्र की नल-जल योजनाओं के विद्युत देयकों का भुगतान करके व्यवस्था को नियमित करेंगे । महिला स्व-सहायता समूहों को तकनीकी एवं वित्तीय प्रशिक्षण देकर योजनाओं के संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सौंपने की ओर बढ़ेंगे ।
- **जल संरक्षण** एवं **जल संग्रहण** पर योजनाबद्ध रूप से कार्य करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग की नई तकनीकों को अपनायेंगे एवं बारिश के पानी को घरों में ही संग्रहित करने का अभियान चलायेंगे।
- जल निगम की राशि से कौशल उन्नयन के नाम से हुए घोटाले की जाँच करायेंगे।

22. सस्ती सुलभ बिजली का अधिकार

- **इंदिरा गृह ज्योति योजना** - 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हॉफ दर से बिजली देंगें।
- विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु डायल सेवा प्रारंभ करेंगें।
- उपभोक्ताओं के अधिक राशि के बिलों एवं विद्युत लाईनों की खराबी की शिकायतों का त्वरित निराकरण हेतु तहसील स्तर पर साप्ताहिक विद्युत अदालतें आयोजित की जाएंगी एवं विद्युत उपभोक्ता सेवा केन्द्रों को सक्रिय करेंगें।
- विद्युत अधिनियम की धारा 135-138 को जमानती बनाने हेतु कार्यवाही करेंगे ।
- **विद्युत नियामक आयोग का पुनर्गठन** करेंगे, जिसमें किसान, उद्योगपति एवं घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व देंगे।
- शहरों के विकास के कई रहवासी क्षेत्र हाई टेंशन लाइनों के नीचे आ रहे हैं, ऐसी लाइन को हटाने के लिये कार्यक्रम तैयार कराएंगे।
- परंपरागत ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा तथा अन्य गैर परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम बनायेंगें एवं अनुदान उपलब्ध करायेंगे। सिंचाई पम्पों को पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा से जोड़ते हुये अनुदान राशि बढ़ाएंगे।
- विद्युत विभाग के कर्मियों की पदोन्नति एवं पेंशन की माँगों पर न्याय करेंगे।

23. पर्यटन विकास

23.1 रोजगारमूलक पर्यटन उद्योग नीति

- कांग्रेस सरकार **मध्यप्रदेश में रोजगारमूलक पर्यटन उद्योग नीति** बनाएगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए प्रदेश के युवाओं को पर्यटन उद्योग से जोड़ेंगे ।
- नीति में पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डर्स यथा- ट्रेवल एवं टूर आपरेटर्स, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, स्थानीय उत्पादों के उत्पादक एवं विक्रेताओं आदि को सुविधा देने के लिए प्रावधान करेंगे।
- **साहसिक पर्यटन** को बढ़ावा देंगे। होमस्टे, फार्मस्टे व ग्रामीण पर्यटन गतिविधि का विस्तार करेंगे।

23.2. नवीन ईको पर्यटन नीति

- नवीन ईको पर्यटन नीति को प्रदेश की अद्वितीय वन संपदा के अनुरूप बनाकर प्रदेश के क्षेत्रों में ईको पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए लागू करेंगे इसमें शिक्षित बेरोजागर आदिवासियों को जोड़ेंगे।
- प्राकृतिक स्थानों के निकट वन्य क्षेत्रों के निकट **कैंपिंग साईट** विकसित करेंगे। रोजगार से जोड़ेंगे।
- बफर जोन में पर्यटकों के लिए संचालित गतिविधियों की अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे ।

23.3 **हेल्पिंग सिंगल विंडो** - कांग्रेस सरकार पर्यटन सम्बंधी समस्त अनुमतियों को सरलता एवं सुगमता से देने के लिए **हेल्पिंग सिंगल विंडो** सुनिश्चित करेगी।

23.4 **मध्यप्रदेश हाट** - देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर दिल्ली हाट की तर्ज पर **मध्यप्रदेश हाट** विकसित किये जायेंगे।

23.5 **जल पर्यटन**- आधुनिक सिवरेज एवं गार्वेज मैनेजमेन्ट आधारित प्रदूषण मुक्त जल पर्यटन नीति विकसित करेंगे। जलाशयों एवं नदियों में **जल पर्यटन** से स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित करेंगे। सुरक्षित नाव चालन सुनिश्चित करने के लिए तैराकों को नौका चालन की नि:शुल्क अनुमति देंगे। नाव संचालन में ठेका व्यवस्था को समाप्त करेंगे।

23.6 प्रदेश में **स्वच्छ पर्यटन** को प्राथमिकता देंगे व **ड्राईव फॉर क्लीन टूरिज्म** चलायेंगे ।

23.7 प्रदेश के पर्यटन स्थलों में **हेलीकाप्टर सेवाओं व सी प्लेन सेवाओं** का संचालन करायेंगे ।

23.8 **मध्यप्रदेश फिल्म (पर्यटन) नीति** को फिल्म निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कर मध्यप्रदेश को फेवरेट फिल्म डेस्टीनेशन बनायेंगे एवं प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाएंगे।

23.9 **होटल एवं टूरिस्ट होटल** - स्थापना हेतु अनुमति की प्रक्रिया सरल करेंगे एवं शिक्षित बेरोजगारों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।

24. शिक्षा का अधिकार

24.1 कांग्रेस सरकार प्रदेश का भविष्य गढ़ने वाले बच्चों की बुनियाद मजबूत करने के लिये प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। केजी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा हेतु उच्च गुणवत्ता पूर्ण नि:शुल्क शिक्षा प्रदान के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है।

24.2 **शिक्षा आयोग**– केन्द्र की नई शिक्षा नीति प्रदेश के हित में प्रतीत नहीं होती है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु पाठ्यक्रमों में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कूली शिक्षा आदि को देखते हुए प्रदेश की नई शिक्षा नीति तैयार कर लागू करने हेतु शिक्षा आयोग का गठन करेंगे।

24.3 शाला

- सभी विधानसभा क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के **राज्य नवोदय विद्यालय** प्रारंभ करेंगे। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस एवं कम्प्यूटर लैब की सुविधा दी जाएगी।
- संभागीय मुख्यालय पर **राज्य सैनिक स्कूल** संचालित किये जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन में सेवानिवृत्त सेना के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
- कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालयों की तर्ज पर **सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालय** खोले जायेंगें।
- शिक्षा की गारंटी के अंतर्गत व्यावसायिक व रोजगार परक शिक्षा–दिक्षा को बढ़ावा देंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों के बंद स्कूल जिनमें 40 से अधिक बच्चे हैं, पुन: प्रारंभ करेंगे।
- शिक्षकविहीन शालायें न रहें इस हेतु शिक्षकों की भर्ती एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सशक्त कदम उठायेंगे।
- संस्कृत, सिंधी एवं ऊर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करेंगें।

24.4 शैक्षणिक गुणवत्ता एवं व्यवस्था में सुधार

- शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों के परिणाममूलक आधुनिक प्रशिक्षण करायेंगे। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को सक्रिय करेंगें।
- स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु **डेमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग पद्धति** अपनाएंगे। स्कूलों में 5जी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कक्षाओं को **डिजिटल क्रांति** से जोड़ेंगे। पठन–पाठन को सुगम बनाने हेतु **सिमुलेशन तकनीक** का इस्तेमाल करेंगे।
- **प्रदेश** के **स्कूलों में हॉबी क्लास** – खेल, योग, गुड फूड हेबिट तथा सर्वधर्म प्रार्थना सुनिश्चित करेंगे। खेल प्रतियोगिताऐं आयोजित करेंगे ।
- **शासकीय स्कूलों की अधोसंरचना** – स्कूलों की कक्षा, शौचालय, प्रयोगशाला, उच्चस्तरीय लाईब्रेरी, खेल मैदान व खेल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कांग्रेस वचनबद्ध है।
- पाठ्यक्रम में म.प्र. की गौरवगाथा का इतिहास प्रदेश के सभी समाजों के महामानवों एवं उनकी कला संस्कृति आजादी के दीवानों का पराक्रम, पर्यावरण संरक्षण, यातायात प्रबंधन एवं बागवानी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

24.5 छात्र-छात्राओं को सुविधा

पढ़ो और पढ़ाओ योजना

- सरकारी स्कूलों में प्रवेश एवं शिक्षा के प्रति बच्चों को आकर्षित करने, धन अभाव के कारण बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित न हों, ड्रॉपआउट कम करने तथा हर बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त करे सके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कक्षा-1 से 8वीं तक 500/-, कक्षा-9वीं से 10वीं तक 1000/- तथा कक्षा-11वीं से 12वीं को 1500/- प्रतिमाह पात्र बच्चों को सहायता हेतु नई **पढ़ो और पढ़ाओ योजना** प्रारंभ करेंगे।
- सत्रारम्भ में ही **वार्षिक अकादमिक कैलेण्डर** घोषित करेंगे जिसमें अकादमिक, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं परीक्षाओं के आयोजन का उल्लेख रहेगा। शिक्षकों को अन्य प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखा जाएगा।
- प्रदेश के शासकीय स्कूलों में राष्ट्रीय भावना के अनुरूप गणवेश एवं पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। स्कूलों में यौनिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करेंगे ।
- **छात्रवृत्ति के भुगतान का अधिकार अधिनियम** लागू करेंगे।
- रेलमार्ग से अप-डाउन करने वाले विद्यार्थियों को मासिक रेलवे पास की सुविधा उपलब्ध करायेंगें।
- **नेहरू बाल क्लब** की स्थापना करेंगें। प्रदेश के होनहार बालक/बालिका भविष्य में देश, प्रदेश की सेवा करने, सेवा के लिए दिशा तय करने के लिये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के केरियर गाइडेंस हेतु 3 दिवसीय शिविर लगाएंगे। नेहरू बाल क्लब के माध्यम से Exposure to Vocational Education शालाओं में आयोजित करेगें।
- हाई स्कूलों में **इनोवेशन एवं तकनीकी ट्रांसफर केम्प** आयोजित किये जायेंगे जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी जायेगी ।
- स्कूलों में पौष्टिक मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया जाएगा तथा मध्यान्ह भोजन बनाने का दायित्व स्थानीय स्व सहायता समूहों को देकर ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे।

24.6 पालकों का संरक्षण

- शिक्षा का व्यावसायीकरण रोकने की दिशा में काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने की नीति पर कार्य करेंगे ।
- फीस की दरों को युक्तियुक्त करने के लिये नीति बनायेंगे। निजी स्कूलों द्वारा बार-बार पाठ्यक्रम बदलने, पुस्तकों एवं गणवेश की खरीदी एक दुकान से खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा कर अनिवार्यता को समाप्त करेंगे।

24.7 निजी शैक्षणिक संस्थाएं

- निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थाई अनुमति प्रदान करेंगे तथा प्रति वर्ष निरीक्षण कराएंगे। उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देंगे। वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के रूप में मान्यता देंगे।
- परीक्षाओं को लेकर छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु 24×7 हेल्पलाईन को प्रारंभ करेंगे तथा पेपर लीक तथा अनिमितताओं पर सख्ती से रोक लगाने हेतु कानून बनाएंगे।

25. उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु **उच्च शिक्षा की नई नीति** बनाएंगे। इस हेतु **नीति सलाहकार समिति** का गठन करेंगे जिसमें सभी स्टेक होल्डर को सम्मिलित करेंगे ।
- विश्वविद्यालयों का स्वरूप **शिक्षा सह रोजगार केन्द्रित बनायेंगे**। उच्च शिक्षा में कई ऐसे पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जो विगत 30 वर्षों से अधिक पुराने हैं। उनके स्थान पर नए रोजगार परक शिक्षा एवं बाजारों में माँग के अनुरूप शिक्षा देने को बढ़ावा मिले, इस हेतु व्यवसायियों, तकनीकी विशेषज्ञों व उद्योग प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के माँगों व सुझावों के आधार पर **रोजगारमूलक व्यावसायिक पाठ्यक्रम** प्रारंभ किये जाएंगे।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों को देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में स्थान दिलाने के लिये विश्वविद्यालयों में शिक्षा की उत्कृष्ट गुणवत्ता व अधोसंरचना विकास करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा को लागू करेंगे एवं विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी।
- मध्यप्रदेश में **विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना** की ओर सशक्त कदम उठायेंगे ताकि ग्लोबल एजुकेशन को बढ़ावा मिले ।
- प्रदेश में **ट्रायबल विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय, एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर राज्य विधि विश्वविद्यालय** खोले जाएंगे।
- **भारतीय संस्कृति संस्थान** प्रारंभ करेंगे। भारतीय वेद, उपनिषद, धर्म व आध्यात्म, ग्रन्थ, इतिहास, संस्कृति, भारतीय चिकित्सा पद्धति व योग के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान का अवसर विद्यार्थियों को मिलेगा।
- **भाषा विज्ञान संस्थान** स्थापित करेंगे, जिसमें विदेशी भाषाओं, भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं एवं प्रदेश की आदिवासी भाषाओं के अध्ययन शोध व अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति एवं अध्ययन संस्थान** स्थापित करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन एवं गांधी विचारधारा का साहित्य अध्ययन एवं शोध के लिए फेलोशिप प्रदान करेंगे।
- **एकेडमिक कैलेण्डर** सत्रारम्भ में ही जारी करेंगे, जिसमें अकादमिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षा, परिणाम आदि के लिए तिथियों की घोषणा सुनिश्चित करेंगे।
- **ऑनलाईन डिजिटल एजुकेशन** व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। दूरस्थ अंचलों में गुण्वत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिये **''ई-शिक्षा''** को सशक्त बनायेंगे।
- महाविद्यालयों में **आई.सी.टी.** आधारित **शिक्षा प्रणाली व स्मार्ट क्लास रूम** विकसित करेंगे। फ्री वायफाय की सुविधा प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक जिले में 1 कॉलेज को **मॉडल एडवांस कॉलेज** के रूप में विकसित करेंगे।
- महाविद्यालय में **प्रयोगशालाओं का उन्नयन** कर स्तर बढ़ाएंगे। नवाचार कार्यक्रम एवं नए अविष्कार के लिए विद्यार्थियों को वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगे।
- शोध एवं अनुसंधानों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के नए आविष्कारों को पेटेन्ट कराएंगे एवं व्यवसायिक उपयोग के लिये प्रावधान बनायेंगे एवं महाविद्यालयों में **इनोवेशन एवं तकनीकी ट्रांसफर केम्प** आयोजित किए जाएंगे।
- विश्वविद्यालय मुख्यालय से दूरी के आधार पर सम्बद्ध महाविद्यालय में **हेल्प डेस्क** स्थापित कर छात्रों की माईग्रेशन, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र व परीक्षा सम्बंधी आदि समस्याओं का निदान कराने की व्यवस्था करेंगे।
- विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार व अवैध नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 में चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।
- विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त व्याख्याता, अध्यापक एवं कर्मचारियों की पेंशन संबंधी माँगों एवं वेतनमान का निराकरण करेंगे। पढ़ाई की व्यवस्था कर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क में प्रदेश के युवाओं को छूट प्रदान करेंगे। फीस नियामक आयोग का पुनर्गठन करेंगे।

26. तकनीकी शिक्षा

- प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलीटेक्निक को **उत्कृष्ट केन्द्र** के रूप में विकसित करेंगे ताकि चयनित विशेष क्षेत्र यथा रोबोटिक्स व ड्रोन, ऑटोमोबाईल व एविऐशन, इलेक्ट्रोनिक एण्ड कम्यूनिकेशन, बायो टेक्नोलॉजी आदि जैसे भविष्योन्मुखी विषयों के लिये शोध, अविष्कार एवं अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित हो सके।
- मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा की ग्लोबल लीडर योजना के तहत मध्यप्रदेश को विश्व के पटल पर एकेडमिक रिसर्च तथा इनोवेशन के एक्सीलेंस सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे ताकि विद्यार्थी प्रयोगशाला में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के साथ-साथ नवीन आविष्कार हेतु प्रेरित हो सकें।
- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से **ई-लायब्रेरी एवं वेबपोर्टल** से सभी उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों को जोड़ेंगे।
- **इण्डो-जर्मन टूल रूम** की तर्ज या अन्य देशों से आधुनिक यंत्रों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे।
- प्रदेश के प्रत्येक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में **आधुनिक कैरियर गाइड्स** एवं **प्लेसमेन्ट केन्द्र** स्थापित करेंगे।
- तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय पर परीक्षाओं का संचालन करने एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन्दौर, ग्वालियर एवं रीवा में **राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय** खोले जाएंगे।

27. कौशल उन्नयन

- कांग्रेस द्वारा भाजपा काल में बढ़ती बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं के लिए मध्यप्रदेश में कौशल उन्नयन को बढ़ाने की दिशा में **कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय** की स्थापना हेतु वचनबद्ध है। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर एक कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे।
- **शिक्षित युवा** - कौशलयुक्त युवा मध्यप्रदेश का ध्येय लेकर प्रदेश के युवाओं का कौशल उन्नयन करेंगे।
- कौशल विकास के प्रमाणीकरण हेतु वर्तमान में कार्यरत **म.प्र. राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड** को पुनः गठित करेंगे। शासकीय यूनिवर्सिटी से भी परीक्षाओं का संचालन कराएंगे।
- प्रदेश में ग्लोबल बहुउद्देशीय उपकरण अनुसंधान एवं संयोजन संस्थान की स्थापना करेंगे। स्कूली शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को वैश्विक माँग के अनुरूप मोबाइल एवं घरेलू उपकरण मैकेनिक, ऑटो मोबाईल मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन ड्राइवर, हेयर ड्रेसर, टेलर, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाईनिंग आदि के कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
- म.प्र. राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में पिछले 18 वर्षों में प्रशिक्षण के नाम पर हुए घोटालों की जांच आर्थिक अपराध ब्यूरो से कराएंगे।
- कांग्रेस सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर संचालित आईटीआई में नवीन तकनीकी एवं कौशल उन्नयन विषयक पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाकर युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
- कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को 6.00 लाख तक का ऋण रियायती ब्याज पर उपलब्ध कराएंगे।

28. चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता व विश्वसनीयता बनाए रखने एवं चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिये प्रतिवर्ष 5 जिले में मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना बनाएंगे। प्रदेश में एक नया मेडिकल विश्वविद्यालय तथा कांग्रेस काल में स्वीकृति महेश्वर मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करेंगे।
- आयुर्वेद कालेज निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग कालेज जो निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करते उनकी मान्यता समाप्त कर जिला चिकित्सालय के अधीन नये नर्सिंग स्कूल एवं पैरा मेडिकल स्कूल प्रारंभ करेंगे।
- मेडिकल कॉलेजों के अधीनस्थ चिकित्सालयों में करोड़ों रूपए के मूल्य की आधुनिक मशीनें टेक्निशियनों के अभाव के कारण बंद हैं । प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाऐं मुहैया कराने के लिए इस समस्या का निदान होगा।
- निजी क्लीनिक/अस्पताल प्रारंभ करने के लिये एकल अनुमतियां जारी करने की एकल खिड़की से ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था लागू की जाएंगी।
- मेडिकल स्टोर में दवाईयों एवं उपकरणों के लिए एक ही लायसेंस रहेगा तथा लायसेंस नवीनीकरण की अवधि में वृद्धि की जाएगी।
- चिकित्सा उपकरण एवं दवाईयों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उच्च स्तरीय लैब स्थापित कराकर सतत् परीक्षण करायेंगे ।
- मेडिकल की महंगी पढ़ाई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के लिए बॉड भराने के नियमों की समीक्षा कर सरकारी मेडिकल कालेजों के एमबीबीएस, एमएस एवं एमडी. के लिए कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को छूट दी जाएगी।

29. विज्ञान, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी तथा नवाचार

- मध्यप्रदेश की शासकीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिये नया **समग्र मप्र एप** तैयार करायेंगे ।
- कांग्रेस सरकार द्वारा ऑर्टिफिशल इंटेलिजेन्टस पर शोध एवं अनुसंधान के लिए **अनुसंधान केन्द्र** प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इन केन्द्र में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को रखा जाएगा जो कि सरकारी कार्यों में सहयोग के साथ-साथ युवाओं को शोध एवं अनुसंधान में सहायता प्रदान करेंगे।
- बौद्धिक सम्पदा के विकास के लिए शोध, अनुसंधान एवं नवाचार सतत हो इस हेतु एक परिणाम मूलक व्यवस्था की जाएंगी।
- प्रदेश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोज का पेटेन्ट कराएंगे एवं नई तकनीकों का व्यवसायीकीकरण प्रदेश के हित में करने के लिए योजना बनाएंगे।
- **शोध एवं अनुसंधान पुरस्कार** - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव विज्ञान, आर्थिक विज्ञान आदि के क्षेत्रों में प्रदेश के वैज्ञानिक एवं खोजकर्ताओं को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसमें रू. 5.00 लाख की सम्मान निधि देंगे।
- कांग्रेस का लक्ष्य है कि हम प्रदेश के गांवों को सूचना तकनीक से जोड़ें। इस हेतु नेटवर्क सुविधा को बढ़ाएंगे। स्कूलों में नवीन कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य करेंगे। छात्रावासों में वाई-फाई की सुविधा देंगे।
- **पेपरलेस-फेसलेस-सीमलेस सुविधा कार्यक्रम** - हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार शासकीय सुविधाएं बिना कागजी आवेदन, बिना उपस्थित हुये और बिना बाधा के पहुंचाने के लिये समग्र सुरक्षा मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चलायेंगे।
- लायसेंस परमिट एवं अनुमतियां जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पासपोर्ट के तर्ज पर दी जाएगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों, ऑनलाइन गेम्बलिंग पर नियंत्रण, ऑनलाइन शापिंग के नाम पर लूटने वाली कंपनियों पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- लोकसेवा केन्द्र भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं इस व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस हेतु नई जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जो कि गरीबों की हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए नि:शुल्क रहेगी।
- प्रदेश के नागरिकों को सरल, सुगम एवं पारदर्शी रूप में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटलीकरण का उपयोग कर शासकीय व्यवस्था की दक्षता को बढ़ायेंगे ।

30. स्वस्थ मध्यप्रदेश

30.1 स्वास्थ्य का अधिकार

- मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए **स्वास्थ्य का अधिकार कानून** बनायेंगे। **वरदान स्वास्थ्य बीमा** व **दुर्घटना बीमा योजना** प्रारंभ करेंगे। प्रति परिवार 25.00 लाख तक का वरदान स्वास्थ्य बीमा एवं 10.00 लाख तक का दुर्घटना बीमा कराएंगे।
- **कहीं भी और कभी भी** स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए **उच्च स्तरीय स्वास्थ्य आयोग** गठित कर उसकी अनुशंसाओं को लागू करेंगे।
- **मिशन स्वस्थ मध्यप्रदेश** प्रारंभ करेंगें। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक **मॉडल अस्पताल** 50 बिस्तरीय क्षमता का सर्वसुविधायुक्त जिसमें डायलेसिस, सिटीस्कैन, पैथालॉजी लैब, नेक्टिलेटर आदि व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इन अस्पतालों में श्वान एवं अन्य जीव जंतुओं के काटने के उपचार की सुविधा भी रहेगी।
- **सस्ती दवा-सुलभ दवा** की नीति पर कार्य करेंगे। सभी शासकीय चिकित्सालयों एवं विधानसभा क्षेत्रों में **हमारी दवाई की दुकान** प्रारंभ कर 70 प्रतिशत सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।
- संभागीय मुख्यालयों पर **सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा केन्द्र** प्रारंभ करने की योजना पर कार्य करेंगे।
- निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में प्राइवेट वार्ड की तरह सरकारी अस्पतालों में सर्वसुविधायुक्त प्राइवेट वार्ड बनाएंगे।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लोकव्यापिकरण की नीति पर कार्य करेंगे। शहरी बस्तियों में घर-घर उपचार की सुविधा विकसित करने के लिए वार्ड क्लीनिक प्रारंभ करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में **चलित चिकित्सा सेवा** प्रारंभ करेंगे।
- सड़क दुर्घटनाओं में **गोल्डन ऑवर में उपचार** मिल सके इसके लिए ट्रामा सेंटर की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने एवं उसका उपचार प्रारंभ होने तक सेवा देने वाले नागरिकों को **वरदान स्वास्थ्य दूत** प्रशंसा पत्र एवं 2 हजार रूपये सम्मान निधि भेंट करेंगे। इन दूतों को पुलिस की प्रारंभिक जाँच से मुक्त रखा जायेगा।
- चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सुरक्षा हेतु सुदृढ़ व्यवस्था लागू करेंगे।
- कैंसर पीड़ितों को कीमोथेरेपी की बेहतर सेवाएँ संभाग स्तर पर उपलब्ध करायेंगे।
- चिकित्सा व्यवस्था का आधुनिकीकरण करेंगे। रोगियों के परामर्श व उपचार का डाटा बैंक तैयार करेंगे ताकि मरीज को बार-बार की जाँच से बचाया जाएगा।
- बीमा योजना के माध्यम से सूचीबद्ध एवं घोषित चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा होगी । जिला स्तर की रोगी कल्याण समितियों को जोड़ा जाएगा।
- स्वास्थ्य के अधिकार एवं चिकित्सा बीमा में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का प्रावधान भी रहेगा।
- अस्पतालों में उपचार के दौरान गरीब मृतक के शव को उसके घर तक भेजने की नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

30.2 जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य

- प्रदेश में **सुपोषित नारी अभियान** चलायेंगे। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को न्यून करने के लिए महिलाओं का गर्भावस्था के समय नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे, आयरन टेबलेट एवं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की दवाएँ उपलब्ध करायेंगे एवं 100 प्रतिशत टीकाकरण करायेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में **एनीमिया केन्द्रित कैम्पेन** चलायेंगे। प्रसव हेतु जननी सुरक्षा वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी करेंगे।

- प्रदेश में **सुपोषित शिशु अभियान** चलायेंगे, शिशु मृत्यु दर को न्यून करने के लिए गंभीर नवजात शिशुओं को नवजात गहन चिकित्सा इकाई की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करायेंगे।

30.3 बुजुर्गों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है इसके लिए **सीनियर सिटीजन नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच योजना** प्रारंभ करेंगे। घर तक स्वास्थ्य सेवाऐं पहुचाने की दिशा में कार्य करेंगे।

30.4 **दिव्यांगों का स्वास्थ्य** - दिव्यांगों को प्राथमिकता से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायेंगे। जिला अस्पताल परिसर में दिव्यांगजनों के पुनर्वास केन्द्रों का सुचारू एवं नियमित संचालन करायेंगे।

30.5 निजी चिकित्सा व्यवस्था

- निजी चिकित्सा सुविधाओं के विकास को वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था के तौर पर विकसित करने की नई नीति बनाएंगे तथा उपचार एवं जांच की दरों के निर्धारण हेतु नियामक आयोग की स्थापना करेंगे।

30.6 सुदृढ़ चिकित्सा सेवाओं की ओर बढ़ेंगे कदम

- चिकित्सकों की माँगों और समस्याओं के प्रभावी निराकरण की नीति पर कार्य करेंगे। चिकित्सकों की वेतन संबंधी माँगों का न्यायपूर्ण निराकरण किया जाएगा। सुदूर/ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थी पर विशेष भत्ता देंगे।
- चिकित्सकों के नये पद स्वीकृत करेंगे। चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही 6 माह के भीतर होगी।
- प्रदेश के निजी नर्सिंग कालेजों की परीक्षाऐं नियमित रूप से आयोजित कराएंगे।
- आयुष्मान योजना घोटाला एवं खरीदी में भ्रष्टाचार एवं अग्नि कांड की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ।

30.7 विविध बीमारियों का उपचार

- टी.बी., मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारियों के लिए रोकथाम अभियान चलायेंगे।
- फ्लोरोसिस प्रभावित जिलों में विशेषज्ञों की सलाह पर इसके नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर लागू करेंगे।
- शुगर, थायराईड, ब्लडप्रेशर, एनीमिया एवं मोटापे की बीमारियों के सम्बंध में जागरूकता विस्तार हेतु कार्य करेंगे ताकि इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं, बीमारियों की रोकथाम की जा सके।
- **कोविड काल** महामारी के दौरान स्थापित प्लांट एवं उपकरणों की सुचारू व्यवस्था संचालित रहेगी। कोविड महामारी के अंतर्गत हुई मृत्यु को छुपाया गया, इसकी जाँच करेंगे। कोविड हेल्थ वर्कर को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करेंगे। कोविड कर्मियों के साथ न्याय करेंगे।

30.8 अंगदान कर्ता का राजकीय सम्मान

- अंगदान को प्रोत्साहित करेंगे। अंगदान करने वाले व्यक्ति को राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार करेंगे।

30.9 घोटालों की जांच

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं जन औषधि के माध्यम से हुए स्वास्थ्य घोटाले की जांच कराएंगे।

31. आयुष से आरोग्य

- भारतीय चिकित्सा पद्धति **आयुर्वेद**, **प्राकृतिक चिकित्सा** एवं **योग** आमजन की सरल, सुलभ एवं सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इन्हें प्रोत्साहित करने की ओर सशक्त कदम उठायेंगे। इस चिकित्सा पद्धति को भी चिकित्सा बीमा योजना के दायरे में लाएंगे।
- प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार हेतु **चरक प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्यधाम** प्रमुख संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित करेंगे ।
- प्रदेश में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलेंगे।
- मध्यप्रदेश के वन एवं जल क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियॉ पाई जाती है जिनका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो सकता है, इस हेतु अनुसंधान केन्द्र स्थापित करेंगे जिसमें विशेषज्ञों की सेवाऐं ली जाएगी तथा प्रदेश के युवाओं को शोध एवं अनुसंधान की सुविधा एवं औषधी निर्माण हेतु उद्योग स्थापित किये जाएंगे ।
- वन एवं जल क्षेत्र से जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्यक्रम बनायेंगें एवं इनकों प्रोसेसिंग एवं पैकिंग के कार्य से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करायेंगे ।
- आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एवं पंचकर्म हेतु नर्सेस एवं अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये **संभाग स्तर पर आयुष नर्सेस** एवं **पंचकर्म तकनीकी सहायक स्कूल** खोले जाएंगे।
- आयुष चिकित्सकों की कोरोना महामारी के समय दी गई सेवाओं को देखते हुए ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति में कार्य करने की माँग पर न्याय करेंगे।
- **इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति** को मान्यता देते हुए कानून बनायेंगे।
- आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे।
- आयुर्वेद के प्रशिक्षुओं व चिकित्सकों की माँग पर न्याय करेंगे।

32. सामाजिक न्याय

32.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन

- पेंशन की राशि 600/- **से बढ़ाकर** 1200/- **प्रतिमाह** करेंगे। वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता एवं कन्या अभिभावक पेंशन उपलब्ध होगी।
- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** - का दायरा बढ़ाते हुए 65 वर्ष के ऊपर के कृषक, व्यापारी, सभी शिल्पी, बीड़ी मजदूर, हम्माल, मत्स्य कृषक, हाथ ठेला, वाहन चालक, परिचालक, रिक्शाचालक, फुटपाथ विक्रेता, कुली, चरवाह, खेतीहर मजदूर, घरेलू काम काजी महिलाएं एवं अन्य श्रमिक वर्ग आदि को जोड़ेंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बी.पी.एल. का बंधन हटाने हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजेंगे ।
- कोविड महामारी के दौरान परिवार के मुखिया की मृत्यु होने से उनकी विधवा एवं अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेन्शन दी जाएगी।

32.2 सामाजिक सेवाएं

- **कुष्ठ रोग** से ग्रसित रोगियों का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप कल्याण एवं पुनर्वास के प्रभावी कार्यक्रम संचालित कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। कुष्ठ रोगियों की सर्जरी नि:शुल्क कराएंगे एवं नगद सहायता बढ़ाएंगे।
- **भिक्षावृत्ति उन्मूलन** करने के लिये सशक्त कदम उठायेंगे। भिक्षुओं के लिये पुर्नवास केन्द्र खोलेंगे। केंद्र पर भोजन एवं रहवास की सुविधा देंगे। बाल भिक्षावृत्ति कराने वालों पर कठोर कानूनी कार्यवाही करेंगे।
- **नशा मुक्ति की ओर बढ़ते कदम**- प्रदेश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने की ओर सशक्त कदम उठायेंगे। नशामुक्ति की नवीन नीति बनायेंगे। नियमित जागरूकता अभियान चलायेंगे। नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ करेंगे जिसमें नि:शुल्क उपचार एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

32.3 निराश्रित निधि

- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम के उद्देश्य अनुसार लागू करेंगे ।
- निधि की राशि का दुरूपयोग रोकेंगे एवं जिलों को अधिकार सम्पन्न बनायेंगे ।

32.4 ट्रांस जेण्डर कल्याण

- ट्रॉस जेण्डर को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिये पूरे अवसर उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु **ट्रांस जेण्डर कल्याण बोर्ड** का गठन किया जाएगा।

33. दिव्यांगजन-सशक्तिकरण एवं पुनर्वास

- **दिव्यांगों का अधिकार** - दिव्यांगजनों को उनके अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शासकीय सेवाओं में दिव्यांगों के 6 प्रतिशत आरक्षण का पालन कराते हुए इसे अनुदान प्राप्त संस्थाओं में भी लागू करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की भर्ती करेंगे और पदोन्नति में आरक्षण की माँग पर भी न्याय करेंगे। रोजगार मेला आयोजित करेंगे।
- आयुक्त, दिव्यांग के चयन की प्रक्रिया में सुधार करेंगे। शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी की नियुक्ति करेंगे, इस पद पर दिब्यांग को प्राथमिकता देंगे।
- जिला स्तर से **दिव्यांग प्रमाण-पत्र** की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करेंगे ।
- प्रदेश में **दिव्यांग हेल्पडेस्क** स्थापित करेंगे ताकि दिव्यांगजनों को सभी सुविधाओं का लाभ सरलता से मिलना सुनिश्चित हो सके ।
- बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह रूपये 2,000/- देंगे एवं अन्य दिव्यांगों को 1200/- प्रति माह पेन्शन देंगे। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि बढ़ाएंगे।
- **दिव्यांगों का स्वास्थ्य बीमा** सुनिश्चित करेंगे ।
- राज्य स्तर पर **दिव्यांग आदर्श आवासीय विद्यालय** बनायेंगे, जिसमें श्रवणबाधित, वाक्बाधित, दृष्टिबाधित एवं मंदबुद्धि बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देंगे।
- प्रदेश में **दिव्यांग आवासीय महाविद्यालय** खोलेंगे।
- **दिव्यांगजनों की छात्रवृत्ति** की राशि को 25 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे ।
- **दिव्यांगजनों को कम्प्यूटर शिक्षा** हेतु फीस 2000 रूपये महीना करायेंगे। दिव्यांगजनों के लिए परिवहन मासिक भत्ता बढ़ाकर रूपए 1000 करेंगे।
- **दिव्यांगों का आर्थिक सशक्तिकरण** - दिव्यांगजनों के कौशल उन्नयन के लिए पृथक से उनके अनुकूल प्रशिक्षण योजना चलायेंगे एवं दिव्यांगजनों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन में रियायत एवं प्राथमिकता देंगे। स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण व अनुदान देंगे।
- **दिव्यांग कल्याण निधि** स्थापित करेंगे। निराश्रित निधि की तरह ही जमा राशि का उपयोग दिव्यांगजनों के कल्याण, पुनर्वास एवं सहायक उपकरण यथा ट्राय साइकल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, चश्मा नि:शुल्क प्रदाय करेंगे। इस निधि से **दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र सुचारू** रूप से संचालित करेंगे।
- प्रदेश की पहचान बनाने में दिव्यांगों को **मध्यप्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर** बनायेंगे। प्रति वर्ष 3 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों का सम्मान करेंगे।
- दिव्यांगजनों की अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पैरा गेम्स प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को **दिव्यांगजन खिलाड़ी सम्मान** सामान्य खिलाड़ियों जैसे होगा एवं सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पैरा गेम्स आयोजित कराएंगे। खेल सुविधा का विस्तार करेंगे।
- दिव्यांगजनों के **नि:शुल्क ड्रायविंग लाईसेंस** बनवायेंगे एवं प्रक्रिया को सरल करेंगे।
- दिव्यांगजनों की बैंकिंग प्रक्रिया, जिसमें खाता खोलना, राशि आहरण एवं जमा करना आदि सुविधायुक्त बनायेंगे।
- दिव्यांगों को पंचायतों, सहकारी संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में आरक्षण देंगे।
- दिव्यांगों को महानगरीय बस सेवाओं में नि:शुल्क परिवहन की सुविधा देंगे।
- व्हील चेयर वितरण के लिए योजना लाएंगे।

34. वरिष्ठजनों की सेवा

- **शतायु सम्मान कार्यक्रम** – प्रदेश के 100 वर्ष पूर्ण करने वाले शतायु वरिष्ठजनों को सम्मानित करने के लिये प्रति वर्ष 01 अक्टूबर को कार्यक्रम कर रूपये 01 लाख की सम्मान राशि प्रदान करेंगे ।
- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति** का गठन करेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधी नीतियों पर सलाह देगी ।
- मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक आमोद-प्रमोद केन्द्र का निर्माण त्रिस्तरीय भागीदारी योजना से प्रारंभ किए जाएंगे।
- नि:शुल्क स्वास्थ्य और जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बीमा कराएंगे, जिसमें अधिकतम उम्र का बंधन नहीं रहेगा एवं वृद्धजनों के **नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की योजना** प्रारंभ करेंगे।
- **निजी क्षेत्र में वृद्ध आश्रम संचालन की नीति** बनायेंगे तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।
- **आदर्श खुशहाल वृद्ध आश्रम** स्थापित करेंगे।
- **माता-पिता** एवं **वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम** के सुचारू क्रियान्वयन करेंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों की पैरवी हेतु गरीब एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकजनों को अधिवक्ता की सेवाऐं उपलब्ध कराये जाएंगे।
- सभी विधानसभा क्षेत्रों में **वरिष्ठजन सहायता कैम्प** आयोजित करेंगे जिसमें वृद्धजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करायेंगे एवं वृद्धों के मोतियाबिंद के आपरेशन नि:शुल्क होगा तथा श्रवण की बीमारी से पीड़ित वृद्ध जनों को कान की हियरिंग मशीन, चलने फिरने में असमर्थ वृद्धों को वॉकर व व्हील चेयर उपलब्ध कराएंगे।
- सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ेंगे। **सीनियर सिटीजन नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच योजना** प्रारंभ करेंगे।
- थाना बीट प्रभारियों को **वृद्धजन मित्र** बनायेंगे जिसमें थाना में क्षेत्रों में निवासरत वृद्धों की जानकारी एवं मोबाईल नम्बर संकलित करेंगे तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे ।
- वरिष्ठ नागरिकों को **रेल टिकिट में रियायत** को भाजपा ने बंद कर दिया है उसे पुन: प्रारंभ कराने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा करेंगे।
- पेंशनर्स को प्रतिवर्ष बैंक में उपस्थित होने के जीवित प्रमाणपत्र की व्यवस्था को सरल करेंगे।
- संतानविहीन दंपत्ति को स्वयं के भरण-पोषण के लिए स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु रियायती ब्याज दर पर सुलभ ऋण उपलब्ध कराएंगे।

35. गरीबों के साथ न्याय

- **आटा, दाल, तेल और चीनी देवभोग राशन किट** – अत्यंत गरीब, असहाय और दिव्यांगजन जिनकी स्थाई आजीविका का स्रोत नहीं है, उन परिवारों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के तहत 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, आधा-आधा किलो तेल एवं चीनी प्रतिमाह प्रदाय करेंगे।
- पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। राशन वितरण में **पी.ओ.एस. मशीन** से आ रही समस्याओं का निराकरण करेंगे ।
- प्रदेश की मण्डियों, विकासखंडों एवं जिला अस्पतालों में **मॉ की रसोई** संचालित करेंगे, जिसमें गरीबों को भोजन की नि:शुल्क एवं अन्य को **रियायती दर** पर भोजन उपलब्ध कराएंगे।
- **गरीबी रेखा का सर्वे** – वास्तविक एवं पात्र परिवारों का ही सर्वे कराकर उनको जोड़ा जायेगा।

सभी हाथ बढ़ाओ। वरिष्ठजनों को गले लगाओ।।

36. भोजन पर सबका अधिकार

36.1 **खाद्यान्न का अधिकार** - प्रदेश के प्रत्येक आम नागरिक को भोजन का अधिकार देने के लिए कांग्रेस द्वारा लाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अक्षरशः लागू करेंगे। मध्यप्रदेश के आम नागरिकों को जीवन निर्वहन के लिए उचित मात्रा में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।

36.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- हर जरूरतमंद और पात्र को उसके हक का राशन नियमित तौर पर समय सीमा में सुनिश्चित हो, इस हेतु **प्रतिदिन राशन दुकान खोलना** अनिवार्य किया जायेगा । वृद्धजन एवं दिव्यांगों के लिए **घर पहुँच राशनसेवा** प्रारंभ की जाएंगी।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेंगे। इसके अंतर्गत आवंटित दुकानों की समीक्षा की जाएगी तथा नई दुकानों के संचालन का दायित्व ग्राम पंचायतों को देंगे तथा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक सेल्समेन रहे। सेल्समैन की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक निराकरण करेंगे।

36.3 राशन कार्ड

- खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रदेश में एक राज्य एक राशन कार्ड व्यवस्था का क्रियान्वयन कर प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे।
- सभी वर्गों के परिवारों को समग्र आई.डी. से जोड़कर राशन कार्ड प्रदान किये जायेंगे।

36.4 उपभोक्ताओं का संरक्षण

- आवश्यक वस्तु अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। अचानक मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ।

34.5 सही तौल और सही दाम - समर्थन मूल्य पर खरीद

- समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। खरीदी की सम्पूर्ण व्यवस्था किसान उन्मुखी बनायेंगे । उपज की "**सही तौल और सही दाम**" सुनिश्चित करेंगे ।
- उपभोक्ता की सुरक्षा कांग्रेस की प्राथमिकता है इसलिए कांग्रेस सरकार राज्य के आम उपभोक्ता को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी एवं सकारात्मक कदम उठाएगी।

37. पिछड़ों का सम्मान

37.1 पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का पालन एवं संरक्षण

- **समान अवसर आयोग** – पिछड़ा वर्ग के समग्र विकास और सकारात्मक कार्यक्रम तैयार करने के लिए समान अवसर आयोग बनायेंगे।
- **जातिगत जनगणना** – कांग्रेस सरकार माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सर्वे के साथ प्रमाणित जातिगत आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए जातिगत जनगणना करायेगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा तय करेंगे।
- संवैधानिक संस्थाओं के पदों में आरक्षण के मान से नियुक्तियों एवं मनोनयन करेंगे।
- शासकीय विभागों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियमित भर्तियों के साथ-साथ संविदा व अन्य भर्तियों में भी आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
- पिछड़ा वर्ग के **मानवधिकार** और उनके **संरक्षण** के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।
- **अति पिछड़ी जाति** – जातिगत जनगणना के आधार पर आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़ी जातियों को अति पिछड़ी जाति के अंतर्गत रखते हुए उनके लिए उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाएंगे। अति पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता हेतु नाथ, बैरागी, बंजारा, बारी, प्रजापति, लोहार, मांझी, मछुआरा आदि की माँग पर न्याय करेंगे।
- पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने हेतु पिछड़ा वर्ग आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
- **महाजन आयोग** – महाजन आयोग की शेष अनुशंसाओं को क्रमशः लागू करेंगे। **पिछड़ा वर्ग आयोग** को पुनः सक्रिय करेंगे।

37.2 भर्ती एवं पदोन्नति

- सरकारी क्षेत्र में नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए नया **100 बिन्दु का रोस्टर** तैयार करायेंगे।
- पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए **बैकलॉग भर्ती अभियान** प्रारंभ करेंगे।
- सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं पदोन्नतियों में 27 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार का वचन पूरा करेंगे, इसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का निराकरण किया जाएगा।
- समस्त चयन समितियों में पिछड़ा वर्ग का सदस्य अनिवार्य रूप से रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
- नोटरी एवं शासकीय अधिवक्ताओं के नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय की सीमा बढ़ाकर 12.00 लाख करेंगे।

37.3 जाति प्रमाण पत्र एवं जाति विषय

- **पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र** बनवाने हेतु 1984 की बाध्यता को समाप्त करने के लिए समीक्षा करेंगे, प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर पिता के गोत्र को आधार मानते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- मध्यप्रदेश की पिछड़े वर्ग की सूची में उल्लेखित जातियाँ केहरी, कीर एवं अन्य को केन्द्रीय सूची में जोड़ने का प्रस्ताव भेजंगे।

- पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने वाली जातियों के अभ्यावेदन एवं केसरवानी को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के प्रस्तावों की सुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग में शीघ्र प्रारंभ कराई जाएगी।
- कीर, मीना, पारधी को पुनः अनुसूचित जनजाति में जोड़ने व धनगर, पाल, गड़रिया एवं माझी की सहजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे।
- प्रदेश की रजक, सेन, प्रजापति, पाल, गडरिया जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने का प्रावधान लाएंगे।

37.4 कला, संस्कृति एवं स्मारक

- ज्योतिबा फूले एवं सावित्री बाई फूले के स्मारक का निर्माण राजधानी भोपाल में करेंगे व ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की विशाल प्रतिमा स्थापित करेंगे।
- पिछड़ा वर्गों की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करेंगे। लोक कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि कलाओं को संरक्षण प्रदान करेंगे।
- पिछड़े वर्गों के जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों एवं समाजों की माँग अनुसार सामुदायिक भवन निर्मित करायेगे। जिनके नाम उस क्षेत्र के महापुरूष के नाम पर रखेंगे।
- सामुदायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल परिसरों, चौराहों एवं सड़कों आदि का नामकरण पिछड़ा वर्ग के महापुरूषों के नाम से रखे जाएंगे।
- **संत सिरोमणि सेन महाराज का स्मारक** बांधवगढ़ में बनायेगे।

37.5 पिछड़ा वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण

- पिछड़े वर्ग के उद्यमियों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें 1 करोड़ तक का रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- पिछड़े वर्ग के नए उद्यमियों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूखण्ड में 25 प्रतिशत आरक्षित करेंगे।
- पिछड़े वर्ग के नए उद्यमियों को सरकारी खरीदी एवं नए सिविल ठेकेदारों को 1 करोड़ तक की लागत के ठेकों में 25 प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान करेंगे।
- परंपरागत उद्योग एवं धंधों के लिए 1 लाख रूपए तक का ऋण 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे।
- **संत कबीर बुनकर उत्थान नीति एवं कबीर बुनकर परिसर** -बुनकरों को प्रशिक्षण देंगे। परिसर में भूमि आवंटन करेंगे। बुनकरों को पहचान पत्र दिये जाएंगे।
- **श्री विश्वकर्मा कल्याण मण्डल** का गठन करेंगे तथा श्री विश्वकर्मा उद्यमिता विकास योजना प्रारंभ करेंगे - लौह शिल्प एवं काष्ठ कला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विश्वकर्मा परिसर निर्माण कर भूमि आवंटित करेंगे, शहरों में विश्वकर्मा गुमटी पिछड़ा वर्ग के शिल्पियों को आवंटित की जाएंगी।
- वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी कौशल उन्नयन बोर्ड का गठन कर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सभी परम्परागत धंधों का आधुनिक प्रशिक्षण देंगे।
- केश **शिल्पी मण्डल** का पुनर्गठन करेंगे। नए केश शिल्पियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे, प्रशिक्षण उपरांत उनको टूल किट एवं गुमठी आवंटित करेंगे।

37.7 **कालबेलिया और पारधी समाज** को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नया कार्यक्रम बनायेंगे एवं कालबेलिया, पारधी एवं बंगाली विस्थापितों के आवास की समस्या का निराकरण करेंगे।

37.8 **पिछड़ा वर्ग शिक्षा**- प्रमुख संभागीय मुख्यालय पर 500 सीटर छात्रावास बनाएंगे।

38. सामाजिक समानता - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

38.1 संवैधानिक अधिकारों का पालन एवं संरक्षण

- कांग्रेस अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मानव अधिकार और उनके संरक्षण के लिए बने कानूनों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है।
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना** को अधिनियम का स्वरूप देंगे एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के मान से बजट में प्रावधान किया जाएगा।
- संवैधानिक संस्थाओं के पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण के मान से मनोनयन एवं नियुक्तियाँ प्रदान की जाएगी।
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियमों** के क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा करेंगे। अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार एफआईआर क्षेत्र के थाने में दर्ज करा सकेंगे तथा इन प्रकरणों जाँच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक अधिकारी के समकक्ष अधिकारी की जाएगी। राहत सहायता की राशि में वृद्धि करेंगे। अत्याचार से संरक्षण देंगे।
- अनुसूचित जनजाति वर्गों के विरूद्ध भाजपा शासन काल में वन विभाग में हजारों की संख्या में वन अपराध दर्ज किये है, उनकी समीक्षा कर वापिस लेकर आदिवासी भाईयों साथ न्याय करेंगे।
- संविधान एवं आरक्षण बचाओं आंदोलन करने वाले अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लोंगों पर जो अपराधिक प्रकरण चल रहे है उनको वापिस लेंगे तथा इन **आंदोलनकारियों को संविधान रक्षक सैनानी** का दर्जा दिया जाएगा।

38.2 भर्ती एवं पदोन्नति

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोंगो को सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश उनकी जनसंख्या के मान से सुनिश्चित करने के लिए नया रोस्टर तैयार किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं जन जाति के रिक्त पद भरने के लिए **बैकलॉग भर्ती अभियान** प्रारंभ किया जाएगा।
- अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्तियॉ एवं पदोन्नतियों में अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस व्यवस्था करेंगे। एकल पद में चक्रीय आधार पर आरक्षण देकर न्याय करेंगे। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी संस्थाएँ एवं शासन के अधीन गठित कंपनियों में भी आरक्षण व्यवस्था पालन कराएंगे।
- सभी प्रकार की चयन समितियों में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य अनिवार्य रूप से रखा जाएगा।
- शासकीय विभागों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियमित भर्तियों के साथ-साथ संविदा व अन्य प्रकार की भर्तियों में भी आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

38.3 जाति प्रमाण-पत्र

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 1950 की बाध्यता समाप्त करेंगे, इन वर्गों में व्याप्त गरीबी, भूमिहीनता एवं अशिक्षा के कारण इनको उनकी जाति के अधिकार से कांग्रेस वंचित नहीं होने देगी। इसके लिए विधानसभा में संकल्प पारित कर केन्द्र को भेजेंगे।
- जाति प्रमाण पत्र के लिए पिता के गोत्र को ही मान्य किया जाएगा।

38.4 शिक्षा-शाला, छात्रवृत्ति, छात्रावास

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त नि:शुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए कांग्रेस वचनवद्ध है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के **राज्य नवोदय स्कूल** प्रारंभ किये जाएंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य संभागों में एक-एक **सैनिक स्कूल** खोलेंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रत्येक संभाग में एक-एक एकलव्य-अंबेडकर **पॉलिटेक्निक कालेज** सुनिश्चित करेंगे तथा सभी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आईटीआई सुनिश्चित करेंगे। विधि और कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करेंगे एवं महाविद्यालय के नाम आदिवासी महामानवों के नाम से रखे जाएंगे।
- अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय में **विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम** प्रारंभ करेंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित सरकारी स्कूल जो भाजपा ने बंद कर दिये है पुन: प्रारंभ करेंगे तथा आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की 2002 के पूर्व की व्यवस्था को मजबूती से लागू करेंगे। अधिसूचित क्षेत्र के स्कूली पाठ्यक्रमों में भील एवं गोड़ी भाषा को सम्मिलित करेंगे।
- आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी शिक्षा, भाषा, संस्कृति आदि विषय पर शोध एवं अनुसंधान को बढ़ाने हेतु मालवा क्षेत्र में नवीन **आदिवासी विश्वविद्यालय** की स्थापना करेंगे।
- **विदेश में उच्च शिक्षा** एवं शोध के लिए चिन्हित संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सभी उपजातियों से छात्र/छात्राओं को भेजने के लिए सीटों में वृद्धि करेंगे,आय सीमा बढ़ाएंगे एवं चयन प्रक्रिया सरल करेंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्कूली विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक पठन-पाठन सामग्री, स्कूली यूनिफार्म एवं कन्याओं को साइकिल प्रदाय करेंगे।
- **शिक्षा ऋण** - उच्च शिक्षा के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम उपलब्ध कराएंगे। जिसकी गारंटी सरकार लेगी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क की प्रतिपूर्ति कांग्रेस सरकार द्वारा की जाएगी।
- **छात्रवृत्ति का अधिकार अधिनियम** - अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को नियत समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये अधिनियम बनायेंगे। इस अधिनियम के तहत बजट में समुचित प्रावधान किया जाएगा। आय सीमा एवं दरें बढ़ाएंगे। माँग अनुसार प्रतिमाह प्रदाय की नीति बनाएंगे।
- **छात्रावास** - अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रावासों को सर्वसुविधायुक्त बनाएंगे। मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ लाईब्रेरी, वाईफाई एवं खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। सीट बढ़ाएंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र-छात्राओं की जनसंख्या के मान से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से नये छात्रावास ब्लॉक, जिला व संभाग स्तर पर खोलें जाएंगे।

- **राजा रघुनाथ शाह - शंकर शाह** एवं **डॉ. भीमराव अंबेडकर** के नाम से **निजी छात्रावास योजना** प्रारंभ करेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु रियायती दर पर भूमि का आवंटन एवं अधोसंरचना के निर्माण पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में **डॉ. भीमराव अंबेडकर** एवं **रानी दुर्गावती** के नाम से **खेल परिसर** स्थापित कर, इन परिसरों में अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे एवं प्रतिवर्ष इन वर्गों की खेल प्रतियोगिता आयोजित करांएगे।

38.5 रोजगार एवं उद्योग

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के श्रमिकों को **रोजगार की गारंटी** के अंतर्गत 150 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध करायेंगे। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाएंगे एवं भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा अकुशल श्रमिकों को कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण देकर कुशल श्रमिक बनाएंगे। आदिवासियों का पलायन रोकेंगे।
- आदिवासी क्षेत्रों में खनिज पर आधारित उद्योग का स्थापना एवं रेत की खदान बेरोजगार जनजाति के शिक्षित वर्गों के सहकारी समिति/समूह को आवंटित करने की **नई नीति** बनाएंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सरल प्रक्रिया से 10 लाख तक का ऋण 0 से 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे तथा इनके बाजार विकास सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी, व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क, स्टाल, टी.ए. और डी.ए. की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- परम्परागत कुटीर उद्योग एवं धंधों के लिए 50 हजार रूपये तक का बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के आजीविका हेतु आय के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध कराने के लिए **दुधारू पशु** व **कुक्कुट पालन** से जोड़ते हुए रियायती दर पर उपलब्ध कराएंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को सेवा एवं उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु **रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना** में सुधार कर सक्रिय करेंगे।
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम** को सक्रिय करेंगे। मेपकास्ट का निगम में संविलियन करेंगे। 200 करोड़ रूपये का कॉरपस फंड निर्मित करेंगे।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को ऋण लेने हेतु भूमि एवं भवन बंधक रखने में **धारा 165 (6) के प्रावधान** के कारण कठिनाई होती है। इस संबंध में नये दिशा निर्देश जारी करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक सुविधाओं का विस्तार करेंगे।
- भण्डार क्रय नियमों में संशोधन करेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल को सरकारी खरीदी में 25 प्रतिशत का आरक्षण देंगे।
- **सरकारी निर्माण कार्यों एवं अन्य निविदाओं** - एक करोड़ लागत तक के निर्माण एवं अन्य निविदाओं में 25 प्रतिशत निविदाओं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आवंटित करेंगे, इस हेतु निविदाओं में अनुभव, सुरक्षा निधि एवं टर्न ओवर (क्षमता)की शर्तें में शिथिल करेंगे । इन वर्गों को निविदा फार्म 100/- में उपलब्ध कराएंगे।
- औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों/शेड/दुकानों के आवंटन में 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

- **संत रविदास परिसर** – चमड़े के कार्य एवं कारोबार से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने के लिए सामाजिक बंधुओं से सुझाव लेकर **संत रविदास प्रगति धारा नीति** बनायेंगे एवं चर्म उद्योगों के विकास के लिए **संत रविदास परिसर** का निर्माण कर इन वर्गो को चर्मोद्योग हेतु भूमि आवंटित करेंगे। शहरों में **रैदास गुमठियां** चर्मशिल्पियों को आवंटित करेंगे एवं चर्मकारों को परिचय पत्र दिये जाएंगे।
- **बादल भोई मिलेट** व **लघु वनोपज मिशन** प्रारंभ करेंगे, आदिवासियों के परम्परागत भोजन कोदू, कुटकी एवं लघु वनोपज (चिरोंजी, गोंद, हर्रा, अचार) तथा आदिवासी शिल्पकला आदि के उत्पाद के संरक्षण एवं विक्रय के लिए नीति बनाएंगे तथा शहरों में दुकान निर्मित कर उपलब्ध कराएंगे।

38.6 पोषण, खाद्य एवं स्वास्थ्य का अधिकार

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्ग बच्चों और माताओं में पोषण की गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इनके बाहुल्य विकासखंडों में सुपोषण अभियान चलायेंगे तथा पोषण आहार बैंक स्थापित करेंगे। असहाय लोगों को देवभोग राशन किट प्रदान करेंगे।
- **आरक्षित वर्ग को खाद्य का अधिकार** सुनिश्चित करेंगे। राशन वितरण की घर पहुँच सेवा को अधिक सुचारू और सशक्त करेंगे।
- **आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य** सुविधाओं का विस्तार कर उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करेंगे। चलित अस्पताल संचालित करेंगे।

38.7 अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य

- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्ती विकास योजना** प्रारंभ करेंगे, स्थानीय लोगो को रोजगार के साथ साथ जिसके अंतर्गत बस्तियों में पेयजल आपूर्ति, विद्युतीकरण, सड़क एवं नाली के विकास कराएंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नये मजरे टोलो और बस्तियों में विद्युतीकरण की पुरानी योजना लागू करेंगे एवं गांव में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाईट की सुविधा देंगे।
- पूर्व में पट्टों पर आवंटित भूमियों के कब्जें से संबंधित समस्या का निराकरण करेंगे।

39. जनजातियों के अधिसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी कला

39.1 अधिसूचित क्षेत्रों के संवैधानिक व्यवस्था

- **पेसा एक्ट** – संविधान के आर्टिकल 244 (1) पंचायत एक्सटेंशन टू शुडुल एरिया की मूल भावना के अनुरूप आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतराज की व्यवस्था के सभी अधिसूचित 89 विकासखंडों में अक्षरश: लागू करायेंगे।
- **संविधान की छठवीं अनुसूची** – मध्यप्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले जिलों को छठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर भारत सरकार को भेजा जाएगा।
- **नये आदिवासी विकासखण्ड** – प्रदेश के ऐसे विकास खण्ड जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है, को आदिवासी विकास खण्ड के रूप में अधिसूचित करने एवं एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, लघु परियोजना एवं माडा पाकेट को पुर्नगठित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे । कांग्रेस शासन काल में परियोजनाओं को जो अधिकार दिये गये थे बहाल करेंगे।
- **वन अधिकार अधिनियम 2006** का उचित क्रियान्वयन कर 16 साल से प्रदेश के वंचित आदिवासी भाईयों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार का वास्तविक लाभ देंगे। वन अधिकार के समस्त दावों जिनमें अधिकार पत्र नहीं दिये गये, उनकी फिर से जांच करायेंगे एवं पात्र वंचित कब्जाधारियों को प्रदान करेंगे एवं पट्टे की जमीन को उन्नत बनाने की योजना बनायेंगे, फसल ऋण सिंचाई,खाद एवं बीज का प्रबंध करेंगे ।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रदेश की गौड़ी एवं भीली आदिवासी भाषा को सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजेंगे।
- आदिवासियों की जल, जंगल, भूमि की लड़ाई से प्राप्त भारत का पहला कानून भू-अर्जन अधिनियम 1894 (बाद में संशोधन Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013) पूर्व अधिनियम में आदिवासियों की भूमि अन्य कोई नहीं ले सकता है। इस प्रावधान को नये अधिनियम में जोड़ने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजेंगे।
- आदिवासी वर्ग के कल्याण का चार्टर लागू करेंगे।

39.2 वन से जीवन

- **तेंदूपत्ता संग्रहण की नई नीति** बनायेंगे, कांग्रेस सरकार का उद्देश्य है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को रूपये 4000 प्रति मानक बोरा करेंगे। तेन्दूपत्ता संग्रहण की मजदूरी एवं बोनस का नगद भुगतान ग्राम पंचों के सामने करायेंगे।
- **महुआ संग्रहण की नीति** बनायेंगे। महुआ का समर्थन मूल्य घोषित कर उचित मूल्य दिलवायेंगे। महुआ पर आधारित छोटी-छोटी प्रसंस्करण यूनिट स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे।
- 01 मार्च को **महुआ दिवस** घोषित करेंगे एवं **महुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम** आयोजित करायेंगे।
- **लघु वनोपज संग्रहण** एवं **प्रसंस्करण** को बढ़ावा देंगे। लघु वनोपज के युक्तियुक्त न्यूनतम सर्मथन मूल्य प्रति वर्ष निर्धारित करेंगे। इससे आदिवासी महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ेंगे।
- **पेसा एक्ट** के तहत ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं को लघु वनोंपज के संग्रहण एवं विक्रय के अधिकार देंगे । तेंदूपत्ता विक्रय के लाभांश की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि गांव के अधोसंरचना विकास के कार्यों पर खर्च करने के अधिकार दिये जाएंगे।

- मध्यप्रदेश आदिम जातियों का वृक्षों के हित में संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति की प्रक्रिया को सरल कर समय-सीमा में अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।
- **आदिवासी ईको-टूरिज्म** को बढ़ावा देंगे। आदिवासी एवं वन क्षेत्रों में **ईको-टूरिज्म केन्द्र** स्थानीय आदिवासी शिक्षित बेरोजगार को रोजगार हेतु उनके माध्यम से प्रारंभ कराएंगे। इस प्रयोजन हेतु एक-एक एकड़ तक भूमि रियायती दर पर आवंटित कराने की योजना लाएंगे।
- वन क्षेत्र में ग्राम विस्थापन के कारण विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को वन विभाग व पर्यटन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों में रोजगार के लिये प्राथमिकता देंगे।
- **बांस शिल्पी बोर्ड** - बांस शिल्पी बोर्ड का गठन करेंगे। बांस एवं अन्य काष्ठ तथा वनोपज से वस्तु व उत्पाद निर्मित करने वाले वंशानुगत-परम्परागत परिवारों को प्रशिक्षण देंगे। बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ आदिवासी एवं वंशकार कारीगरों को नि:शुल्क बांस उपलब्ध करायेंगे। बांस शिल्पी का दर्जा देंगे।

39.3 आदिवासी-आस्था, कला एवं संस्कृति

- **विश्व आदिवासी दिवस** पर पुन: शासकीय स्तर पर उत्सव एवं अवकाश प्रारंभ करेंगे। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस, टंट्या भील जयंती, राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह बलिदान दिवस आदि अवसरों पर अवकाश की सुविधा देंगे।
- कांग्रेस वचनबद्ध है कि आदिवासी संस्कृति क्षीण न हो तथा भारत के आदिवासियों की पहचान मूल निवासी के रूप में बनी रहे, इसलिए वनवासी शब्द के उपयोग के पक्ष में कांग्रेस नहीं रहेगी, जबकि भाजपा समान नागरिक संहिता के नाम पर आदिवासियों की संस्कृति को क्षीण करने का प्रयास कर रही है।
- **मध्यप्रदेश आदिवासी भवन** भोपाल में निर्मित करेंगे।
- **आष्ठान योजना** को सशक्त बनायेंगे। आदिवासियों के देवस्थलों को संरक्षित करेंगे। जल एवं वन परियोजनाओं के कारण हटाए गये पूजा स्थलों को नया बनाएगें। पूजा स्थलों की देखभाल करने वाले सेवकों - पुजारियों को संरक्षण देंगे। योजना में आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र व सामुदायिक भवन सभी 89 विकासखंडों में बनाएंगे। आदिवासी महामानवों टंट्या मामा एवं बिरसा मुण्डा आदि की विशाल प्रतिमा स्थापित करेंगे।
- आदिवासी समाज को क्रियाकर्म करने के लिए भूमि आवंटन करेंगे।
- **अन्न सहायता एवं ग्राम बर्तन बैंक**- आदिवासी परिवार के जन्म एवं मृत्यु के संस्कार एवं सामाजिक उत्सवों हेतु अन्न सहायता एवं ग्राम बर्तन बैंक योजना पुन: प्रारंभ करेंगे।
- विश्व प्रसिद्ध भगोरिया उत्सव को **राजकीय भगोरिया उत्सव** के रूप में मान्यता देंगे।
- **क्षेत्रीय आदिवासी संग्रहालय** झाबुआ में आदिवासी संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण हेतु संग्रहालय बनाया जाएगा।
- आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में निर्मित संरचनाओं का आदिवासी महापुरूषों के नाम से नामकरण किया जाएगा।
- **आदिवासी महामानवों के नाम पर सम्मान योजना** - टंट्या भील, रानी दुर्गावती, राजा शंकरशाह -रघुनाथ शाह, बादल भोई और जनगण श्याम, ठक्कर बापा आदि महामानवों के नाम से आदिवासी पुरस्कार एवं सम्मान कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ किये थे, जिनका वितरण भाजपा ने बंद कर दिया है उसे कांग्रेस पुन: प्रारंभ करेगी।
- आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, ज्ञान, इतिहास और विरासतों पर अनुसंधान व दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगे।

- आदिवासी कला, चित्रकारी, शिल्पकारी आदि की धरोहर को बनाये रखने के लिए कौशल उन्नयन के नियमित प्रशिक्षण एवं सह उत्पादन केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।

39.4 आदिवासी कल्याण विभाग का पुनर्गठन

- कांग्रेस सरकार आदिवासी कल्याण विभाग का पुनर्गठन करते हुये, इसमें मुख्य सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को पदस्थ करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं विकास हेतु सेवाओं में सुधार करेंगे।

39.5 विशेष पिछड़ी जनजातियां

- विशेष पिछड़ी जनजाति **बैगा, सहरिया एवं भारिया के प्राधिकरणों** का पुनर्गठन करेंगे एवं मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। इनके कार्यक्षेत्र के बाहर रहने वाले विशेष पिछड़ी जातियों के परिवारों को लाभ से जोड़ने के लिए प्राधिकरण की सीमा का पुनः निर्धारण हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजेंगे।
- बैगा, भारिया एवं सहरिया हेतु **विशेष पी.टी.जी. आवासीय स्कूल** खोलेंगे। स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं के साथ लाईब्रेरी व खेल-कूद की सुविधा भी रहेगी। उच्च शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में छूट देंगे।
- विशेष पिछड़ी जाति के परिवार जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है उनको कुपोषण रोकने के लिये रूपए 1500/- प्रतिमाह देंगे। यह राशि महिलाओं को मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी। इन परिवारों को देवभोग राशन किट प्रदान करेंगे।
- बैगा, भारिया एवं सहरिया समाज के व्यक्तियों को वन अधिकार के तहत वन अधिकार पत्र देंगे एवं पट्टा देने की व्यवस्था करेंगे। आवास एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि वन क्षेत्र के समीप होने पर उपलब्ध करायेंगे।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं विहित शारीरिक योग्यता रखते है उन्हें वन रक्षक, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि पदों पर चयन प्रक्रिया में **छूट देकर अनुपातिक सीधी भर्ती** करेंगे। स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर 5-5 लाख तक के ऋण उपलब्ध करायेंगे।
- बैगा समाज की संस्कृति, नृत्य, वाद्य यंत्र, वेश भूषा आदि का संरक्षण करेंगे, सहायता देंगे एवं लोक कला केन्द्र प्रारंभ करेंगे।
- मवासी, कोल एवं कोरकू को **विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा** देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे तथा इनके लिए विशेष आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
- विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के लोग जो अपनी आजीविका के कारण प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर रहने लगे है। उनको भी जाति प्रमाण पत्र सुगमता व सरलता से जारी करेंगे।

39.6 घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ एवं विमुक्त जाति

- घुमक्कड, अर्द्ध-घुमक्कड एवं विमुक्त जातियों के समग्र विकास के लिए नई दृष्टि से कार्य करना प्रारंभ करेंगे। इनके विकास के लिये **मण्डल गठित** करेंगे।
- **मुख्यमंत्री आदर्श कॉलोनी व बस्ती** बनायेंगे ताकि समाज को स्थाई रूप से बसाने व आवास की समस्याओं का निराकरण हो सके। आवासीय भूमि के पट्टे देंगे। स्थापित मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में बदलेंगे।
- नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्रावास में प्रतिमाह शिष्यवृत्ति सुनिश्चित करेंगे। दूसरे शहरों में अध्ययन करने पर आवास भाड़ा देंगे।
- भोपाल में **घुमन्तु भवन** बनायेंगे।
- युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देंगे। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार की योजना से जोड़ेंगे।
- जाति सम्बंधी माँगों को पूरा कराने हेतु सशक्त प्रयास करेंगे। अति पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता देने हेतु कदम उठायेंगे। जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये सार्थक पहल करेंगे।
- समाज की वेश-भूषा एवं पहनावे की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेंगे।
- समाज के परिवारों की राशन कार्ड जारी किये जाएंगे एवं उन्हें **खाद्यान्न का अधिकार** देंगे। वृद्ध, असहाय लोगों को देवभोग राशन किट प्रदाय करेंगे एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत रू. 1200/- प्रति माह पेंशन देंगे।
- समाज के परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा तथा प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन निधि के रूप में प्रदान की जाएगी।

40. अनुसूचित जाति एवं सफाई कामगार कल्याण

40.1 संवैधानिक अधिकार संबंधी

- बांछड़ा, बेड़िया, बसोर एवं कंजर जाति को विशेष अनुसूचित जाति की मान्यता देते हुए उनको सामाजिक, शैक्षणिक एवं रोजगार के लिए विशेष योजना बनायेंगे ।
- प्रजापति एवं रजक को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विधानसभा में संकल्प पारित कर प्रस्ताव केन्द्र को भेजेंगे। निमाड़ के मेघवाल व धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र की समस्या का निराकरण करेंगे।
- बसोर, बराहर, बसौड़, बरकुंडा, बरार, बुसोर, बेरार, बंसोर, वंशकीर और धनुक को बांस शिल्पी के रूप में करेंगे।

40.2 कला, संस्कृति एवं स्मारक

- भोपाल में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विशाल मानवता की मूर्ति स्थापित करेंगे। सभी का सहयोग लेंगे। बाबा साहेब के नाम से **संविधान संग्रहालय** स्थापित करेंगे। जन्मभूमि स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराएंगे।
- **संत कबीरदास पीठ** रीवा में एवं **संत रविदास पीठ** मुरैना में स्थापित करेंगे। इन पीठों में साहित्य के पठन व शोध की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- अनुसूचित जाति वर्गों की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करेंगे। लोक कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ प्रोत्साहित करेंगे।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में **सांस्कृतिक केन्द्र** एवं **सामुदायिक भवन** निर्मित करेंगे।
- सामुदायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल परिसरों, चौराहों एवं सड़कों आदि का नामकरण अनुसूचित जाति वर्ग के महापुरूषों के नाम किया जाएगा।
- **शहीद वीर मनीराम की स्मृति में स्मारक** बनाएंगे।
- संत रविदास, संत कबीर, बाबा साहेब अम्बेडर व महर्षि वाल्मिकी की स्मृति में साहित्य, कला, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में नये पुरस्कार प्रारंभ किये जाएंगे।
- बुद्ध जयंती पर **बुद्ध महोत्सव** आयोजित करेंगे। बौद्ध साहित्य, बौद्ध वास्तुकला, बौद्ध चिकित्सा पद्धति, बौद्ध दर्शन एवं बौद्ध ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे।
- सिगोरगढ़, दमोह को राजकीय स्मारक घोषित करेंगे।
- गोकुलदास जी महाराज की जयंती पर अवकाश सुविधा देंगे।

40.3 सफाई कामगार

- सफाई कामगारों के पुनर्वास के अधूरे कार्य पूर्ण करेंगे।
- शासकीय विभागों एवं निकायों में सफाई ठेकेदारी प्रथा बंद करने हेतु समीक्षा कर निर्णय करेंगे। पद बढ़ायेंगे एवं रिक्त पदों को भरेंगे। भर्ती प्रक्रिया में सुधार करेंगे।
- सफाई कामगारों के नियमितिकरण कर न्याय करेंगे।
- सफाई हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। सफाई कामगारों की ड्रेस को सम्मानजनक बनायेंगे। सुरक्षा उपकरण देंगे।
- सफाईकमियों की माँग अनुसार पद का नामकरण करेंगे।
- सफाई कामगारों की मेडिकल ग्राउण्ड पर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में वारिस को विशेष नियुक्ति देने के लिए प्रावधान लाएंगे।
- मप्र के सफाई कामगार के लिए वित्त विकास निगम को सक्रिय करेंगे, इस हेतु अंश-पूंजी बढ़ाएंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-4 पद सफाई कर्मियों के निर्मित कर 75000 से अधिक पद भरे जाएंगे।

41. अल्पसंख्यक कल्याण

- सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संपूर्ण विकास की दृष्टि से नियोजन कर योजनाएं प्रारंभ करेंगे।
- **अल्पसंख्यक वर्ग आयोग** का पुनर्गठन करेंगे, जिसमें सभी अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व रखेंगे।
- **अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम** को सक्रिय करेंगे तथा इसे आर्थिक रूप से सक्षम बनायेंगे। अल्पसंख्यक समाज के युवाओं के कौशल उन्नयन के कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के चर्म शिल्पी, केश शिल्पी, मैकेनिक एवं अन्य वंश परम्परागत धंधे से जुड़े लोंगो को 1.00 लाख तक वित्तीय सहायता रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे।
- अल्पसंख्यकों की **गरीब बस्तियों में अधोसंरचना की सुविधा** विकसित करेंगे।
- अल्पसंख्यक समाज की शैक्षणिक संस्थाओं को, जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उसका पालन कराएंगे एवं शिक्षा का आधुनिकीकरण करेंगे। छात्रावास सुविधा देंगे। अन्य सुविधा देंगे।
- अल्पसंख्यक समाज की **भाषाओं व बोलियों को संरक्षण** प्रदान करेंगे।
- अल्पसंख्यक समाज के पूजा स्थलों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेंगे।
- अंतिम संस्कार स्थलों को आबादी के मान से विकसित करने के लिए प्रावधान करेंगे। वक्फ सम्पत्तियों और कब्रिस्तानों का सीमांकन करेंगे, अतिक्रमण हटायेंगे, बाउंड्रीवाल का निर्माण कराएंगे एवं वृक्षारोपण करेंगे। राजस्व रिकार्ड में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज वक्फ की संपत्ति के रिकार्ड में सुधार करवाएंगें। सामुदायिक सम्पत्तियों का उपयोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाएगा, जिस पर अनुदान देगे।
- मंदिर के पुजारी की तरह मस्जिद के इमाम, चर्च के पादरी और गुरुद्वारों के ग्रंथी का स्वास्थ्य बीमा करवाएंगे। मानदेय दिया जाएगा।
- गुरू गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर रागी गायन एवं पंजाबी शस्त्र गतका के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दाता बंदी छोड़ दिवस एवं गुरू गद्दी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करायेंगे।
- अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में आईएएस, आईपीएस, पीएससी, यूपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग व्यवस्था करेंगे।
- सिख समुदाय के लिए **आनंद विवाह अधिनियम** के तहत नियम बनाकर लागू करने के सम्बंध में कार्यवाही करेंगे।
- तीर्थ दर्शन, हज अथवा सिख समाज के ऐतिहासिक तख्तों पर जाने वाले अल्पसंख्यक समाज जनों को गृह क्षेत्र से जल मार्ग एवं वायु मार्ग तक आवागमन हेतु सहायता देंगे।
- कोरोना काल में गुरूद्वारे में लंगर के माध्यम से लाखों की सेवा एवं भोजन की व्यवस्था की थी। भविष्य को देखते हुए लंगरों के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी।
- जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय की संस्कृति, प्राचीन अभिलेख व साहित्य को संरक्षित करने, शोध-अनुसंधान की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे एवं एक-एक बोर्ड का गठन करेंगे।
- जैन समाज, बौद्ध समाज, सिख समाज के तीर्थ स्थलों और मुनिराजों के सुरक्षा और संरक्षण हेतु सुनिश्चित उपाय करेंगे। सभी धर्मों के पूजा स्थलों के अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करेंगे।

42. सिंध के गौरव

- सिंधी विस्थापित परिवारों के **भूमि के पट्टे की समस्या** का 06 माह के भीतर निदान करेंगे और सम्मानजनक हक देंगे।
- प्रदेश में **सिंधी बाहुल्य कॉलोनियों का नामकरण** सिंधी गौरव यथा संत कंवरराम, संत हिरदाराम, हेमू कालानी, सम्राट डाहिर आदि के नाम पर किया जायेगा एवं आवश्यक विकास कार्य कराएंगे।
- सिंधी समाज के नागरिकता संबंधी लंबित मामलों का 06 माह के भीतर प्रदेश से निराकरण कर केन्द्र को प्रस्ताव भेजेंगे।
- देश के पहले सिंधु तीर्थ-स्थल के लिए **भगवान झूलेलाल ट्रस्ट** का गठन करायेंगे एवं सहयोग देंगे।
- सिंधी बाहुल्य क्षेत्र में सिंधी संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य आदि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु **शहीद हेमू कालानी सिंध सांस्कृतिक केन्द्र** स्थापित करने हेतु सहयोग देंगे।
- सिंधी साहित्य अकादमी का पुर्नगठन किया जायेगा एवं अकादमी का नामकरण **आचार्य जे. बी. कृपलानी सिंधी साहित्य अकादमी** किया जायेगा।
- सिंधी समाज बाहुल्य क्षेत्रों में शालाओं में सिंधी भाषा के अध्ययन हेतु व्यवस्था बनायेंगे। सिंधी शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। विभिन्न स्तर पर पाठ्यमों में सिंध गौरव संत कंवरराम, संत हिरदाराम, शहीद हेमू कालानी, सम्राट डाहिर व आचार्य जे.बी. कृपालानी आदि के योगदान को सम्मानपूर्वक स्थान देंगे।
- विश्वविद्यालय में सिंधी भाषा के अध्ययन हेतु **डॉ. चोईथराम गिदवानी सिंधी अध्ययन केन्द्र** प्रारंभ करेंगे ।

43. निम्न एवं मध्यम आय वर्ग

- ईडब्ल्यूएस को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विस्तार माँग अनुसार करेंगे। सामान्य वर्ग के हक सुनिश्चित करेंगे।
- सामान्य वर्ग के साथ अन्याय न हो इसके लिए कानूनी व्यवस्था में सुधार करेंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग एवं मध्यम वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु **तीन सदस्यीय आयोग** का गठन करेंगे। आयोग की अनुशंसाओं को लागू करेंगे।
- सामान्य निर्धन व मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को **विदेश में अध्ययन की सुविधा** देंगे। शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई योजना बनाएंगे। सामान्य निर्धन वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लिये **यूथ हॉस्टल** में सुविधा देंगे।
- सामान्य वर्ग के चैरिटेबल हॉस्टल बनाने के लिए भूमि देंगे।
- सामान्य निर्धन वर्ग के आय प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाएंगे एवं आय सीमा बढ़ोत्तरी करेंगे।
- सामान्य निर्धन वर्ग एवं मध्यम वर्ग के युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देंगे। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजना बनाएंगे। स्टार्टअप के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने पर बैंक से रियायती दरो पर ऋण उपलब्ध करायेंगे।
- निम्न एवं अल्प आय वर्गीय आवासहीन परिवार को प्रथम आवास खरीदने पर पंजीयन शुल्क में रियायत का प्रावधान करेंगे।

- सिविल सेवा परीक्षा (यू.पी.एस.सी), राज्य सेवा परीक्षा (पी.एस.सी), एन.डी.ए, जज की प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु **कोचिंग सेंटर** प्रारंभ करेंगें।

44. आस्था और विश्वास

- **श्री राम वन गमन पथ** एवं **सीता माता मंदिर, श्रीलंका** की योजना को पुनः प्रारंभ करेंगे। चित्रकूट में श्रीराम सखा **निषाद केवटराज** की प्रतिमा स्थापित करेंगे।
- **श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति योजना** – अस्थि विर्सजन व अंत्येष्ठी सहायता योजना प्रारंभ कर, रू. 10,000/- की सहायता राशि देंगे।
- पुजारी मानदेय के नाम के स्थान पर पुजारी सम्मान निधि देंगे।
- **महंत एवं पुजारियों के मानदेय में पुजारियों का बीमा कराएँगे** एवं भूमियों के नीलामी संबंधी विषय में सुधारात्मक प्रावधान करेंगे।
- **सर्व गुरू धाम** प्रार्थना स्थल बनवाएंगे, जिसमें गौतम बुद्ध, गुरू नानक, कबीर दास, रैदास आदि स्थानीय संतों की एक साथ, एक ही स्थान पर प्रार्थना की व्यवस्था कराएंगे। इनकी देखभाल करने वाले सामाजिक सेवकों को संरक्षण देंगे। **कबीर धाम शहडोल** के सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे।
- मंदिरों में दर्शन के लिए टिकट खरीदने की व्यवस्था के कारण गरीब दर्शनार्थी भगवान के श्री दर्शन से वंचित न रहे तथा अभिषेक करने वाले भक्तों को दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। महाकाल एवं ओंकारेश्वर मंदिर की सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की संस्था को जोड़ेंगे।
- **वैदिक शाला** प्रारंभ करेंगे, जिसमें वैदिक कार्य विधि-विधान से संपन्न कराने का प्रशिक्षण देंगे। संस्कृत शाला का सुव्यवस्थित संचालन करेंगे।
- सभी वर्गों के आस्था स्थलों, धार्मिक, पूजा स्थलों के आसपास विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे। भूमि विवादों का निराकरण की सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे।
- प्राचीन मंदिर जिन पर पारिवारिक झगड़े विधिक न्यायालय में चल रहे हैं इसके चलते मंदिरों का संचालन, पूजा-पाठ में कई तरह की कठिनाईयां देखने को मिलती है व इनका निदान करने के उपाय करेंगे।
- **मंदिर समितियों का पुनर्गठन** नियमावली अनुसार करेंगे एवं मंदिरों में शासकीय हस्तक्षेप कम करेंगे, सभी वर्गों के समाजसेवियों एवं दानदाताओं को नवगठित समितियों में जोड़ेंगे।
- धार्मिक न्यासों, सामाजिक न्यासों, मठ-मंदिरों की सम्पत्ति, वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर से अवैध कब्जा हटाएंगे। निष्क्रिय न्यासों को सक्रिय करेंगे। इन सम्पत्तियों से प्राप्त अन्य धार्मिक संस्थानों के रखरखाव के बाद शेष राशि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को प्रोत्साहित करेंगे।
- मठों एवं अखाड़ों से लगी अनुपयोगी सरकारी भूमि को प्राथमिकता से उन्हें आवंटित करने के लिए नीतिगत प्रावधान बनायेंगे।
- प्रदेश के पुरातत्व संग्रहालयों की देखभाल के साथ अन्य पुरातत्व महत्व की इमारते, स्मारकों एवं मूर्तियों का संरक्षण कर व्यवस्थित करेंगे, इन स्थलों को पर्यटन से जोड़ेंगे। आशापुरी, रायसेन, उदयपुरा, ग्यारसपुर (विदिशा), मुरैना आदि स्थानों पर खोज में पुरातत्व महत्व के मंदिर एवं मूर्तियां निकली हैं, उनको सुरक्षित एवं व्यवस्थित करने की कार्ययोजना बनाएंगे। भोजताल राजा भोज के काल में खोजी गई ओम वेली एवं बेतवा नदी पर बने बांध एवं पुल को **राष्ट्रीय धरोहर** के रूप में संरक्षित करेंगे।
- कांग्रेस सरकार द्वारा आस्था स्थलों के रखरखाव एवं उनसे जुड़े पुजारी व सेवकों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रचलित अधिनियम में संशोधन करेंगे।
- भगवान परशुराम के जन्मस्थल जानापाव को तीर्थस्थल घोषित करेंगे।

45. संस्कृति-कला, साहित्य एवं रंगमंच

- प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक केन्द्र व नाट्य गृह प्रारंभ करेंगे। **विरासत का संरक्षण** के तहत ललित कला, साहित्य, नाट्य, रंगमंच, चित्रकला, संगीत, गायन, वादन आदि के क्षेत्र में प्रदेश के महान कलाकारों की प्रस्तुति, रचना, कौशलता को संरक्षण देते हुए धरोहर को अक्षुण्ण रखेंगे।
- भारतीय संस्कृति एवं परम्परागत रीति रिवाज को मानने का अधिकार-आदिवासी लोक जीवन से जुड़े गायन, वाद्ययंत्र, वेशभूषा, चित्रकला, काष्ठ कला आदि को संरक्षित करेंगे तथा कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे, इनसे जुड़ी संस्थाओं को अनुदान देंगे। गौंडी चित्रकला केन्द्र प्रारंभ करेंगे। बैंगा, भारिया, विमुक्त जाति एवं अनुसूचित जाति आदि की विभिन्न कलाओं का संरक्षण प्रदान करेंगे।
- स्वर साम्राज्ञी लता मंगेश्कर एवं किशोर कुमार की स्मृति को चिरस्थाई बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष कार्यक्रम आयोजित करेंगे तथा नये गायकों का सम्मान हेतु इनके नाम से पुरस्कार प्रारंभ करेंगे।
- प्रदेश के मुख्य साहित्यकार यथा - डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, बालकवि बैरागी, विट्ठल भाई पटेल आदि के नाम से पुरस्कार प्रदान करेंगे एवं इनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- लुप्त हो रही विधाओं जैसे- हरबोलों की परम्परा, आल्हा आदि की प्रति वर्ष प्रतियोगिता छत्रसाल महाराज की स्मृति में आयोजित करायेंगे।
- उस्ताद अल्लाद्दीन खाँ साहब की स्मृति में संस्थान का उन्नयन करेंगे।
- प्रति वर्ष तानसेन समारोह की तर्ज पर बैजू बावरा एवं कुमार गंधर्व संगीत समारोह आयोजित करेंगे।
- प्रति वर्ष 14 नवम्बर से 19 नवम्बर के मध्य जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रदेश में कला, संगीत व साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे । **मध्यप्रदेश भूषण** व **मध्यप्रदेश विभूषण** पुरस्कार प्रारंभ करेंगे।
- प्रदेश` कलाकारों का स्वास्थ्य बीमा कराएंगे एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन उपलब्ध कराएंगे। कला एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण के लिए मैचिंग ग्रांट उपलब्ध कराएंगे।
- बुंदेलखण्ड की गौरव गाथा को चिरस्थाई बनाए रखने वालों को सम्मान देंगे। भोपाल में महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे।

46. ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण विकास

46.1 पंचायती राज

- त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम 1993 को मूल भावना के अनुरूप लागू करेंगे ।
- **जनता की सरकार - जनता ही सरकार** के सिद्धांत पर चलकर ग्राम पंचायतों एवं ग्रामसभा को अधिकार सम्पन्न बनाएंगे।
- सरपंचों के सम्मान को सुनिश्चित करेंगें, उनकी गरिमा को घटाने या कम करने वाली धारा 40 एवं अन्य धाराओं को बदलने के लिए नियमों में संशोधन लाएंगे।
- कांग्रेस सरकार नगरीय निकायों की तरह जनपद एवं जिला पंचायतों में एल्डरमेन की नियुक्ति करने का प्रावधान लाएगी जिसमें महिलाएं एवं आरक्षित वर्गों को समान अवसर उपलब्ध होगा।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच का सम्मान सुनिश्चित करेंगे। मानदेय एवं बैठक भत्ता बढ़ाएंगे। उन्हें अधिकार संपन्न बनाएंगे।
- ग्राम पंचायत में एक सचिव एवं एक सहायक सचिव रखेंगे। एक सचिव को एक से अधिक पंचायतों का प्रभार नहीं सौंपेंगे।
- ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए नई आर्थिक गतिविधियों के संचालन से जोड़ेंगे।
- पंचायतों के विकास कार्य में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे। राजनैतिक हस्तक्षेप कम करेंगे।
- वास्तविक पेसा एक्ट कानून लागू करेंगे। पेसा एक्ट के लागू होने से ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभाओं में टकराव न हो इसकी समीक्षा एवं निदान करेंगे।
- सौ प्रतिशत ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट की सुविधा पर कार्य करेंगे।
- जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत विकास निधि गठित कर **सरपंच निधि** बनायेंगे।
- सरकारी कर्मियों की तरह सरपंचों एवं पंचों का **दुर्घटना बीमा** कांग्रेस सरकार कराएगी।

46.2 ग्रामीण विकास

- ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हेतु **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम** प्रारंभ करेंगे जिसके अंतर्गत ग्रामों की बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण के साथ ग्रामीण बाजार एवं रोजगार के कार्य किए जाएंगे।

- **ग्राम जोड़ो - भारत जोड़ो** एवं **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु परियोजना** से ग्रामीण क्षेत्रों के पुल एवं सड़कों का निर्माण कर मुख्य मार्गों से जोडना, कांग्रेस की प्राथमिकता होगी।

46.3 ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम

- **ग्रामीण स्वच्छता**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो से चार पद सफाई कर्मियों के निर्मित कर भरे जाएंगे।
- ग्रामों में घूरा, नाला प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। नालों को पुनर्जीवित करेंगे, उनको अतिक्रमणमुक्त करेंगे।
- ग्रामों की जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करेंगे।

46.4 ग्रामीण आवास

- ग्रामीण क्षेत्र की नल - जल योजनाओं के विद्युत देयकों का भुगतान की व्यवस्था को नियमित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- **आवास का अधिकार** सुनिश्चित करेंगे। आवासहीन परिवारों का पुन: सर्वे करायेंगे। आवासहीन परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटित करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों के लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि के विभेद को न्यून करने का कार्यक्रम बनाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में **नई आबादी घोषित** करेंगे। निजी भूमि पर आवास निर्माण में आ रही समस्या का निराकरण करेंगे।

46.5 ग्रामीण रोजगार

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती कृषि के अलावा रोजगार के नए अवसर निर्मित करने से ही संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत उद्योगों के साथ-साथ कुटीर उद्योग, खादी हस्तशिल्प पर्यटन को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी [मनरेगा] को मूल स्वरूप में लाने के लिए केन्द्र से आग्रह करेंगे। केन्द्र से सहयोग न मिलने की स्थिति में राज्य की नई रोजगार गारंटी योजना बनाकर मजदूरी का भुगतान, सामग्री के भुगतान की पारदर्शी एवं सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करेंगे। कांग्रेस का प्रयास होगा कि सरपंच ग्रामीण अधोसंरचना के छोटे-मोटे कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकें तथा मजदूरो को तत्काल मजदूरी उपलब्ध करा सकें।

46.6 ग्रामीण परिवहन

- ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुलभ एवं सस्ती बनाएंगे ताकि ग्रामीण के उत्पादों के विक्रय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु ग्रामीणों का आवागमन में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे राहत मिल सके।

46.7 ग्रामीण प्रशासन -

- जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की गोपनीय प्रतिवेदन में लिखने का अधिकार अध्यक्षों को देंगे।
- **ग्राम सचिवालय** की पूर्व अवधारणा को स्थापित करेंगे।
- **ग्राम न्यायालय** की स्थापना कर सक्रिय करेंगे।

- 100 प्रतिशत नशामुक्त ग्राम पंचायतें को 2 लाख रूपये का पुरस्कार देंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र के छोटे रहवासी आवास, कुटीर उद्योग एवं छोटे व्यवसाय को सम्पत्ति कर एवं व्यापार कर से मुक्त रखेंगे।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण कई गांव विकास खण्ड मुख्यालय से दूर हो गये है उनको समीप के विकासखण्ड से जोड़ने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजेंगे।

46.8 ग्रामीण सुरक्षा - कोटवार

- ग्रामीण क्षेत्रों के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कोटवारी प्रथा को सशक्त करेंगे। ग्राम पंजी संधारित कराएंगे।
- आपदा एवं अपराध की जानकारी तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कोटवारों को मोबाईल फोन देंगे।

47. शहरी विकास

47.1 मेरा शहर – मॉडल शहर

- मध्यप्रदेश के महानगरों इंदौर,भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर की अद्वितीय विशिष्टताओं को दर्शाते हुए निवेश को आकर्षित करने हेतु इन शहरों की ब्रांडिंग करेंगे।
- भोपाल विजन डॉक्यूमेंट 2019 की तरह मिलियन प्लस आबादी की ग्रेटर सिटीज के विजन डॉक्यूमेंट बनाकर उनका बदलती जीवन शैली के अनुरूप विश्वस्तरीय विकास करेंगे।
- प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के विकास के **रीजनल मेट्रोपोलिटन प्लान** तैयार कराएंगे।
- मध्यप्रदेश में नगरीयकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। कांग्रेस सरकार कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों (आक्सी-रिच लैंड लॉक स्टेट) में नगरीयकरण की अपार संभावना तलाशेगी तथा कांग्रेस प्रदेश के आर्थिक विकास के उद्देश्य से पॉच नये शहर आधुनिक मानकों तथा शहर एवं ग्रामों के एकीकृत विकास के साथ स्थापित करने की योजना बनाएंगे।
- वर्तमान महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर जिले की सीमा का पुन: निर्धारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रेटर दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश का व्यापार बढ़ाएंगे इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलेगी।
- **रीडेन्सीफिकेशन नीति** की समीक्षा करेंगे। शासकीय सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए सर्वोपरि मानते हुए कार्य करेंगे।
- शहरी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने एवं शहरों के विकास में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, शहरवासियों को आवास की सुविधा देने तथा गरीबों के लिए पर्याप्त आवासीय क्षेत्र सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखते हुए **नगर नियोजन अधिनियम, भूमि विकास नियम**, विकास योजनाऐं एवं आवासीय कालोनियों व भवनों को दी जाने वाली अनुमतियॉ की वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण कर सुधार करेंगे, विसंगतियॉ दूर करेंगें।

47.2 स्थानीय स्वशासन एवं संरचनाएँ

- 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना को मजबूती से लागू करने के लिए नगरीय निकायों को सशक्त बनाएंगे उनके अधिकार वापिस देंगे एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाएंगे।
- निकायों के पार्षद, अध्यक्ष और महापौर चुनाव नियत समय पर पूरी पारदर्शिता से कराएंगे।
- नगर पालिकाओं के 20 किमी. की परिधि में आने वाली अन्य नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का दर्जा देंगे।

47.3 शहरी अधोसंरचना

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु **छिन्दवाड़ा मॉडल की तर्ज पर कार्यक्रम** तैयार करेंगे।
- शहरी अधोसंरचना के विकास हेतु व्यावसायिक एवं रहवासी क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक योजना बनाएंगे। सभी तरह के विकास कार्य विकसित अधोसंरचना को क्षति पहुँचाऐं बगैर प्राथमिकता क्रम में कराऐं जाएंगे।
- शहरों को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए झुग्गी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हुए **राजीव गांधी झुग्गी विकास योजना** प्रारंभ करेंगे।
- शहरी विकास में खेल मैदानों / पार्कों की कमी देखी जा रही है। नये पार्कों की स्थापना करेंगे व पुराने पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे।
- प्रदेश में **कार्बन क्रेडिट नीति** का पालन सुनिश्चित हो इस हेतु शहरों में सिटी फारेस्ट को बढ़ावा देते हुए **ग्रीन ऑक्सीजन पार्क** व **ग्रीन वॉकिंग ट्रेक** स्थापित करेंगे। नागरिकों के **ऑक्सी क्लब** बनाएंगे।
- नगरीय निकायों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आधुनिक स्ट्रीट लाईट, सोलर लाईट आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

47.4 परिवहन एवं पार्किंग

- **महानगरों में मेट्रो रेल सेवा** प्रारंभ करेंगे। मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा कर नये क्षेत्रों व शहरों को जोड़ते हुए पुनरीक्षित कार्ययोजना बनाई जाएगी।
- मध्यप्रदेश को **ई -वाहन मॉडल प्रदेश** बनाने के लिए **ई-वाहन मिशन** प्रारंभ करेंगे। ई-रिक्शा एवं ई-सिटी बस सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मार्ग आरक्षित किये जाएंगे तथा चार्जिंग की सुविधाएं, ई-वाहनों के पंजीयन की सरल सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
- **सिटी बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम** सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में एक समान बनाएंगे तथा बस स्टेण्ड एवं बस स्टॉप को चिन्हित कर विकसित करेंगे।
- सभी जिलों में **एकीकृत यातायात प्रबंधन** व्यवस्था लागू करेंगे एवं शहरों मुख्य रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करेंगे।
- सार्वजनिक मार्गों से अवैध पार्किंग को हटाएंगे एवं अवैध वसूली को समाप्त करेंगे।

47.5 लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट नगर

- बड़े शहरों के ट्रॉसपोर्ट नगर को व्यवस्थित कर **लॉजिस्टिक सेंटर** के रूप में बनाएंगे तथा आवश्यकतानुसार यातायात के बढ़ते दबाव एवं व्यापार वृद्धि को देखते हुए नये लॉजिस्टिक एवं ट्रॉसपोर्ट नगर बनाएंगे।

47.6 आपदा राहत एवं अग्निशमन सेवा

- **फायर एक्ट** लागू किया जाएगा। शासकीय कार्यालय में फायर सेफ्टी उपकरणों का नियमित निरीक्षण कराया जाएगा।
- बढ़ती आवादी के मान से नये आपदा राहत एवं अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जाएंगी।
- घनी बस्तियों में एवं भीड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि कांड की घटनाओं पर शीघ्र नियंत्रण हेतु नवीन तकनीकों एवं ड्रोन का उपयोग करेंगे तथा इनके प्रशिक्षण की योजना बनाएंगे।

47.7. शहर हाट एवं बाजार

- शहरों के **बाजार प्रबंधन की नई नीति** बनाएंगे। वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप नये बाजार विकसित करेंगे।
- पथ विक्रेताओं एवं स्थानीय बेरोजगारों के लिए नए बाजार विकसित करेंगे तथा हाकर्स सेंटर विकसित कर आवंटित करेंगे। छोटे-छोटे ऋण सरलता से उपलब्ध कराने की योजना बनाएंगे।
- चिकन एवं फिश मार्केट का आधुनिकीकरण करेंगे तथा छोटे विक्रताओं को सांची पार्लर की तर्ज पर पार्लर उपलब्ध कराएंगे।

47.8 शहरों में रोजगार

- श्रमिक वर्ग एवं शिक्षित रोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरों में शहरी रोजगार गारण्टी योजना का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में रोजगार की तलाश में आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम बनाएंगे। रात्रि विश्राम हेतु **श्रमिक विश्राम भवन** बनाए जाएंगे।

47.9 स्थानीय करों का युक्तिकरण

- शहर के नागरिक सम्पत्ति कर एवं जल कर की बेलगाम बढ़ती दरों से परेशान है। **टैक्स एकीकरण की नीति** पर कार्य करेंगे तथा सम्पत्ति कर, जलकर एवं प्रदूषण कर की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।
- नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर, जल कर, प्रदूषण करों की वसूली का लेखा जोखा विधिवत संधारित कराएंगे और उसकी जानकारी सार्वजनिक करेंगे।

47.10 विज्ञापन नीति

- शहरों के लिए नई विज्ञापन नीति बनाई जाएगी। विज्ञापन की दरों को युक्ति संगत बनाएंगे।
- सार्वजनिक चौराहों पर स्थापित प्रतिमाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए चौराहे पर पोस्टर एवं बैनर प्रतिबंधित करेंगे। यातायात को प्रभावित करने वाले विज्ञापन के होर्डिंग्स को प्रतिबंधित करेंगे।

47.11 शहरी स्वच्छता एवं सुंदरता

- **मेरा शहर- स्वच्छ शहर, मेरा शहर-सुंदर शहर** के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए नगरीय निकायों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता की मॉडल व्यवस्था स्थापित करेंगे।
- शासकीय विभागों एवं निकायों की सफाई हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों का उपयोग करेंगे। कचरा निपटान के स्थलों का आधुनिकीकरण करेंगे।

47.12 स्मार्ट सिटी

- मध्यप्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना पूरी तरह असफल रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूर्व की अधोसंरचना पर ही नाममात्र के सुधार कार्य कर, अवार्ड जीतने की हौड़ लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर करोड़ों रूपए की राशि व्यर्थ में पानी की तरह बहाई जा रही है, जिसकी जबावदेही सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट सिटी में हुए घोटालों की जांच की जाएगी।

48. आवास का अधिकार एवं सुंदर सपना साकार

48.1 आवास का अधिकार

- **आवास के अधिकार का सशक्त कानून** लागू करेंगे।
- शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों का पुनः सर्वे कराएंगे।
- **राजीव गांधी आश्रय योजना** को पुनः प्रारंभ करेंगे। पूर्व में आवंटित आवासीय पट्टों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराएंगे।
- **अपना परिवार - अपना आवास** उपलब्ध कराने की नीति तैयार कर नये आवास एवं आवासीय क्षेत्र विकसित करने के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल एवं विकास प्राधिकरणों को सक्षम बनांएगे। आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग, अजजा, अजा, पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं पत्रकारों को **भाड़ा क्रय योजना** के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए **भाड़ा क्रय योजना** प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए पृथक से भूमि आरक्षित कर, 600 वर्गफीट तक के आवास की रजिस्ट्री में 50 प्रतिशत की छूट देंगे।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बरसों से पुश्तैनी आवासों में आवास कर रहे लोगों को रजिस्ट्री कर मालिकाना हक दिया जाएगा।
- पुराने लीज होल्ड आवास एवं भूखण्ड को फ्री होल्ड कर लीजधारकों को मालिकाना हक देंगे तथा लीज के नवीनीकरण हेतु **डिजिटलीकरण एवं ऑनलाईन की सरलीकृत व्यवस्था** लागू की जाएगी।
- **रेरा (रियल एस्टेट रियामक प्राधिकरण) का पुर्नगठन** करेंगे। अवैध कालोनियों पर अंकुश लगाएंगे एवं कालोनाईजरों के विरूद्ध किये जाने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण कराएंगे।
- **भोपाल विकास योजना** (मास्टर प्लान)को पुनरीक्षित कर लागू करेंगे, अन्य शहरों की विकास योजनाएं, समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे।
- शहरी क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के आवासीय भूखण्ड, आवासों के गाईड लाईन की दरों में रियायत देंगें।
- राजस्व दस्तावेजों में पट्टे की जमीनों और भूमि स्वामी अधिकार की विसंगतियॉ दूर करेंगे तथा **भूमि स्वामी अधिकार अभियान** चलाएंगे।
- अर्बन सीलिंग भूमियों की त्रुटिपूर्ण सूचियों और विसंगतियों में सुधार करेंगे।
- प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत अधिकृत भूमियों का मुआवजा का भुगतान करेंगे तथा इनके अंतर्गत निर्मित सहकारी समितियों के सदस्यों को आवासीय भूखंड का आवंटन सुनिश्चित कराएंगे।

48.2 स्वच्छ शहर, स्वच्छ गांव

- **मेरा शहर स्वच्छ शहर व मेरा गांव स्वच्छ गांव** के ध्येय पर कार्य करेंगे। शहरों में सफाई एवं कचरा संग्रहण की व्यवस्था स्वच्छता कार्यक्रम चलाएंगे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नाला एवं घूरा प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- जैव चिकित्सा अवशिष्ट एवं रासायनिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे। इंसिनेटर स्थापित करेंगे।

48.3 हरित मध्यप्रदेश

- महानगरों एवं बड़े शहरों में **सिटी फारेस्ट** की स्थापना की जाएगी। **कार्बन क्रेडिट सम्मान योजना** प्रारंभ करेंगे।
- **ग्रीन मध्यप्रदेश कार्यक्रम** चलाएंगे। प्रदेश के ग्रीन कवर को बढ़ाने की दिशा में सशक्त पहल करेंगे। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाएंगे तथा स्कूलों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित करेंगे।
- शहरी क्षेत्र की नदियों एवं जलाशयों के तटों का सौंदर्यीकरण करेंगे।
- नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा **रिवर फ्रंट बायो-डायवर्सिटी पार्क** स्थापित करेंगे।

48.4 स्वच्छ वायु एवं जल की ओर कदम

- प्रदेश स्तर पर वाहनों, बड़े उद्योगों एंव घरेलू धुएं से हो रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी स्तर पर **कार्बन क्रेडिट एजेंसी** बनाएंगे।
- स्वस्थ मध्यप्रदेश की ओर कदम बढ़ाते हुए शहरों में **ग्रीन ऑक्सीजन जोन** एवं **पार्क** स्थापित करेंगे। नागरिकों के लिए **ऑक्सी क्लब** बनाएंगे।
- वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु उद्योगों में **आनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम** की स्थापना करेंगे। बड़े शहरों में **एयर क्वालिटी डिस्प्ले बोर्ड** स्थापित किये जाएंगे।
- नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य योजना तैयार कराएंगे। गंदे पानी एवं औद्योगिक दूषित पानी को सीधे नदियों में नहीं छोड़ा जाए, इसके लिए कठोर प्रावधान करेंगे।
- शहरी नालों के प्रबंधन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराएंगे, नालों के अस्तित्व को बनाऐं रखने के लिए कानून बनाएंगे।

49. सुन्दर, सघन एवं लोकोपयोगी वन

49.1 वनाधिकार अधिनियम 2006

- **वन अधिकार अधिनियम 2006** का उचित क्रियान्वयन कर 16 साल से प्रदेश के वंचित आदिवासियों भाईयों को भूमि पर अधिकार का वास्तविक लाभ देंगे। वन अधिकार के समस्त दावों जिनमें अधिकार पत्र नहीं दिये गये हैं, की फिर से जांच करायेंगे एवं पात्रों को अधिकार पत्र प्रदान करेंगे।

49.2 लघु वन उपज

- **लघु वन उपज** - प्राथमिक लघु वन उपज समितियों का पुर्नगठन करेंगे। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों की समिति के पद पर आदिवासी वर्ग का अध्यक्ष होगा। लघु समिति के सभी रिकार्ड समिति के पास रखे जाएंगे तथा ग्राम सभाओं में अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएंगे। लघु उपजों का समर्थन मूल्य घोषित कर सरकारी खरीदी का कार्यक्रम बनाएंगे।

49.3 वन प्रबंधन

- प्रदेश में 15 हजार से अधिक संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ हैं, इनको पुनः सक्रिय करेंगे। इन समितियों के सचिव पद पर स्थानीय बेरोजगार आदिवासी युवाओं को नियुक्ति प्रदान करेंगे। वन उपज में सहभागिता बढ़ाएंगे।
- **बिगड़े वनों के सुधार की नई योजना** बनाएंगे। इन क्षेत्र में विलुप्त हो रहीं वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास तथा लघु वनोपज, औषधी के उत्पादन बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करेंगे एवं वन क्षेत्र एवं उसके एक किलो मीटर के दायरे में रहने वाले शिक्षित बेरोजागार आदिवासी युवकों को वृक्षारोपण हेतु 10-10 एकड़ भूमि के पट्टे देंगे। शिक्षित बेरोजगार आदिवासी युवकों को वनों के संरक्षण, बिगड़े वन के सुधार एवं उजड़े क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ-साथ उनकी आजीविका के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। जिसमें 10 एकड़ तक वन भूबंधन के पट्टे दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत वृक्षों से प्राप्त आय से अपनी आजीविका चलाएंगे।
- वृक्षों का विनाश करने वाले लेटाना खरपतवार को समाप्त करने के साथ-साथ वनों के समीप रहने वाले आदिवासियों की आजीविका से जोड़ने के लिए **लेटाना से एनर्जी विकेट्स** बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
- **पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम** के तहत बिगड़े वन क्षेत्रों में आंवला, पीपल, नीम, आम, जामुन व आदिवासी क्षेत्रों में महुआ, चिरोंजी, गोंद, इमली, तेंदू आदि का वृक्षारोपण किया जाएगा।

- आदिवासी युवक-युवतियों को **वन मित्र** बनाएंगे।
- वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कराकर उनके नियंत्रण प्रबंधन राजस्व विभाग को अंतरित करेंगे।
- राजस्व एंव वन भूमि के विवाद एवं निजी भूस्वामियों के भूमि पर वन विभाग के कब्जे के विवाद के निराकरण हेतु एक **ट्रिब्यूनल गठित** किया जाएगा।
- **मध्यप्रदेश आदिम जातियों का वृक्षों के हित में संरक्षण अधिनियम** के प्रावधानों का सरलीकरण करेंगे ताकि हितग्राही को वृक्ष काटने की समय-सीमा में अनुमति सुनिश्चित हो सके।
- **एग्रो फारेस्ट्री** को बढ़ावा देंगे। लोक वानिकी के अन्तर्गत वृक्ष कटाई व विक्रय के उपरांत 3 माह में भुगतान सुनिश्चित कराने की व्यवस्था देंगे।
- बांस एवं अन्य काष्ठ तथा वनोपज से वस्तु व उत्पाद निर्मित करने वाले वंशानुगत-परम्परागत परिवारों को प्रशिक्षण देंगे। बांस के उत्पादन को बढ़ाएंगे। काष्ठ कटर की अनुमति जारी करने की प्रक्रिया सरल करेंगे।
- वन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करायेंगे।
- प्रदेश में विलुप्त हो रहे वन्यजीव एवं पक्षियों की प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन की योजना बनाएंगे।
- कांग्रेस सरकार **वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम** और **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों** की भावना को ध्यान में रखते हुए, वन क्षेत्रों के कोर एरिया एवं बफर जोन क्षेत्र में एवं आस-पास रहने वाले नागरिकों की सुविधा और आजीविका उपलबध कराने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाऐं रखने के लिए वचनबद्ध है।

49.4 वनकर्मी एवं वन प्रशासन

- वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने, अवैध वृक्ष कटाई, वन्य जीवों के शिकार व अवैध रेत खनन के माफिया के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले वनकर्मियों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेंगे।
- वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में **स्थानीय लोगों की सेवाएं** ली जाएंगी ओर उनको भी अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा।
- वन ग्रामों के विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर वन सेवा में लेने का प्रावधान किया जाएगा।
- वनों में अवैध कटाई अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार की जवाबदारी डीएफओ की निर्धारित की जाएगी।
- भाजपा कार्यकाल में वन विभाग ने हजारों आदिवासियों के विरूद्ध वन अपराध के प्रकरण चला रखे हैं। उनकी सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा कर वापिस लेकर आदिवासी भाईयों के साथ न्याय करेंगे।
- वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने के दौरान दिवंगत होने वाले वनकर्मियों को **वन शहीद** घोषित करेंगे एवं शहीद परिवार के आश्रित सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे एवं अनुकम्पा नियुक्ति देंगे ।

50. प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं सुधार

50.1 पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन

- पारदर्शी जवाबदेही प्रशासन **पेपरलेस-फेसलेस-सीमलेस सुविधा कार्यक्रम** के तहत् हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार शासकीय सुविधाएं बिना कागजी आवेदन, बिना उपस्थित हुये और बिना बाधा के सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजेंगे।
- **ऑनलाईन सर्विस सिस्टम** लाईसेंस, परमिट, अनुमतियों एवं पंजीयन तथा नवीनीकरण की आनलाईन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे।
- जिला स्तर पर **सर्व-समाधान केन्द्र** स्थापित होंगे, जिसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं की जानकारी नि:शुल्क प्राप्त होगी।
- प्रदेश में वीआईपी कल्चर समाप्त कर सभी नागरिकों को **समान अवसर एवं सेवा** देने हेतु सरकार तत्पर रहेगी।
- जिला कलेक्टरों को प्रशासनिक कार्य हेतु अधिक समय मिले इस हेतु जिला स्तरीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की जवाबदारी पुन: निर्धारित करेंगे।

50.2 माफियाराज मुक्त प्रदेश

- प्रदेश को माफियाराज से मुक्त किया जाएगा।
- मिलावटखोर, कालाबाजारी और रिश्वतखोरी के विरूद्ध कांग्रेस शासन काल में प्रारंभ किये गए **शुद्ध के लिए युद्ध** अभियान निरंतर रखेंगे।

50.3 भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन

- **घोटाला जांच आयोग का गठन** - भाजपा के पिछले 18 सालों के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, विभिन्न घोटाले, ई-टेडरिंग घोटाला, भर्ती घोटालो की नये सिरे से जांच हेतु प्रशासनिक, न्यायालयीन एवं विधि तीन सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय प्रथम कैबिनेट में करेंगे। सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी एवं न्यायाधीश होंगे। आयोग एक वर्ष के भीतर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें पर तत्काल निर्णय लेकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
- भाजपा के पिछले 18 साल के कार्यकाल में राजधानी से लेकर ग्रामों तक फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी हेल्प लाईन स्थापित करेंगे तथा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
- झूठी शिकायत करने वाले आदतन आवेदकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करेंगे।
- आय से अधिक सम्पत्ति धारक (सभी प्रकार के लोकसेवकों) की जाँच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों से कराएंगे, आय से अधिक सम्पत्ति को जप्त करेंगे।
- यातायात नियंत्रण व अन्य कानूनी उल्लंघन के नाम पर परिवहन, पुलिस, आबकारी विभाग एवं अन्य विभागों की चैकिंग में खुले आम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग कराएंगे।

50.4 प्रशासनिक संरचनाएं

- **प्रशासनिक संरचना गठन आयोग** बनायेंगे जो नवीन संभाग, जिले, अनुविभाग व तहसील, नये पटवारी हल्के, एवं ग्रामों के मजरे टोले को नए ग्राम के रूप में गठित करेंगे, नगरों के सीमा निर्धारण आदि के प्रस्तावों की समीक्षा एवं जनसुनवाई के बाद नवीन संरचनाओं के गठन का प्रस्ताव भेजेगा जिस पर **तीन माह** के **भीतर निर्णय** लिया जाएगा।
- नगरीय क्षेत्र के बढ़ने से पंचायतों के क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण करेंगे तथा स्थानीय माँगों पर **नई पंचायतों का गठन** करेंगे।

50.5 लोक कल्याण एवं प्रशासनिक महत्व के महत्वपूर्ण बिन्दु

- **वचन पत्र के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग** – राज्य स्तर पर वचन पत्र के क्रियांवयन हेतु मंत्रिमंडल परिषद उप समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सशक्त **वचन पत्र अभिकरण** गठित किया जाएगा जिसमें एक उपाध्यक्ष रखा जाएगा। जिला स्तर पर वचन पत्र के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु **जिला स्तरीय वचन पत्र समिति** गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। इसका प्रस्ताव कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।
- **जिला सरकार**–जिला सरकार की अवधारणा को पुनः मूर्त रूप देंगे।
- **प्रमुख आयोग**–जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचति जनजाति आयोग, खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग, सूचना आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आदि को पुनः सक्रिय करेंगे।
- प्रदेश के गौरव एवं विभिन्न समाजों के **आस्था दिवसों पर अवकाश** की **सुविधा** देंगे ताकि कार्यक्रमों का आयोजन एवं भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

50.6 स्थानीय निर्वाचन

- प्रदेश के स्थानीय निकायों के निर्वाचन को समय–सीमा में सम्पन्न करायेंगे। रिक्त पदों के निर्वाचन त्वरित गति से सम्पन्न करायेंगे। **राज्य निर्वाचन आयोग** का पुनगर्ठन करेंगे। मण्डी चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में लाएंगे।

50.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

- प्रदेश स्तर पर **आजादी के दीवाने स्मारक** स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए बनायेंगे। प्रदेश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथा, वीरता एवं चित्रों को प्रदर्शित करेंगे एवं शहीदों की स्मृति में जिला स्तर पर स्मारक बनाएंगे।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान स्वरूप स्वतंत्रता दिवस परेड में **राज्य अतिथि के समान सम्मान** देंगे एवं दिव्यांग परिजनों को पेंशन देंगे ।

51. भू-अधिकार एवं भूमि सुधार

- प्रदेश के आमजन भूमि संबंधी समस्याओं और विवादों से अत्यधिक परेशान है। इनके सरलता से समाधान हेतु तहसील स्तर पर **भू-दल का गठन** कर निराकरण कराएंगे।
- जिलों में सायबर तहसील स्थापित की जाएगी ताकि भूमि की रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण एवं बटान स्वचलित व्यवस्था के माध्यम से होगा तथा भूस्वामियों को खसरा, नक्शा ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगा। कृषकों एवं गरीबों को भू माफियों से संरक्षण प्रदान करने के लिए भूमि के पंजीयन के समय दिये गये चेक की राशि विक्रेता के खाते में जमा होने पर ही नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी।
- कृषकों को भूमि के **खसरा, नक्शा व बी-1 की प्रति नि:शुल्क ऑनलाईन** प्राप्त करने की सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर देंगे तथा अभिलेख का प्रतिवर्ष ग्राम सभा में वाचन करायेंगे।
- **नामांतरण एवं बंटवारे की सरलीकृत व्यवस्था** लागू करेंगे। पटवारी पंजी का पुन: संधारण किये जाने की व्यवस्था लागू करने पर निर्णय लेंगे। भूमि के हक त्याग संबंधी एवं पुश्तैनी भूमि के मालिकाना हक के प्रकरणों के निराकरण के नये दिशा निर्देश जारी करेंगे, जिससे **भू-स्वामी हितैषी** बनाएंगे।
- फौती नामांतरण एक माह के भीतर, आपसी बंटवारा को नि:शुल्क तथा विवादित बंटवारों का निराकरण राजस्व लोक अदालत का आयोजन कर कराएंगे।
- लोक सेवा की समयसीमा होने के कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा तकनीकी कारणों से प्रकरण निरस्त कर दिये जाते है जिससे किसान को असुविधा होती है, इस व्यवस्था में सुधारकर **किसान हितैषी** बनायेंगे।
- अत्याधुनिक तकनीक से **सटीक सीमांकन की सरलीकृत व्यवस्था** लागू करेंगे। सीमांकन हेतु निजी संस्थाओं की सेवाएँ लेंगे एवं संस्थाओं को मान्यता एवं दरों को निर्धारित करायेंगे। स्थानीय प्रशिक्षित सर्वेयरों को प्राथमिकता देंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

- कांग्रेस शासन काल में भूमिहीन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आवंटित पट्टों के कब्जे की समस्या का निराकरण किया जाएगा।
- परंपरागत मेलों, खेल मैदान, लंगर, श्मशान घाट एवं पार्कों की भूमि संरक्षित की जाएगी, इन प्रयोजनों की भूमि का अन्य प्रयोजन के उपयोग से प्रतिबंधित रखेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में **आवासहीन परिवारों का पुनः सर्वे** कराएंगे। **नई आबादी घोषित** करेंगे। ग्रामीण आबादी का रिकार्ड बनाकर रहवासियों को भूमि अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
- **नजूल भूमि** - नजूल भूमि के लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरलीकृत कर आनलाईन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों की स्वामित्व का अधिकार अभियान चलाएंगे। फ्री होल्ड की सरल व्यवस्था करेंगे।
- **वास स्थान दखलकार अधिनियम** एवं **दखलरहित भूमि अधिनियम** के तहत आवासीय पट्टे प्रदान करने की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।
- **नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013** को मूल रूप में लागू करेंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे, एयरपोर्ट, उपक्रम हेतु छोटे किसानों से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मुआवजे के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजेंगे। अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान का अभियान चलाएंगे।
- किसानों के भूमि विवाद, वन विभाग की आपत्तियों, खेतों में निजी पेड़ों को काटने की अनुमति की प्रक्रिया आदि का सरलीकरण करेंगे। राजस्व-वन विवाद के निराकरण के लिए **टास्क फोर्स की अनुशंसा** पर कार्यवाही करेंगे।
- भूदान आंदोलन एवं सीलिंग की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित करेंगें। इन से संबंधित राजस्व मंडल में लंबित प्रकरणों का निराकरण एक वर्ष के भीतर कराएंगे।
- धार्मिक न्यासों, सामाजिक न्यासों, मठ-मंदिरों की सम्पत्ति पर से अवैध कब्जा हटाएंगे। निष्क्रिय न्यासों को सक्रिय करेंगे।
- राज्य में कस्टोडियन की निष्क्रांत भूमियों के विवाद तथा विसंगतियों को दूर करेंगे तथा रक्षा भूमि- सैनिक छावनी से संबंधित भूमि विवाद के निराकरण हेतु रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करेंगे।
- विभिन्न समाजों को छात्रावास, स्कूल, वृद्धाश्रम, गौशाला, शादीघर, सामुदायिक भवन व समाज के स्थल विकसित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति को सुधारेंगे।

आपदा राहत एवं फसल क्षतिपूर्ति

- **आर.बी.सी. 6-4** के प्रावधानों की समीक्षा करेंगे एवं इन्हें क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित करेंगे। आवश्यकतानुसार आपदा राहत की प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे।
- विद्युत करंट से फसल की क्षतिपूर्ति एवं पालतू पशुओं की मृत्यु एवं जहरीले जंतु के काटने से पशु हानि पर राहत राशि देने हेतु आरबीसी- 6-4 में प्रावधान करेंगे।
- वन्य प्राणियों से फसल क्षति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे तथा फसल हानि का भुगतान आरबीसी-6-4 में दिये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे।

52. अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, आर्थिक एवं सामाजिक नीति

52.1 न्यूनतम आय की गारण्टी का अधिकार

- कांग्रेस सरकार प्रदेश के प्रत्येक घर के 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराएगी और रोजगार न मिलने पर सामाजिक सुरक्षा के तहत न्यूनतम आय की राशि उपलब्ध कराने का कानून बनाएगी।

52.2 सम्पदाओं का सर्व एवं उपयोग

- मानव संसाधन के नये मानक निर्धारित कर प्रदेश का गहन सर्वे कराएंगे। उसके आधार पर शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार, शिक्षा नीति में सुधार कर रोजगारोन्मुखी बनाएंगे।
- मानव संसाधन के नये सर्वे के आधार पर प्रदेश की श्रमिक सम्पदा का उपयोग प्रदेश के आर्थिक विकास में करेंगे।
- हम मजदूरों को प्रवासी भारतीय की तरह **प्रवासी प्रदेशवासी** का सम्मान देंगे। उनके कार्य की उचित मजदूरी दिलवाएंगे। उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- प्रदेश में उपलब्ध खनिज, वन सम्पदा एवं टेक्नो-इकोनॉमिक्स का सर्वे कराएंगे। सर्वे के आधार पर प्रदेश के हित में योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करेंगे।

52.3 प्रदेश का समग्र विकास

- **राज्य पंचवर्षीय कार्यक्रम** - प्रदेश में राज्य पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करेंगे । राज्य योजना आयोग एवं सांख्यिकी विभाग को पुनर्गठित करेंगे।
- **एकीकृत ग्रामीण एवं शहरी विकास की नई अवधारणा** से प्रदेश की ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।

52.4 राजस्व-कर, शुल्क एवं फीस का युक्तियुक्तकरण

- दण्डात्मक शुल्क वसूली की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए सम्मानजनक व्यवस्था स्थापित करेंगे।
- **वर्तमान कर** व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोहरी कर प्रणाली को समाप्त करने, कर चोरी को रोकेगें, कर जमा करने की सरलीकृत व्यवस्था स्थापित कर ढांचे को मजबूत करेंगे एवं करों की दरों को युक्तियुक्त करेंगे।
- नये सम्पत्तिधारकों की सुविधा के लिए सम्पत्ति कर को सम्पतियों की रजिस्ट्री के समय निर्धारित कराने की व्यवस्था की जाएगी।
- प्रदेश के राजस्व घाटे को कम करने एवं केन्द्रीय करों में हिस्सा ज्यादा प्राप्त करने के लिए, प्रदेश की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के ठेके, संचालन के ठेके तथा सरकारी खरीदी प्रदेश में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक, व्यावसायिक संस्थानों एवं सिविल ठेकेदारों के माध्यम से अधिक से अधिक हो इस हेतु भण्डार क्रय नियम एवं निर्माण एवं सेवा कार्यों की निविदाओं में प्रावधान जोड़ेंगे।
- प्रदेश में लघु वेतनकर्मियों को वृत्तिकर से छूट देंगे।

52.5 वित्तीय अनुशासन एवं राजकोषीय घाटा

- 18 वर्षों में भाजपा द्वारा लिए गए ऋण की उपयोगिता की जांच हेतु जांच कमीशन बैठाएंगे। गैर उत्पादित ऋण लेने वाले एवं ऋण का सदुपयोग न करने वाले पर जवाबदारी निर्धारित करेंगे।

- सरकारी व्यय में मित्तव्ययता लाएंगे एवं अनुत्पादक मदों पर व्यय नियंत्रित करेंगे एवं शासकीय वाहनों के दुरूपयोग को रोकेंगे।
- केन्द्रीय सहायता का समय पर सदुपयोग न करने एवं हितग्राही मूलक कार्यों पर व्यय न करने वाले अधिकारियों की जवाबदारी निर्धारित करेंगे।
- राजस्व की हानि-दोषपूर्ण निर्णय, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुॅचाने, सरकारी सम्पत्तियों एवं भूमि की बिक्री से हुई राजस्व हानियों की जांच कराएंगे।
- वित्तीय सलाहकारों को बजट का समय पर उपयोग कराने एवं वित्तीय घोटालों के लिए जबावदेह बनाया जाएगा।
- सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हेतु प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 वर्षों में 10 प्रतिशत तक ले जाने का कार्यक्रम बनाएंगे एवं प्रदेश का राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत से कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

52.6 बैंक, बचत, ऋण एवं निवेश

- मध्यप्रदेश में संचालित राष्ट्रीयकृत एवं प्राइवेट व्यावसायिक बैंकों में घरेलू बचतों में जमा राशि के अनुपात में दिए गए ऋण एवं निवेश का प्रतिशत बहुत कम है उसे बढ़ाएंगे।
- राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी में प्रदेश के कृषक, व्यापारी, उद्योगपति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के एक-एक सदस्य को मनोनीत करेंगे।
- प्रदेश का धन प्रदेश में ही सुरक्षित रूप से निवेश हो, बाहरी एवं निजी क्षेत्र धन संबंधी व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों पर नियंत्रण, प्रदेश के निवेशकों के हित में करने के लिए सकारात्मक कार्य योजना के साथ कांग्रेस सरकार आगे की रणनीति बनाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों एवं प्रदेश के आम नागरिकों की बचत पर उचित प्रतिफल हेतु एक संयुक्त क्षेत्र में कम्पनी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति आश्वासित हो सके।
- चिटफंड और धोखाधड़ी कर छोटे निवेशकों की राशि हड़पने वालों पर सख्त कार्यवाही करेंगे।

53. सरल, सुलभ, शीघ्र और सुनिश्चित न्याय का अधिकार

- आम जनता को त्वरित न्याय की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु सुधारात्मक कदम उठाएंगे। **न्यायालयों में डिजिटलीकरण और वर्चुअल** सुनवाई की व्यापकता दिशा में ठोस सुधारात्मक प्रयास करेंगे।
- वादों के समय-सीमा में शीघ्र निराकरण हेतु **वाद प्रबंधन की कुशल और प्रभावी व्यवस्था** के तहत सुनवाई हेतु **वार्षिक केलेंडर** जारी कराएंगे।
- न्यायालय का बोझ कम करने के लिए शासन द्वारा दायर वादों एवं अपीलों की समीक्षा करेंगे। वित्तीय और गंभीर अपराधों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण वापिस लेने पर निर्णय करेंगे।
- बार एसोसिएशन के कार्यालयों में सुविधा विस्तार करेंगे एवं उनके विद्युत देयकों के भुगतान हेतु प्रभावी कदम उठाएंगे।
- मध्यप्रदेश में **अधिवक्ता संरक्षण कानून** सुनिश्चित करेंगे।
- देश के प्रथम अटॉर्नी जनरल श्री एम.सी. सीतलवाड़ के नाम से सम्मान योजना लागू कर प्रदेश के अधिवक्ताओं को **50 वर्ष की वकालत पूर्ण** करने पर उनको **सम्मानित** करेंगे।
- विधि व्यवसाय आरंभ करने वाले नवागत अधिवक्ताओं का स्टाइपेंड बढ़ाएंगे।
- अधिवक्ताओं का **स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा** कराएंगे एवं **अंशदायी पेंशन योजना** से जोड़ेंगे । अनुग्रह राशि एवं गंभीर रूप से घायल होने पर दी जाने वाली **सहायता राशि बढ़ाएंगे**।
- सरकारी अधिवक्ता और नोटरी की नियुक्ति में जिले के **100 बिंदु आरक्षण रोस्टर** को लागू करेंगे।
- हमारे न्यायालय न्यायप्रिय संस्था है। कांग्रेस सम्मान करती है। न्यायाधीशों की भर्ती को पारदर्शी एवं बिना भेदभाव वाली बनाने के पक्ष में साक्षात्कार प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रस्ताव करेंगे।
- मध्यप्रदेश में माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित **आरबिटेशन ट्रिब्यूनल एवं सहकारिता ट्रिब्यूनल** आदि की उपयोगिता की समीक्षा कर प्रदेश हित में निर्णय लेंगे।
- सिविल प्रकरणों की कोर्ट फीस की दरों का गरीबों के हित में युक्तियुक्त करेंगे।

54. सुरक्षित प्रदेश, विकसित प्रदेश

54.1 जबावदेह पुलिस व्यवस्था

- **जन सुरक्षा एवं स्मार्ट पुलिसिंग** –प्रदेश में हर क्षेत्र में अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसका मुख्य कारण 18 वर्षों से प्रदेश में भाजपा ने अपराधियों को संरक्षण देना तथा अपराधों पर नियंत्रण करने वाली एजेन्सियों का निष्फल होना है। इसकी समीक्षा कर **संवेदनशील, जबावदेह और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था** सुनिश्चित करेंगे।
- महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों एवं आदतन अपराधियों को सरकारी नौकरी एवं अन्य सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।
- प्रदेश के महानगरों में लागू पुलिस आयुक्त प्रणाली की नये सिरे से समीक्षा करेंगे।
- मध्यप्रदेश से माफियाराज समाप्त करने के लिए **एंटी माफिया टास्क फोर्स** गठित करेंगे।
- प्रत्येक जिले में **साईबर थाने** खोलेंगे। बायोमेट्रिक्स आधारित अपराध ट्रेकिंग प्रणाली को बढ़ावा देंगे।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्सी के खतरों से निपटने व इसके गलत उपयोग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कानूनों में कड़े प्रावधान किए जाएंगे।
- आदतन अपराधियों एवं जेल से पेरोल पर आये अपराधियों की सतत् कड़ी निगरानी रखेंगे।
- **शांतिप्रिय मध्यप्रदेश** – प्रदेश को शांतिप्रिय बनाने के लिए **शांति समिति** की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करेंगे। शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने, मॉबलीचिंग, धार्मिक स्थलों एवं जुलूसों में पथराव रोकने एवं महिलाओं व बच्चियों पर सामूहिक अपराधों की रोकथाम आदि हेतु नियमित बैठकों का आयोजन कराएंगे एवं ऐसे संगठन/दल या व्यक्ति प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करते है और भय का वातावरण निर्मित करते है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके पालन हेतु जिले के पुलिस अधीक्षक एवं जोन के महानिरीक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।
- **डायल 100 एस.ओ.पी.** – डायल 100 मोबाईल पुलिस व्यवस्था को आधुनिक प्रणाली से सुसज्जित करेंगे एवं इसमें तैनात कर्मियों को आपदा से निपटने, उपचार व सुरक्षा की एस.ओ.पी. बनाकर प्रशिक्षण देंगे।
- एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले फरियादियों को संरक्षण देंगे। संवेदनशील व्यवस्था बनायेंगे। प्राथमिक सुविधायें यथा – बैठने व लिखने का स्थान, पेयजल, प्रकाश, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे।
- पुलिस बल के **आधुनिकीकरण व डिजीटलीकरण** को बढ़ावा देंगे ताकि पुलिस की दक्षता को बढ़ाया जा सके। पुलिस बल बढ़ायेंगे एवं अन्वेषण का आधुनिक प्रशिक्षण देंगे।
- थाना स्तर पर दलीय सम्बंद्धता से पृथक स्थानीयों को **जन पुलिस मित्र** बनायेंगे। अपराधों की रोकथाम करने में सहयोग करने वाले **नागरिकों को सम्मानित** करेंगे।
- बढ़ते वन्यजीव अपराध एवं अवैध शिकार अवैध शराब एवं सुनियोजित भिक्षावृत्ति की आड़ में पनप रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए **विशेष अभियान** चलायेंगे।
- प्रदेश को मादकमुक्त प्रदेश बनाने के लिए मादक पदार्थों की बिक्री एवं मादक पदार्थों उपयोग को सख्ती से रोकेंगे, जिसकी जवाबदारी जिले के पुलिस अधीक्षक की रहेगी।
- चिटफण्ड एवं छोटे निजी बैंकों के माध्यम से प्रदेश के जमाकर्ताओं की राशि की राशि हड़पने की शिकायतें आ रही हैं, ऐसी कम्पनियों एवं बैंकों के फैलाव को प्रदेश में रोकेंगे।

54.2 मजबूत एवं संवेदनशील यातायात व्यवस्था

- सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इसके नियंत्रण हेतु आधुनिक तकनीकों से **यातायात पुलिस को सशक्त** बनायेंगे। सड़क सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देंगे।

54.3 सड़क चालान की व्यवस्था को संवेदनशील बनाते साथ **ई-चालान एवं पारदर्शी चालान** की व्यवस्था को बल देंगे। सभी जिलों में **एकीकृत यातायात प्रबंधन व्यवस्था** (आई.टी.एम.एस.) लागू करेंगे।

- शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात चेकिंग की वर्तमान व्यवस्था से पुलिस की छवि बिगड़ रही है एवं भ्रष्टाचार की शिकायते बढ़ गई है इसे समाप्त करेंगे। मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित न हो इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक जवाबदार होंगे। चालान की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।

54.4 पुलिस कल्याण एवं कर्मचारी हितैषी विषय

- कांग्रेस पुलिसकर्मियों के त्याग एवं बलिदान का सम्मान करती है। पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए वर्तमान पुलिस बल एवं अर्दली व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। घरेलू कार्यो में लगे पुलिस कर्मियों के सम्मान की रक्षा एवं थानों में रक्षा बल की पूर्ति करेंगे तथा रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाएंगे।
- पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की नीति को न्यायसंगत रखेंगे। दक्ष पुलिसकर्मियों की पदस्थापना में बार-बार अनावश्यक फेरबदल रोकेंगे एवं सेवानिवृत्ति के करीब पुलिसकर्मियों को गृह जिले में स्थानांतरण के प्रावधान में छूट देंगे। तीन पदोन्नति सुनिश्चित करने की नीति पर कार्य करेंगे।
- **विशेष सशस्त्र बल** के कर्मियों एवं विशेष शाखा के कर्मियों को सीमित परीक्षा के माध्यम से रोस्टर अनुसार बिना भेदभाव के थाना पदस्थापना में संविलियन के नियम बनायेंगे। इनके कार्यों को देखते हुए इनको विशेष भत्ता दिया जाएगा।
- पुलिसकर्मियों के **साप्ताहिक अवकाश** की कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था को निरंतर रखेंगे और बाधाओं को समाप्त करेंगे।
- **पुलिस अस्पतालों का आधुनिकीकरण** किया जायेगा ताकि पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सके।
- कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को **पुलिस शहीद** का दर्जा देंगे। बिना किसी भेदभाव के **शहीद निधि** एवं **अनुकम्पा नियुक्ति** देंगे। लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकारणों का समाधान करेंगे।
- मुस्तैद पुलिस व्यवस्था हेतु सर्वसुविधायुक्त **थाना बैरक** बनायेंगे एवं पुलिसकर्मियों को सपरिवार निवास हेतु आवास सुविधा का विस्तार थाना क्षेत्र के समीप करेंगे ।
- सेवाकाल में न्यूनतम 3 पदोन्नति और भत्ते की माँगों पर पर न्याय करेंगें।

54.5 शस्त्र लायसेंस

- शस्त्र लायसेंस के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शस्त्रों के नवीनीकरण की सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना प्रस्तावित है तथा नवीनीकरण की दर 1 हजार रूपये तक प्रस्तावित होगी।
- नये शस्त्र लायसेंसों के फीस रिवाल्वर हेतु रू. 2000/- रायफल हेतु रू. 1000/- तक होगी।
- नये लायसेंस जारी करने एवं लायसेंसों की नवीनीकरण की सरल एवं सुलभ ऑनलाईन व्यवस्था स्थापित की जाएगी तथा पासपोर्ट की तर्ज पर आवेदकों को जानकारी दी जाएगी।

- नवीन लायसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। प्रत्यायोजन संभागायुक्त और कलेक्टर को अधिकार प्रस्तावित करेंगे।

54.6 नगर सैनिक कल्याण

- नगर सैनिकों के रोटेशन व्यवस्था की समीक्षा करेंगे एवं इसे न्यायपूर्ण बनायेंगे । नगर सैनिकों को आपदा प्रबंधन एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिसिंग, शासकीय कार्यालयों, आस्था केन्द्रों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा का दायित्व देंगे। इस हेतु इनको प्रशिक्षित किया जाएगा।
- महिला होमगार्ड की सेवाएँ को महिला कामकाजी क्षेत्रों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध कराएंगे।
- नगर सैनिकों के डिस्चार्ज पर निधि के प्रावधान की समीक्षा कर न्यायपूर्ण बनाएंगे। चिकित्सा बीमा व दुर्घटना बीमा कराएंगे। अन्य माँगों पर न्याय करेंगे।

54.7 कैदियों को न्याय एवं पुर्नवास - जेल प्रशासन

- **कैदियों के मानव अधिकारों** को सुनिश्चित करेंगे। जेलों की सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे एवं जेलों में बंद गरीब आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के मामले जिनकी सुनवाई वर्षों से नहीं हो रही है एवं असहाय व जरूरतमंद विचाराधीन कैदियों को नि:शुल्क कानूनी सलाह एवं सजा पूरी कर चुके गरीब कैदी जो अर्थ दण्ड जमा नहीं कर सकते उनके साथ मानवीय आधार पर न्याय किया जाएगा।
- **जेलों का आधुनिकीकरण** करेंगे एवं बंदियों के परिवार के लिए व्यवस्था पारदर्शी बनायेंगे। जेलों में अपराध एवं भ्रष्टाचार रोकने की जबावदेही सुनिश्चित करेंगे एवं पैरोल की व्यवस्था में सुधार करेंगे।
- जेल व्यवस्था में बंदी सुधार एवं बंदी पुर्नवास की नीति को और अधिक बल देंगे। जेल को **आदर्श बंदी पुर्नवास केन्द्र** के रूप में स्थापित करेंगे। महिला कैदियों के पुर्नवास को पृथक रूप से क्रियान्वित करेंगे।
- **खुली जेल प्रणाली** का विस्तार करेंगे। कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण की समुचित व्यवस्था करेंगे।

54.8 आपराधिक प्रकरणों की न्यायपूर्ण समीक्षा

- दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध करने, कृषि उपज की बिक्री,खाद एवं बिजली की माँग को लेकर किसान आंदोलन में जिन किसान भाईयों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण,
- राजनीति प्रतिद्वंद्विता व प्रतिशोध के चलते दर्ज झूठे आपराधिक प्रकरण,
- आदिवासियों के विरूद्ध भाजपा शासन काल में वन विभाग में हजारों की संख्या में दर्ज वन अपराध के प्रकरण,
- संविधान एवं आरक्षण बचाओ आंदोलन में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण आदि सभी प्रकरणों की समीक्षा कर वापिस लिये जाएंगे।
- 2/4/2017 के आंदोलन के प्रकरणों की समीक्षा व वापिसी।

54.9 विशेष आस्था बल का गठन

- आस्था व पूजा स्थलों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने, इनकी सुरक्षा एवं भक्तों की सुरक्षा के लिए एक **विशेष आस्था बल** का गठन करेंगे।

55. सैनिक हमारा अभिमान – भूतपूर्व सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक

55.1 शौर्य का सम्मान

- देश की सीमाओं की रक्षा और देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने में जीवन समर्पित करने वाले वीर सपूतों और उनके परिजनों का सम्मान एवं कल्याण करेंगे । शहीद परिवार को एकमुश्त **शहीद सम्मान निधि** देंगे।
- मध्यप्रदेश के सैनिकों को सेवा मेडल प्राप्त होने पर **सैनिक सम्मान निधि** की दर बढ़ाएंगे।
- शहीदों के सम्मान में जिले में **शौर्य-स्तम्भ एवं शहीद भवन** बनाएगें। शौर्य स्तम्भों के शिलालेखों पर शहीदों की गाथा अंकित करेंगे।
- शहीद सैनिकों के परिवार को स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के समतुल्य सम्मान देंगे।

55.2 भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण

- भाजपा ने भूतपूर्व सैनिकों को दिये जा रहे आरक्षण को समाप्त किया है। इस पर सहानुभूति पूर्वक पुर्नविचार कर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी विषय पर न्याय करेंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों एवं कालेजों में प्रवेश एवं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में विशेष प्रावधान किया जाएगा।
- मंत्रालय एवं अन्य एवं विभागध्यक्ष कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के परिचय पत्र को ही प्रवेश पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा।

55.3 सैनिक कल्याण एवं समाधान

- **सैनिक कल्याण सलाहकार मण्डल** गठित करेंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं **आपदा प्रबंधन में प्राथमिकता** से लेंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों को **सुरक्षा एजेंसी संचालन में प्राथमिकता** देंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों को **शस्त्र लायसेंस एवं व्यावसायिक परिवहन संचालन में प्राथमिकता** देंगे।
- सेना को जिलों में **केन्टीन खोलने हेतु आवश्यक सहयोग** करेंगे ।

55.4 केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल

- देश की सीमा की सुरक्षा एवं देश की आपात स्थिति में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में अर्द्ध सैनिक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उनकी सेवाओं को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों को दी जा रही सुविधा का विस्तार प्रदेश के अर्द्ध सैनिक बलों के सेवा निवृत्त सैनिकों तक बढ़ाएंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों की तरह शहीद एवं मेडल प्राप्त करने वाले अर्द्धसैनिक बलों को सम्मान निधि देंगे एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे।

56. लोकतंत्र के प्रहरी

- **विधान परिषद् का गठन** करेंगे एवं पहले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कर केन्द्र को भेजेंगे।
- **विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण** जनता के लिये करेंगे।
- **ई-विधान व्यवस्था** लागू करेंगे। **डिजिटल विधानसभा** की ओर बढ़ेंगे।
- विदेशी एवं अन्य राज्य में पर्यटकों को विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिये नियमों में सुविधा देंगे।
- विधायकों व मंत्रियों की **अचल संपत्ति विवरण की प्रतिवर्ष पटल** पर रखेंगें।
- वचन पत्र के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु विधायक निधि के उपयोग हेतु नियमों में संशोधन करेंगे।
- **त्रि-सहभागिता विकास कार्यक्रम** प्रारंभ करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आस्था मूलक पर्यटन केन्द्र, पर्यावरण संरक्षण व खेलकूद क्षेत्र में विकास कार्य कराने हेतु संयुक्त भागीदारी रहेगी । विधायक निधि 33 प्रतिशत, जन भागीदारी 33 प्रतिशत व सरकार की भागीदारी 34 प्रतिशत रहेगी ।
- युवाओं को संसदीय व्यवस्था का ज्ञान देने के लिए **युवा संसद कार्यक्रम** प्रत्येक जिले में आयाजित कराएंगे। स्कूल एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में संसदीय प्रक्रिया संबंधी विषय को सम्मिलित किया जायेगा। लोकतंत्र एवं विधानसभा कार्य पद्धति शोध एवं अनुसंधान के लिये विशेष छात्रवृत्ति देंगे।
- भूतपूर्व विधायकों एवं सांसदों को कांग्रेस शासन काल में जो सम्मान दिया जाता था उस व्यवस्था को पुनः बहाल करेंगे।

57. पत्रकार एवं मीडिया कल्याण

- पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिये मध्यप्रदेश में **पत्रकार सुरक्षा कानून** लागू करेंगे।
- भव्य **प्रेस क्लब** एवं **संयुक्त पत्रकार परिवार भवन** बनाएंगे जिसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करेंगे।
- प्रदेश एवं जिला स्तर के **प्रेस क्लबों को प्रतिमाह अनुदान** देने के नियम बनाएंगे।
- प्रत्येक जिले में एक पत्रकार भवन हो, इस हेतु कार्यक्रम बनाएंगे।
- समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों एवं डिजिटल पत्रकारिता को विज्ञापन देने के लिये नये नियम बनायेंगे। ग्रामीण व स्थानीय समाचार पत्रों को प्राथमिकता व सहयोग देंगे।
- **वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि** की मासिक राशि को बढ़ाकर रूपये 25000 करेंगे एवं महिला पत्रकारों को पात्रता हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान करेंगे।
- महानगरों में **न्यूज सिटी** के निर्माण पर निर्णय लेंगे।
- पत्रकारों एवं पत्रकारिता कर्मियों का परिवार सहित **नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा** करायेंगे। आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर **अनुग्रह राशि** के रूप में एकमुश्त 10 लाख रूपए की सहायता उपलब्ध कराएंगे।
- पत्रकारों को **आवास भाड़ा क्रय योजना** के अंतर्गत आवास आवंटन एवं शासकीय आवासों के आवंटन में राज्य स्तरीय महिला पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं महिला पत्रकारों को 60 प्रतिशत तक देंगे।
- **पत्रकार परामर्श समिति गठित** करेंगे, जिसमें केवल पत्रकार ही सदस्य होंगे। समिति पत्रकारों की समस्याओं से जुड़े मामलों की पैरवी करेंगे।
- पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में अध्ययन की सुविधा देंगे। डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी।
- तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु पत्रकारों को ट्रेन किराया प्रतिपूर्ति का प्रावधान करेंगे।
- **सुभद्रा कुमारी चौहान पत्रकारिता सम्मान** प्रारंभ कर महिला पत्रकारों को सम्मानित करेंगे एवं सम्मान स्वरूप रूपये 2 लाख देंगे।

58. लोक परिवहन की सुलभता

- **ग्रामीण परिवहन विकास** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुलभ सेवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य परिवहन की सुविधा प्रारंभ करने के लिए **4 क्षेत्रीय कम्पनियॉ पीपीपी माडॅल** पर तैयार की जाएंगी। इनके प्रारंभ होने तक निजी परिवहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परमिट जारी करने की नीति में सुधार करेंगे।
- निजी तथा हल्के वाहनों को टोल टेक्स से मुक्त कराने व राहत के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।
- विभाग द्वारा वाहनों से पार्किंग के नाम पर लिए जा रहे शुल्क पर न्याय करेंगे।
- ट्रक संचालकों एवं बस आपरेटर्स की अनेक समस्याएं हं एवं प्रदेश में बस, ट्रक एवं अन्य भारी वाहनों पर अन्य राज्यों की तुलना में करों की दर अधिक है। वाहन कर एवं लायसेंस फीस की दरों के युक्तियुक्तकरण एवं समस्याओं के निराकरण करने के लिए **उच्च स्तरीय समिति** गठित करेंगे एवं सुधारात्मक निर्णय लेंगे।
- केन्द्र सरकार ने यातायात नियंत्रण के नाम पर चालान की राशि में अत्यधिक वृद्धि की है, उसे कम कराने का प्रस्ताव करेंगे।
- सभी लायसेंस वाहनों का पंजीयन, वाहनों के परमिट तथा फिटनेस की आनलाइन व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं का निराकरण एवं **ऑटो मेंटेनेंस की रिपोर्ट नि:शुल्क** उपलब्ध कराने का प्रावधान करेंगे। ओला-ऊबर जैसे व्यवस्था करेंगे।
- कोविड काल में 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक करीब 2 साल तक नवीनीकरण करने की छूट दी गई थी, इस छूट की अवधि के संबंध में न्याय करेंगे।
- प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की नई **स्क्रेप नीति** बनाएंगे, अन्य प्रदेशों में पंजीकृत वाहन केन्द्र की स्क्रेप नीति के दायरे में आने पर उनका परिचालन बंद कराएंगे।
- आर.टी.ओ. बेरियर पर विभागीय अधिकारियों ने बाहरी लोगों को लगा रखा है इसकी जाँच कराएंगे तथा बेरियरों को व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे।
- दिव्यांगजन एवं छात्राओं को लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया सरल करेंगे एवं लायसेंस फीस में छूट देंगे।
- मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम डिपो की भूमि के आवंटन एवं बिक्री की जाँच कराएंगे एवं निगम के कर्मियों की माँगों पर न्याय करेंगे।
- ट्रक, बस, अन्य बड़े वाहन, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों का परिवार सहित **रू. 25.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा** एवं **रू. 10.00 लाख का दुर्घटना बीमा** कराएंगे।

59. नशामुक्ति की ओर बढ़ेंगे मजबूत कदम

59.1 नशामुक्ति

- **नशामुक्ति की नवीन नीति** बनायेंगे। प्रदेश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने की ओर सशक्त कदम उठायेंगे ।

59.2 आबकारी प्रावधान

- **नवीन आबकारी नीति** बनाएंगे।
- मदिरा विक्रय को हतोत्साहित करने के लिए मदिरा दुकानों के खुले रहने के समय को कम किया जाएगा।
- ग्रामीण अंचल के आबादी क्षेत्र में नई शराब दुकान नही खोलेंगे और स्थापित पुरानी दुकानों को आबादी से दूर स्थानांतरित करेंगे।
- एक हजार से कम आबादी के ग्रामों में महिलाओं की सहमति से मदिरा दुकानें बंद की जायेंगी ।
- देशी व विदेशी मदिरा दुकानों को अलग-अलग किया जायेगा तथा विवाद रहित स्थान पर दुकान स्थापित की जाएगी ।
- आबकारी नीति में **आदिवासी क्षेत्रों के लिये विशेष प्रावधान** किये जायेंगे ।
- जहरीली व अवैध शराब की रोकथाम के लिए कानून में कड़े एवं प्रभावी प्रावधान किये जायेंगे तथा तस्करों पर कठोर कार्यवाही अभियान के रूप में की जायेगी ।
- डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर कर आबकारी के अंतर्गत लाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव देंगे एवं डोडा चूरा के फर्जी प्रकरणों की जाँच कर जेलों में बंद बेकसूर किसानों को न्याय दिलायेंगे।

कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी

बढ़ाइये हाथ
फिर कमलनाथ

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

प्रकाशक : मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी, मुद्रक : आदर्श प्रा.लि., भोपाल, संख्या : 23,000